

**झारखण्ड सरकार**  
**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

पत्र संख्या-वन भूमि-21/2022-3884

व०प०, राँची, दिनांक-01/10/24

प्रेषक,

जलज कुमार,  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,  
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,  
हरमू चौक, राँची-834002।

**विषय :-** श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लि० मौजा-बड़ाजामदा जिला-पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,


निदेशानुसार विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-519 दिनांक-20.06.2022, पत्रांक-865 दिनांक-24.08.2023 एवं पत्रांक-737 दिनांक-13.08.2024 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
- (iii) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-सेमरकोड़ी तथा मौजा-करमाटांड में चिन्हित गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करना बाध्यकारी होगा।
- (iv) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (v) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निदेश की कंडिका-1.21 एवं नोडल पदाधिकारी के पत्रांक-519 दिनांक-20.06.2022 के आलोक में Penal Provisions लागू होंगे।
- (vi) CWLW के मंतव्य के अनुरूप अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।
- (vii) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनु०-यथोक्त।


विश्वासभाजन

  
(जलज कुमार)  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-21/2022-3884

व०प०, राँची, दिनांक-01/10/24


प्रतिलिपि-सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक-वन भूमि-21/2022-3884

व०प०, राँची, दिनांक-01/10/24

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/M/s Shri Balaji Industrial Engineering limited, Basti Road, Barajamda, Dist-West Singhbhum-833221 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

## PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

*Diversion of 1.66 ha of Forest Land (Jungle-Jhari) for construction of Sponge Iron Plant to M/S Shri Balaji Industrial Engineering Ltd. under Chaibasa Forest Division.*

### **18. Recommendation of the State Government**

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

*Recommended for Diversion of 1.66 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no-<sup>3884</sup> dated 01/10/2024.*

  
11/10/24  
Rajdeep Sanjay Lal John

Special Secretary

Forest, Environment & Climate Change Department,

Jharkhand Ranchi.

Special Secretary

Forest Environment And

Climate Change Department

Jharkhand, Ranchi  
(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi



कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 519 दिनांक:- 20.6.2022

अ. प. पी. राजदीन

अपर मुख्य सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :-

श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लि० मौजा-बड़ाजामदा जिला-पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

21/6

प्रसंग :-

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का पत्रांक 998 दिनांक 08.06.2022

श्री जलेश्वर

उपरोक्त विषयक प्रांसगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं० FP/JH/ENCRH/42933/2019 हेतु कुल 1.66 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं।

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चाईबासा के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में

वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. यह परियोजना चाईबासा वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. यह प्रस्ताव नियमितकरण से संबंधित है।
3. इस परियोजना में कुल 1.66 हे० वनभूमि मात्र (जंगल-झाड़ी) अन्तर्गस्त है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति रकबावार/प्लॉटवार निम्नवत् है :-

क्र०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा	कुल रकबा	वनस्पति घनत्व
अपर मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सं० 2528	चाईबासा	शून्य	1.66 हे०	1.66 हे०	0.1
			कुल -	1.66 हे०	

22 JUN प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form-A part-I में अभियुक्ति दर्ज कर आवेदन दर्ज है। तथा भारत सरकार के website पर निर्धारित Format में अभियुक्ति दर्ज कर upload किया गया है।

6. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार/संलग्न है। जो निम्नवत् है:-

क्र०	वन प्रमंडल का नाम	मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे० में)	जंगल-झाड़ी का रकबा (हे० में)
1.	चाईबासा वन प्रमंडल	बाड़ाजामदा	05	2243	शून्य	1.66

7. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निर्धारित Format पार्ट-II में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है।

8. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।

9. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।

10. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर प्रस्तावित स्पंज प्लांट स्थल को दिखाते हुए संलग्न है।

11. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।

125

12. वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा के प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि पर कोई भी अवस्थित नहीं है।
13. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है।
14. वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चाईबासा द्वारा सूचित किया गया है कि "Form A के Part-I के बिंदु संख्या H में Status of Environmental Clearance में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा NO अंकित किया गया है। Ministry of Environment and Forest, Govt. of India के द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को निर्गत अधिसूचना में List of Projects or activities requiring Prior Environmental Clearance में Sponge Iron manufacturing <200TPD को Category with threshold limit B में रखा गया है। उक्त के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से कारण पूछा की गई। उक्त पूछा के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा जवाब दिया गया है कि "The Sponge Iron Plant of M/s Shri Balaji Industrial Engineering Ltd. was installed & commissioned during the year 2005 and the company has obtained NOC from Jharkhand Pollution Control Board vide letter No. 173 dated 09.03.2005 (Copy attached as Annexure-I) Therefore, EP Act of 14<sup>th</sup> Sep is not applicable". (प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा समर्पित जवाब की छायाप्रति संलग्न प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 87 से 90)।
15. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित 4.11 एकड़ जंगल-झाड़ी वनभूमि उपयोग के विरुद्ध 4.00 एकड़ जंगल-झाड़ी वनभूमि हेतु उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक 663वी0/रा0 दिनांक 12.07.2007 द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र संलग्न है। शेष 0.11 एकड़ जंगल-झाड़ी वनभूमि के NOC हेतु संबंधित पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
16. वन विभागीय पत्रांक 3018 दिनांक 22.10.2021 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्टेज-I प्राप्ति से पूर्व FRA 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्ति की वैधता नहीं है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित की गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
17. वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा अपने पार्ट-2 के कण्डिका-11 के उप कण्डिका-1 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लंघन किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चाईबासा द्वारा सूचित किया गया है कि "Part-II के कण्डिका सं0 11 के सन्दर्भ में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल के पत्रांक 902 दिनांक 31.05.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Parivesh Portal के कण्डिका सं0 11(i) में Yes अंकित करने के उपरान्त कण्डिका सं0 11(i) के a, b तथा c में प्रविष्टि अंकित करने का Option नहीं दिये जाने के कारण वांछित सूचना अंकित नहीं की गयी है। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Detailed note on Project (पृष्ठ संख्या-14) उक्त परियोजना के दिनांक 09.03.2005 से क्रियान्वित होने की सूचना दी गयी है।"
- वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि सम्पूर्ण आवेदित वनभूमि (जंगल-झाड़) का कुल रकबा 1.66 हे0 अतिक्रमण के श्रेणी में आवेदित है तथा वर्ष 2005 से आज तक (17 वर्षों से) कार्यरत है।
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
19. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अपयोजन हेतु प्रस्तावित 1.66 हे0 वनभूमि के बदले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गिरिडीह जिला में 1.66 हे0 गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है। जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र0	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना/ थाना नं0	प्लॉट सं0	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा हे0
1	गिरिडीह पूर्वी	सेमरकोढ़ही	पीरटाड़/ 43	51,52,53,56,58	1.66 हे0
कुल :-					1.66 हे0

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का डीड पेपर, लगान रशीद, नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

  
20.06.2022

- (12)
20. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परन्तु प्रस्तावित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित है।
  21. प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का मंतव्य प्राप्त हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
  22. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है।
  23. वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में संचिका में अनुमोदन प्राप्त हेतु संचिका प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) को भेजी गई। निम्न निर्देश/शर्तों के साथ संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है:— *“चूंकि इस मामले में Violation है अतः प्रस्तावित Deemed Forest land के बदले दो गुणा दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण भूमि एवं दो गुणा दण्डात्मक NPV लेने के साथ Regularization की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाये प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का भी मंतव्य प्राप्त कर लिया जाय”*
  24. उपरोक्त निर्देश एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में Penal Provision के तहत प्रस्तावित 1.66 हे० वनभूमि के नियमितिकरण (*Regularization*) के लिए अनुशंसा की जाती है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ सलंगन कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना प्रस्ताव हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:—यथोक्त।

मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

*[Signature]*  
20.06.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

*[Signature]*  
20.6.22

कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

(संयुक्त वन भवन कार्यालय चाईबासा, पो-चाईबासा, पो सिंहभूम,  
पिन-833201) दूरभाष-06582-256332 (0)Mail.gov.in-cf-chaibasa@gov.in



11  
10  
13

पत्र संख्या: CHAI/MIN/...998.....

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-  
कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड,  
झारखण्ड, राँची।

चाईबासा, दिनांक - 08-06-2022

विषय :-

श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा-बड़ाजामदा जिला- पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा का पत्रांक 806 दिनांक 12.05.2022 तथा पत्रांक 902 दिनांक 31.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा-बड़ाजामदा जिला- पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा के द्वारा अपयोजन प्रस्ताव प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित किया गया, जिसे वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक 806 दिनांक 12.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रस्ताव की 07 (सात) प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया था। विषयक प्रस्ताव के संचिका पर अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 895 दिनांक 21.05.2022 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर को भेजा गया था। विषयक अपयोजन प्रस्ताव पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर के ज्ञापांक 978 दिनांक 30.05.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी। उक्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु इस कार्यालय के स्तर से वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा को निदेशित करते हुए प्रस्ताव की सभी 07 (सात) प्रतियाँ वापस लौटायी गयी।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक 902 दिनांक 31.05.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पुनः प्रस्ताव की 07 (सात) प्रतियाँ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है।

प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:-

- वनभूमि अपयोजन संख्या-FP/JH/ENCRH/42933/2019 है।
- प्रस्ताव के साथ Form-A, Part-I में प्रयोक्ता अभिकरण ( बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा) द्वारा विहित प्रपत्र में वांछित सूचनायें दर्ज की गई है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-01 से 09)।
- चाईबासा वन प्रमण्डल अर्न्तगत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि (जंगल-झाड़ी) का रकवा एवं वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

वन प्रमण्डल का नाम	सुरक्षित वन (हे०) PF	जंगल-झाड़ी किस्म की भूमि (हे०)	कुल (हे०)
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	0	1.66	1.66

प्रस्ताव के साथ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा का मन्तव्य Part-II में दर्ज है।  
(प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 12 से 13)।

42  
10 9

Part-II के कण्डिका संख्या 11 के सन्दर्भ में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल के पत्रांक 902 दिनांक 31.05.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Parivesh Portal के कण्डिका संख्या- 11(i) में Yes अंकित करने के उपरान्त कण्डिका संख्या- 11(i) के a, b तथा c में प्रविष्टि अंकित करने का Option नहीं दिये जाने के कारण वांछित सूचना अंकित नहीं की गयी है। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Detailed note on project (पृष्ठ संख्या- 14) में उक्त परियोजना के दिनांक 09.03.2005 से क्रियान्वित होने की सूचना दी गयी है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि सम्पूर्ण आवेदित वनभूमि (जंगल-झाड़) का कुल रकवा 1.66 हे० अतिक्रमण के श्रेणी में आवेदित है तथा वर्ष 2005 से आज तक (17 वर्षों से) कार्यरत है।

5. Detailed note on project प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 14 से 15 में संलग्न है।
6. 1:50000 स्केल के Toposheet पर लोकेशन मैप तथा अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि (जंगल-झाड़ी) का Geo-referenced map प्रस्ताव में संलग्न है (Plate- I to IV) (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 16)।
7. चाईबासा वन प्रमण्डल अन्तर्गत अपयोजित होनेवाली वनभूमि (जंगल-झाड़ी) की विवरणी प्रस्ताव में संलग्न है, गैर वन भूमि से संबंधित विवरणी एवं अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी द्वारा निर्गत सत्यापित Land Schedule प्रस्ताव में संलग्न है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 40 से 45 )।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA के लिए आवश्यक राशि जमा करने के संबंध में वचनबद्धता दी गई है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-47)।
9. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त से निर्गत दावा रहित प्रमाण पत्र समर्पित करने के संबंध में वचनबद्धता समर्पित की गई है। (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-55)।
10. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुशांसा प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-10-11)।
11. प्रस्तावित स्पंज आयरन प्लांट हेतु कुल 1.66 हे० अपयोजित होने वाली वनभूमि (जंगल-झाड़ी) के एवज में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नांकित विवरणी में वर्णित गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है:-

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम जिसे गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है	उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि की विवरणी				
		मौजा का नाम	थाना / थाना सं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।	सेमरकोड़ी	पीरटांड- 43	45	51 52 53 56 58	1.07 0.51 0.90 0.95 0.68
कुल :-						4.11 एकड़ (1.66 हे०)

12. गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल में चिन्हित गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु CA Land Suitability Certificate एवं स्थल विशिष्ट 10 वर्षीय प्राक्कलन की प्रति संलग्न है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-81 से 86)। उक्त क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का KML File प्रस्ताव के साथ CD में संलग्न है।

के साथ लागत लाभ विश्लेषण (Cost Benefit Analysis) संलग्न है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-48 से 54)।  
योजना हेतु प्रस्तावित वनभूमि (जंगल-झाड़ी) किस्ती नेशनल पार्क, वन्य प्राणी आश्रयणी अथवा टाईगर रिजर्व  
का हिस्सा नहीं है। परंतु पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सभी वनों को सिंहभूम गज आरक्ष्य के रूप में घोषित  
किया गया है।

15. Form A के Part-I के बिंदु संख्या H में Status of Environmental Clearance में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा NO  
अंकित किया गया है। Ministry of Environment and Forests, Govt. of India के द्वारा दिनांक 14 सितम्बर,  
2006 को निर्गत अधिसूचना में List of Projects or activities requiring Prior Environmental Clearance में Sponge  
Iron manufacturing <200TPD को Category with threshold limit B में रखा गया है। उक्त के आलोक में वन  
प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से कारण पृच्छा की गई। उक्त पृच्छा  
के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा जवाब दिया गया है कि "The Sponge Iron Plant of M/s Shri Balaji  
Industrial Engineering Ltd. was installed & commissioned during the year 2005 and the company has obtained  
NoC from Jharkhand Pollution Control Board vide letter no. N-173 dated 09.03.2005 (Copy attached as Annexure-  
I). Therefore, EP Act of 14<sup>th</sup> Sep 2006 is not applicable". (प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा समर्पित जवाब की  
छायाप्रति संलग्न पृष्ठ संख्या 87 से 90)।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त तथ्यों के  
आलोक में विषयगत वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन के प्रस्ताव को निम्न शर्त के साथ अग्रसारित किया जा रहा है:-

- I. प्रयोक्ता संस्थान को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि, NPV राशि, Penal NPV की राशि इत्यादि अन्य  
Compensatory Levies का भुगतान करना होगा।
- II. चाईबासा वन प्रमण्डल का संपूर्ण अधिसूचित वन क्षेत्र सिंहभूम गज आरक्ष्य के रूप में अधिसूचित है। अतः एक  
स्थल विशिष्ट वन्य प्राणी प्रबंधन योजना (Site Specific Wildlife Management Plan) का सूत्रण एवं वन विभाग  
की देख रेख में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा से प्राप्त प्रस्ताव की 05 (पाँच) प्रतियाँ  
अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त  
कर लिया गया है।

अनु०:यथोक्त

आपका विश्वासी


*Mantra*  
9/06/2022

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा ,

ई-मेल:- [dfo-chaibasa@gov.in](mailto:dfo-chaibasa@gov.in)  
पत्रांक 902 / दिनांक 31.05.2022



सेवा में,

वन संरक्षक  
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

विषय:- श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनिरिंग लिमिटेड मौजा-बड़ाजामदा जिला-पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय का पत्र संख्या 942 दिनांक 31.05.2022 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 806 दिनांक 12.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनिरिंग लिमिटेड मौजा-बड़ाजामदा जिला-पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि गैर मजरूआ (जंगल-झाड़ी) अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 806 दिनांक 12.05.2022 द्वारा अग्रसारित की गई है। भवदीय के द्वारा विषयाक अपयोजना प्रस्ताव के संदर्भ में किये गये कारण पृच्छा का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

बिन्दु संख्या -01 उक्त विषयक परियोजना Category of proposal encroachment के अन्तर्गत आवेदित है। Privesh Portal के कंडिक् संख्या 11 (i) में Yes अंकित करने के उपरान्त 11 (i) a, b तथा c में प्रविष्टि अंकित का option नहीं दिये जाने के कारण वछित सूचना अंकित नहीं की गई। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Detail Project Report (पृष्ठ संख्या 14 ) में उक्त परियोजना के दिनांक 09.03.2005 से क्रियान्वित होने की सूचना दी गई है।


इस प्रकार सम्पूर्ण आवेदित गैर मजरूवा जंगल-झाड का रकवा अतिक्रमण के श्रेणी में आवेदित है तथा वर्ष 2005 से आज तक (17 वर्षों से) कार्यरत है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्रसारण पत्र के बिन्दू संख्या I- में प्रयोक्ता संस्थान द्वारा Penal NPV सहित अन्य Compensatory Levies के भुगतान की अनुशंसा की गई है।

85  
7  
11  
6

दिन्दु संख्या -02 अग्रस्तारण पत्र के दिन्दू संख्या 11 में CA हेतु चयनित गैर वनभूमि की विस्तृत विवरणी उल्लेखित है। दिन्दू संख्या 12 में उक्त गैर वनभूमि के स्थान पर टंकण त्रुटि के कारण आवकृष्ट वनभूमि अंकित हो गया है।

अतः भवदीय के द्वारा लौटायी गयी अपयोजन प्रस्ताव की सभी 7 (सात) प्रतियाँ को मूल रूप अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु पुनः समर्पित की जा रही है।  
अनुलग्नक-प्रस्ताव की 7 प्रति।

आपका विश्वासी

  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा

ण्डल, चाईबासा।

Email ID- dfo-chaibasa@gov.in

पत्रांक:- 806 दिनांक:- 12/05/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

विषय:-

श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा-बड़ाजामदा जिला- पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा का वनभूमि अपयोजन संख्या-FP/JH/ENCRH/42933/2019 है।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा-बड़ाजामदा जिला- पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:-

1. वनभूमि अपयोजन संख्या-FP/JH/ENCRH/42933/2019 है।
2. प्रस्ताव के साथ Form-A, Part-I में प्रयोक्ता अभिकरण ( बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा) द्वारा विहित प्रपत्र में वांछित सूचनायें दर्ज की गई है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-01 से 09)।
3. चाईबासा वन प्रमण्डल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि (जंगल-झाड़ी) का रकबा एवं वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

वन प्रमण्डल का नाम	सुरक्षित वन (हे०) PF	जंगल-झाड़ी किस्म की भूमि (हे०)	कुल (हे०)
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	0	1.66	1.66

4. प्रस्ताव के साथ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा का मन्तव्य Part-II में दर्ज है। (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 12 से 13)।
5. Detailed note on project प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 14 से 15 में संलग्न है।
6. 1:50000 स्केल के Toposheet पर लोकेशन मैप तथा अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि (जंगल-झाड़ी) का Geo-referenced map प्रस्ताव में संलग्न है (Plate- I to IV) (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 16)।
7. चाईबासा वन प्रमण्डल अन्तर्गत अपयोजित होनेवाली वनभूमि (जंगल-झाड़ी) की विवरणी प्रस्ताव में संलग्न है, गैर वन भूमि से संबंधित विवरणी एवं अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत सत्यापित Land Schedule प्रस्ताव में संलग्न है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 40 से 45 )।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA के लिए आवश्यक राशि जमा करने के संबंध में वचनबद्धता दी गई है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-47)।

9. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त से निर्गत दावा रहित प्रमाण पत्र समर्पित करने के संबंध में वचनवद्धता समर्पित की गई है। (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-55)।
10. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुशंसा प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-10-11)।
11. प्रस्तावित स्पंज आयरन प्लांट हेतु कुल 1.66 हे० अपयोजित होने वाली वनभूमि (जंगल-झाड़ी) के एवज में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नांकित विवरणी में वर्णित गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है:-

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम जिसे गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है	उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि की विवरणी				
		मौजा का नाम	थाना/ थाना सं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।	सिमरकोड़ी	43	45	51 52 53 56 58	1.07 0.51 0.90 0.95 0.68
कुल :-						4.11 एकड़ (1.66 हे०)

12. गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल में चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु CA Land Suitability Certificate एवं स्थल विशिष्ट 10 वर्षीय प्राक्कलन की प्रति संलग्न है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-81 से 86)। उक्त क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का KML File प्रस्ताव के साथ CD में संलग्न है।
13. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण (Cost Benefit Analysis) संलग्न है (प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-48 से 54)।
14. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि (जंगल-झाड़ी) किसी नेशनल पार्क, वन्य प्राणी आश्रयेणी अथवा टाईगर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। परंतु पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सभी वनों को सिंहभूम गज आरक्ष के रूप में घोषित किया गया है।
15. Form A के Part-I के बिंदु संख्या H में Status of Environmental Clearance में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा NO अंकित किया गया है। Ministry of Environment and Forests, Govt. of India के द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को निर्गत अधिसूचना में List of Projects or activities requiring Prior Environmental Clearance में Sponge Iron manufacturing <200TPD को Category with threshold limit B में रखा गया है। उक्त के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण से कारण पृच्छा की गई। उनके द्वारा दिया गया जवाब निम्नवत् है। "The Sponge Iron Plant of M/s Shri Balaji Industrial Engineering Ltd. was installed & commissioned during the year 2005 and the company has obtained NoC from Jharkhand Pollution Control Board vide letter no. N-173 dated 09.03.2005 (Copy attached as Annexure-I). Therefore, EP ACT of 14<sup>th</sup> Sep 2006 is not applicable". (प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा समर्पित जवाब की छायाप्रति संलग्न पृष्ठ संख्या 87 से 90)।

4  
B/S

उक्त तथ्यों के आलोक में विषयगत वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन के प्रस्ताव को निम्न शर्त के साथ अग्रसारित किया जा रहा है:-

- I. प्रयोक्ता संस्थान को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि, NPV राशि, Penal NPV की राशि इत्यादि अन्य Compensatory Levies का भुगतान करना होगा।
- II. चाईबासा वन प्रमण्डल का संपूर्ण अधिसूचित वन क्षेत्र सिंहभूम गज आरक्ष्य के रूप में अधिसूचित है। अतः एक स्थल विशिष्ट वन्य प्राणी प्रबंधन योजना (Site Specific Wildlife Management Plan) का सूत्रण एवं वन विभाग की देख रेख में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।

अतः स्पंज आयरन प्लांट हेतु वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन से संबंधित उक्त प्रस्ताव की 7 (सात) प्रतियाँ भवदीय को अग्रतर एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु०:- प्रस्ताव की सात प्रतियाँ।

आपका विश्वासी,

*Kumar* 12/5/22  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

### TimeLine Details

②

**Proposal received date at each stage of flow.**

#### A. General Details

(i). Proposal No. : FP/JH/ENCRH/42933/2019

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LTD

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : M's Shri Balaji Industrial Engineering Ltd i.e M/s Balaji Industrial Products Limited is an existing company incorporated on 21.11.83 in the name of Balaji Enterprises Pvt. Ltd. with the Registrar of Companies, Jaipur with an object to manufacture S.S Billets & Castings. The company was subsequent

(iv). State : Jharkhand

(v). Category of the Project : Encroachments

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Non Linear

(vii). Area of forest land proposed for diversion(in ha.): 1.66

#### B. Time Line

Proposal No.	Submitted by User Agency	Query for Shortcoming (if any) by Nodal Officer	Resubmission of Proposal by User Agency	Query by Nodal Officer for submitting Hard Copies	Uploading (by U.A.) of copies of receipt received from DFO & DC	Division	Circle	Nodal Office	State Government	Regional Office	ROHQ, New Delhi	Stage-I Approval	Stage-II Approval
FP/JH/ENCRH/42933/2019	19/11/2019	30/12/2019	04/01/2022	04/01/2022	13/01/2022	Chaibasa	Chaibasa	Jharkhand	Jharkhand				
						28/01/2022	12/05/2022 (Chaibasa)	08/06/2022	20/08/2022				

#### C. Essential Details Sought History

Communication between Regional Office & State Government	Communication between State Government & Nodal Officer	Communication between Nodal Officer & Circle	Communication between Circle & Division	Communication between Division & User Agency
			Query raised by Circle (Chaibasa) on: 31/05/2022  Replied by DFO (Chaibasa) on: 31/05/2022	Query raised by DFO (Chaibasa) on: 26/02/2022  Replied by UA on: 05/03/2022  Query raised by DFO (Chaibasa) on: 16/03/2022  Replied by UA on: 22/04/2022  Query raised by DFO (Chaibasa) on: 27/04/2022  Replied by UA on: 28/04/2022  Query raised by DFO (Chaibasa) on: 30/04/2022  Replied by UA on: 30/04/2022

**NOTE:-** Proposal is pending at State Government.

*Maya P*  
*20/06/2022*

② ①

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

*Shri Balaji Industrial Engineering Limited 1.66 ha*

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

*Recommended for Regularization of 1.66 ha of Forest land with penal provision for reported 1.66 ha area under violation as per MoEF Guidelines dated 29.01.2018.*

Date :- 20.06.2022

Place :- Ranchi

Signature

  
20.06.2022

(Sanjay Srivastava)  
Nodal Officer

Name & Designation  
Principal Chief Conservator of Forests  
Cum-Executive Director  
Waste Land Development Board  
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन गवन, झोरण्डा, राँची, झारखण्ड, पिन-834002, Email-ppcf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 865 दिनांक:- 24/8/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :-

श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लि० मौजा-बड़ाजामदा जिला-पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रस्ताव:-

वन विभागीय पत्रांक 2097 दिनांक 26.07.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं० FP/JH/ENCRH/42933/2019 हेतु कुल 1.66 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर वन विभागीय पत्रांक 2097 दिनांक 26.07.2022 द्वारा कुल 06 बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है।

विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के पत्रांक 1168 दिनांक 21.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के प्रतिवेदानुसार विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् है:-

क्र०सं०	पृच्छित बिन्दु	अनुपालन
i	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड का मंतव्य।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड के पत्रांक 979 दिनांक 16.08.2022 द्वारा उनके मंतव्य इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। अनु०-1A
ii	प्रस्तावित पूर्ण जंगल-झाड़ी भूमि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र।	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा सूचित किया गया है कि सक्षम पदाधिकारी उपायुक्त, जिला-पश्चिमी सिंहभूम के ज्ञापांक 378(B)रा० दिनांक 28.12.2015 द्वारा 0.11 हे० तथा ज्ञापांक 669 (B)रा० दिनांक 31.08.2015 द्वारा 4.00 हे० कुल 4.11 हे० हेतु प्रस्तावित पूर्ण जंगल-झाड़ी भूमि का अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। अनु०-01
iii	FRA प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों झारखण्ड, राँची की कार्यवाही के साथ)	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा सूचित किया गया है कि उपायुक्त, जिला-पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक 532(B) दिनांक 22.03.2023 द्वारा प्रस्तावित कुल 4.11 एकड़ वनभूमि हेतु FRA प्रमाण पत्र प्राप्त है। एवं इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही की प्रति भी संलग्न है। अनु०-02
iv	विषयक प्रस्ताव में EIA Notification 1994 के आलोक में क्या Environment Clearance प्राप्त करना अनिवार्य था अथवा नहीं, से संबंधित प्रतिवेदन।	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक शून्य दिनांक 26.05.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि EIA Notification 1994 के अनुसार 100 करोड़ से कम के निवेश को Environment Clearance के दायरे से बाहर रखा गया है। अतः 100 करोड़ से कम निवेश के कारण EIA Notification 1994 के आलोक

		में Environment Clearance प्राप्त करना अनिवार्य नहीं था। (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित आवेदन तथा EIA Notification 1994 की छायाप्रति संलग्न। EIA Notification 1994 के पृष्ठ संख्या 03 बिन्दु संख्या 3(b) तथा पृष्ठ संख्या 05 के बिन्दु संख्या 13 का अवलोकन किया जा सकता है। अनु0-03 इसी क्रम में यह भी सूचित करना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता दी गयी है कि "Environment Clearance" प्राप्त करने की कार्रवाई Process में है। अनु0-03-A
v	पार्ट-II की कंडिका-8(ii) में अंकित सूचना तथा नोडल पदाधिकारी के पत्रांक 519 दिनांक 20.08.2022 की कंडिका-20 में अंकित सूचना में विरोधाभास का स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा इस सन्दर्भ में सूचित किया गया है चूंकि प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परन्तु प्रस्तावित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित है। अतः इस आशय की सूचना नोडल पदाधिकारी के पत्रांक 519 दिनांक 20.06.2022 के कंडिका सं0 20 में प्रतिवेदित है। Part-II के बिन्दु संख्या-8(ii) में नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व के आलावा Elephant Corridor/Wildlife Migration Corridor के संबंध में भी सूचना मांगी गयी है। चूंकि संपूर्ण चाईबासा वन प्रमंडल गज आरक्ष्य के रूप अधिसूचित है। यद्यपि चाईबासा वन प्रमंडल अंतर्गत अधिसूचित Elephant Corridor/Wildlife Migration Corridor नहीं है। परन्तु हाथियों की आवाजाही सालों भर बनी रहती है। हाथियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए ही बिन्दु संख्या-8(ii) में yes लिखा गया है।
vi	विषयक प्रस्ताव में किए गये उल्लंघन के विरुद्ध की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा इस सन्दर्भ में सूचित किया गया है कि विषयक प्रस्ताव में अधिसूचित वनभूमि सम्मिलित नहीं है। अतः भारतीय अधिनियम (बिहार संशोधन अधिनियम 09/1990) 1927 के तहत कार्रवाई नहीं की गयी है। विषयक प्रस्ताव में गैर वनभूमि जंगल-झाड़ी सन्निहत है। अतः Penal PCA/Penal NPV की शर्त अधिरोपित की जा सकती है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की दो प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना प्रस्ताव हेतु कुल 1.66 हे0 वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन (नियमितिकरण) हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं HoFF, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0:-यथोक्त।

अनुपालन प्रतिवेदन दो प्रतियों में।

विश्वासभाजन

  
24/8/22  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

  
24.8.23


कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

(संयुक्त वन भवन कार्यालय चाईबासा, पो-चाईबासा, पो सिंहभूम,  
पिन-833201) दूरभाष-06582-256332 (0) Mail.gov.in-cf-chaibasa@gov.in

पत्र संख्या: CHAI/MIN/...1168.....

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-  
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,  
झारखण्ड, राँची।



चाईबासा, दिनांक - 21-07-2023/

विषय:-

प्रसंग :-

- श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा-बड़ाजामदा, जिला-पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।
- (1) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्र संख्या वनभूमि-21/2022-2097 दिनांक 26.07.2022
  - (2) भवदीय ज्ञापांक 688 दिनांक 27.07.2022
  - (3) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल का पत्रांक 1102 दिनांक 26.06.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा-बड़ाजामदा, जिला-पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 998 दिनांक 08.06.2022 द्वारा प्रस्ताव भवदीय को अग्रसारित किया गया है।

विषयक प्रस्ताव के सन्दर्भ में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रासंगिक पत्र-01 द्वारा कुल 06 (छः) बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए प्रतिवेदन की मांग की गयी है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक 1102 दिनांक 26.06.2023 द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का अनुपालन उपलब्ध कराया गया था। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये वांछित अनुपालन की समीक्षोपरान्त कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 1010 दिनांक 15.06.2023 द्वारा पुनः अनुपालन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। उक्त निदेश के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल के प्रासंगिक पत्र-03 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पुनः वांछित अनुपालन प्रतिवेदन बिन्दुवार उपलब्ध कराया गया है, जो निम्नवत् है :-


क्र.सं.	पृच्छित बिन्दु	अनुपालन
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंतव्य	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पृच्छित बिन्दु संख्या-01 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय से संबंधित है।
2	प्रस्तावित पूर्ण जंगल-झाड़ी भूमि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा सूचित किया गया है कि सक्षम पदाधिकारी उपायुक्त, जिला-पश्चिमी सिंहभूम के ज्ञापांक 378(A) दिनांक 28.12.2022 द्वारा 0.11 हे० तथा ज्ञापांक 669 (B)/रा० दिनांक 31.08.2015 द्वारा 4.00 हे०, कुल 4.11 हे० हेतु प्रस्तावित पूर्ण जंगल-झाड़ी भूमि का अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। अनु०-01 के रूप में संलग्न।
3	FRA प्रमाण पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा उपायुक्त, जिला-पश्चिमी सिंहभूम के पत्रांक 532(B) दिनांक 22.03.2023 द्वारा प्रस्तावित FRA प्रमाण पत्र एवं इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है। अनु०-02 के रूप में संलग्न।

4	विषयक प्रस्ताव में EIA Notification 1994 के आलोक में क्या Environment Clearance प्राप्त करना अनिवार्य था अथवा नहीं, से संबंधित प्रतिवेदन।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा सूचित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पत्रांक शून्य दिनांक 26.05.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि EIA Notification 1994 के अनुसार 100 करोड़ से कम के निवेश को Environment Clearance के दायरे से बाहर रखा गया है। अतः 100 करोड़ से कम निवेश के कारण EIA Notification 1994 के आलोक में Environment Clearance प्राप्त करना अनिवार्य नहीं था। (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित आवेदन तथा EIA Notification 1994 की छायाप्रति संलग्न)। EIA Notification 1994 के पृष्ठ संख्या 03 बिन्दु संख्या:-3(b) तथा पृष्ठ संख्या 05 के बिन्दु संख्या:-13 का अवलोकन किया जा सकता है। अनु०-03।
5	पार्ट-II की कंडिका-8(ii) में अंकित सूचना तथा नोडल पदाधिकारी के पत्रांक 519 दिनांक 20.06.2022 की कंडिका-20 में अंकित सूचना में विरोधाभास को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा इस सन्दर्भ में सूचित किया गया है कि चूँकि प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परंतु प्रस्तावित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित है। अतः इस आशय की सूचना नोडल पदाधिकारी के पत्रांक 519 दिनांक 20.06.2022 के कंडिका सं०-20 में प्रतिवेदित है। Part-II के बिन्दु संख्या-8(ii) में नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व के आलावा Elephant Corridor/Wildlife Migration Corridor के संबंध में भी सूचना मांगी गयी है। चूँकि संपूर्ण चाईबासा वन प्रमण्डल गज आरक्ष्य के रूप अधिसूचित है। यद्यपि चाईबासा वन प्रमण्डल अंतर्गत अधिसूचित Elephant Corridor/Wildlife Migration Corridor नहीं है। परंतु हाथियों की आवाजाही सालों भर बनी रहती है। हाथियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए ही बिन्दु संख्या-8(ii) में yes लिखा गया है।
6	विषयक प्रस्ताव में किए गये उल्लंघन के विरुद्ध की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल द्वारा इस सन्दर्भ में सूचित किया गया है कि विषयक प्रस्ताव में अधिसूचित वनभूमि सम्मिलित नहीं है। अतः भारतीय अधिनियम (बिहार संशोधन अधिनियम 09/1990) 1927 के तहत कार्रवाई नहीं की गयी है। विषयक प्रस्ताव में गैर वनभूमि, जंगल-झाड़ी सन्निहत है। अतः Penal PCA/Penal NPV की शर्त अधिरोपित की जा सकती है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा के प्रासंगिक पत्र-02 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की प्रतियाँ सभी अनुलग्नकों सहित 02 (दो) प्रतियों में अत्र-सह संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

संबंधित परियोजना की संचिका पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। साथ ही इसे PARIVESH PORTAL पर Upload कर दिया गया है।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,  
  
 वन संरक्षक,  
 प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।  


अनु. 1A

89

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी  
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड  
वन भवन, डोरण्डा, रांची-834002

Email : Phone No 0651-2481744

पत्रांक : 276

रांची दिनांक: 16/8/2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड,  
झारखण्ड, रांची।

विषय:- मेसर्स बालाजी इंडस्ट्रियल इंजिनियरिंग मौजा -बड़ाजामदा , पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पून  
आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल- झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- आपका ज्ञापक 519 दिनांक 20.06.2022 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर का  
पत्रांक 1505 दिनांक 08.08.2022 (छाया प्रति संलग्न ) ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र के संदर्भ में वन भूमि अपयोजनाथ समर्पित प्रस्ताव के तहत  
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर का पत्रांक 1505 दिनांक 08.08.2022 एवं क्षेत्रीय वन पदाधिकारियों  
के परियोजना प्रस्ताव में दिए गंतव्य से सहगत होते हुए अधोहस्ताक्षरी का गंतव्य निम्नवत है:-

"विषयक प्रस्ताव अंतर्गत याचित/प्रस्तावित अपयोजन वनभूमि के सिधभूम गज आरक्ष के क्षेत्र  
में पड़ने विषयक आसपास वन्यजीवों के आवासों के गभीर विखंडन के कारण हाथियों की आवाजाही के  
पहले से ही प्रतिबंधित क्षेत्र, और झारखंड में नए क्षेत्रों में फैल रही हाथियों की आवादी के परिदृश्य को  
देखते हुए संघर्ष क्षेत्र को प्रतिबंधित करने और वनों एवं वन्यप्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले क्षेत्र  
में समुचित संरक्षण/प्रबंधन करने हेतु संभावित मानव-वन्यप्राणी द्वन्द के शमन उपायों हेतु प्रयोक्ता  
अभिकरण द्वारा विषय वस्तु विशेषज्ञों की सहायता से Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों  
के परामर्श एवं निदेशन में Integrated Site Specific Wildlife Conservation, Management and  
Mitigation Plan तैयार कर इसे समयवद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा। यह  
मानव-हाथी सह-अस्तित्व क्षेत्र को समर्थन और बढ़ावा देकर किया जा सकता है ताकि परियोजना क्षेत्रों  
के आसपास के क्षेत्र में वन्यजीव के माध्यम से हाथियों के साथ-साथ मानव के कल्याण को बढ़ावा  
दिया जा सके।"

अनुलग्नक यथोक्त

2076  
16/8/22

विश्वासभाजन  
12/8/22  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी  
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

E-mail:- cbsadiv648@gmail.com, dfo-chaibasa@gov.in



पत्रांक : 1102  
सेवा में,

दिनांक : 26/06/2023

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा-बड़ाजामदा, जिला-पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

भवदीय के पत्र संख्या CHA/MIN/1010 दिनांक 15.06.2023 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 985 दिनांक 02.06.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 2097 दिनांक 26.07.2022 द्वारा विषयक परियोजना के संदर्भ में 6 बिन्दुओं पर अनुपालन/प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 985 दिनांक 02.06.2023 द्वारा भवदीय को समर्पित की गयी है। जिसे भवदीय के द्वारा अवलोकनोपरांत निम्न बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी। अतः उक्त के आलोक में पृच्छित बिन्दुओं की अनुपालन/प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

1. बिन्दु संख्या-02 के अनुपालनार्थ अनुलग्नक-01 के रूप में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक 378(A) दिनांक 28.02.2022 नोवामुण्डी अंचल अंतर्गत मौजा-बड़ाजामदा, थाना नं० 774, खाता सं०-05, प्लॉट सं० 2243 में अवस्थित 0.11 एकड़ जंगल-झाड़ी किस्म के वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। तथा पूर्व में विषयक परियोजना हेतु अपयोजित होने वाले 4.00 एकड़ जंगल झाड़ी किस्म के वनभूमि को उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक 669 (बी०) रा० दिनांक 31.08.2015 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। इस प्रकार कुल 4.11 एकड़ जंगल-झाड़ी वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है।
2. उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के ज्ञापांक 669 (बी)/रा० दिनांक 31.08.2015 की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।
3. अनुलग्नकों की प्रतियों को PARIVESH Portal पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः विषयक परियोजना के उल्लेखित बिन्दुओं के आलोक में सभी अनुलग्नकों सहित पुनः प्रतिवेदन/सूचना PARIVESH PORTAL पर Upload करते हुए Online एवं Hard Copy भवदीय को अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा-बड़ालामदा, जिला-पंजाब श्री सिंहभूम में स्थित सज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव में पृच्छित बिन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन।

Sl.no.	Conditions	U.A. Compliance	Comment of DFO
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंत्रालय	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड का मंत्रालय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड के कार्यालय से संबंधित।
2.	प्रस्तावित पूर्ण जंगल-झाड़ी भूमि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	उपायुक्त, जिला-परिचरमी सिंहभूम द्वारा प्रस्तावित पूर्ण जंगल-झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र है एवं श्रापक 378 (4) दिनांक 28.12.2022 (छायापत्ति संलग्न)।	सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है।
3.	FERA प्रमाण पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही के साथ)	उपायुक्त, जिला-परिचरमी सिंहभूम द्वारा प्रस्तावित FERA प्रमाण पत्र पत्रांक 532(B) दिनांक 22.03.2023 एवं इस क्रम में हुई कार्यवाही की छायापत्ति संलग्न।	FERA प्रमाण पत्र (बैठकों की कार्यवाही के साथ) संलग्न है।
4.	विषयक प्रस्ताव में EIA Notification 1994 के आलोक में क्या Environment Clearance प्राप्त करना अनिवार्य था अथवा नहीं, से संबंधित प्रतिवेदन।	EIA Notification सितम्बर 2006 के आलोक में इकाई का Expansion हेतु Regularization से संबंधित Environment Clearance का आवेदन प्रक्रिया में है (छायापत्ति संलग्न)।	प्रयोक्ता अभिकरण के त्रिकांक सूच्य, दिनांक 20.05.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि EIA Notification 1994 के अनुसार 100 करोड़ से कम के निवेश को Environment Clearance के दायरे से बाहर रखा गया है। अतः 100 करोड़ से कम निवेश के कारण EIA Notification 1994 के आलोक में Environment Clearance प्राप्त करना अनिवार्य नहीं था। (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित आवेदन तथा EIA Notification 1994 की छायापत्ति संलग्न)। EIA Notification 1994 के पृष्ठ संख्या 03 बिन्दु संख्या- 3(b) तथा पृष्ठ संख्या 05 के बिन्दु संख्या- 13 का अवलोकन किया जा सकता है।

*m*

<p>5. पार्ट-II की कांडिका-8(ii) में अंकित सूचना तथा नोडल पदाधिकारी के पत्रांक 519 दिनांक 20.06.2022 कांडिका-20 में अंकित सूचना विशेषाभाव को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।</p>	<p>बिन्दु 5 की पृष्ठा का प्रतिवेदन के लिए श्रीमान के समक्ष प्रार्थनीय है-कृपया।</p>	<p>चूँकि परराज्य वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परंतु प्रस्तावित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित है। अतः इस आशय की सूचना नोडल पदाधिकारी के पत्रांक 519 दिनांक 20.06.2022 के कांडिका सं-20 में प्रतिवेदित है। Part-II के बिन्दु संख्या-8(ii) में नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, बायोस्फेयर रिजर्व के आलावा Elephant Corridor/Wildlife Migration Corridor के संबंध में भी सूचना मांगी गयी है। चूँकि संपूर्ण चार्डबासा वन प्रमण्डल गज आरक्ष्य के रूप अधिसूचित है। यद्यपि चार्डबासा वन प्रमण्डल अंतर्गत अधिसूचित Elephant Corridor/Wildlife Migration Corridor नहीं है। परंतु हाथियों की आवाजाही सालों भर यनी रहती है। हाथियों की आवाजाही का ध्यान में रखते हुए ही बिन्दु संख्या-8(ii) में yes लिखा गया है।</p>
<p>6. विषयक प्रस्ताव में किए गये उल्लंघन के विरुद्ध की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।</p>	<p>बिन्दु 6 की पृष्ठा का प्रतिवेदन के लिए श्रीमान के समक्ष प्रार्थनीय है-कृपया।</p>	<p>विषयक प्रस्ताव में अधिसूचित वनभूमि समिलित नहीं है। अतः भारतीय अधिनियम (बिहार संशोधन अधिनियम 09/1990) 1927 के तहत कार्रवाई नहीं की गयी है। विषयक प्रस्ताव में गैर वनभूमि, जंगल-झाड़ी सन्निहत है। अतः Penal PCA/Penal NPV की शर्त अधिसूचित की जा सकती है।</p>

वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
चार्डबासा वन प्रमण्डल, चार्डबासा।





जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय।  
(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो कि अब श्री बालाजी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लिमिटेड है, के द्वारा नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत मौजा-बड़ाजामदा, थाना संख्या-774, खाता संख्या-05 अन्तर्गत विभिन्न प्लॉटों के अन्दर कुल रकबा- 33.21 एकड़ भूमि आयरन एण्ड स्टील प्लांट हेतु लीज बन्दोवस्ती के लिये आवेदन दिया गया था। उक्त के आलोक में मात्र 6.48 एकड़ भूमि भूमि अधिस्त कर कुल 2.48 एकड़ भूमि का लीज बन्दोवस्ती प्राप्त है। शेष 4.00 एकड़ भूमि अतिथान में किस्म जमीन जंगल-झाड़ी दर्ज रहने के कारण कम्पनी के पत्रांक शून्य दिनांक 03.08.2015 के द्वारा अनापत्ति की मांग की गई है। उक्त के आलोक में नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत मौजा- बड़ाजामदा, थाना संख्या-774, खाता संख्या-05, प्लॉट संख्या-2243, रकबा-4.00 एकड़ किस्म जंगल-झाड़ी अनाबाद मालिक भूमि पर रॉ गेटेरियल भंडारण हेतु विभागीय पत्रांक-1817/रा० दिनांक-30.04.2015 के आलोक में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक-669(बी)/रा० दिनांक-31.08.2015 के द्वारा अनापत्ति दी गई है।

वर्तमान में उप परामर्शी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2097/व०प० दिनांक-26.07.2022 के द्वारा मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग लिमिटेड से स्पंज आयरन प्लांट हेतु प्रस्तावित पूर्ण जंगल-झाड़ी (4.11 एकड़) भूमि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र की मांग की गई है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा अवशेष 0.11 एकड़ किस्म जमीन जंगल-झाड़ी अनाबाद मालिक झारखण्ड सरकार भूमि का अनापत्ति हेतु अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी के पत्रांक-596 दिनांक-03.12.2022 के द्वारा आवेदित भूमि का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है।

विभागीय पत्रांक-1817/रा० दिनांक-30.04.2015 के कंडिका-2 में निहित प्रावधान के अनुसार एक परियोजना के अन्तर्गत अधिकतम 25.00 (पच्चीस) एकड़ तक भूमि का गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए संबंधित उपायुक्त को प्राधिकृत किया गया है।

“गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो रॉ गेटेरियल भंडारण हेतु मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के द्वारा आवेदित है तथा जंगल-झाड़ी भूमि है, की विवरणी निम्नवत् है --

क्र०	अंचल का नाम	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	किस्म
1	नोवामुण्डी	बड़ाजामदा	774	05	2243	0.11	जंगल-झाड़ी

उपरोक्त के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात उसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।

गैर मजरूआ (Deemed Forest) भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) के लिए निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बाद उपरोक्त प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक उसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन

*(Handwritten signature)*

जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

87

ज्ञापांक- 378 (A) दिनांक- 28/12/2022  
प्रतिलिपि- श्री बालाजी इंडस्ट्रियल इंजीरियरिंग, बस्ती रोड, बड़ाजामदा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि- अंचल अधिकारी, नोवामुण्डे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दक्षिणी वन प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

*[Signature]*  
जिला दण्डाधिकारी -सह- उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

# उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय।

(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के पत्रांक- BIPL/BS/04/0002 दिनांक- 05.05.2004 के द्वारा अंचल- नोवामुंडी, गौजा- बड़ाजामदा, थाना सं०- 774, खाता सं०- 05 अर्न्तगत विभिन्न प्लॉटों के अन्दर कुल रकवा- 33.21 एकड़ भूमि रॉ मटेरियल भंडारण हेतु गैर मजरूआ सरकारी भूमि सशुल्क हस्तांतरण का अधियाचना समर्पित किया गया था। तदनुसार मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग लिमिटेड के पत्रांक- शून्य, दिनांक- 03.08.2015 के द्वारा कुल अधियाचित रकवा में से खाता सं०- 05, प्लॉट सं०- 2243, रकवा- 4.00 एकड़, किस्म- जंगल-झाड़ी रॉ मटेरियल भंडारण हेतु गैर मजरूआ भूमि के अनापत्ति हेतु अनुरोध किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा दक्षिण वन प्रमंडल के पत्रांक- 1184, दिनांक- 23.05.2007 के द्वारा उपरोक्त 4.00 एकड़ जंगल-झाड़ी अनावादा बिहार सरकार की भूमि के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। विभागीय पत्रांक- 1817/रा०, राँची, दिनांक- 30.04.2015 के कंडिका- 2 में निहित प्रावधान के अनुसार एक परियोजना के अर्न्तगत अधिकतम 25.00 (पचीस) एकड़ भूमि तक का गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए संबंधित उपायुक्त को प्राधिकृत किया गया है।

"गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि, जो रॉ मटेरियल भंडारण हेतु मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा आवेदित है तथा जंगल-झाड़ी भूमि है, की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	अंचल का नाम	ग्राम का नाम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा (एकड़ में)	किस्म
1.	नोवामुंडी	बड़ाजामदा	774	05	2243	4.00	जंगल-झाड़ी

उपरोक्त के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।

गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) के लिए निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बाद उपरोक्त प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि के उपयोग की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक उसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त,

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक 667(2)/रा०


दिनांक 31-08-2015

प्रतिलिपि : मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा दक्षिण वन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।



**अचल अधिकारी का कार्यालय, नोवामुण्डी।**

Email id-[conoamundi001@gmail.com](mailto:conoamundi001@gmail.com)

पत्रांक 596 दिनांक 3-12-22

प्रकार-

अचल अधिकारी  
नोवामुण्डी।

संबंध में-

अपर उपायुक्त  
प्र० सिंहभूम चौईवासा।

विषय-

मोजा-बडाजामदा, थाना न०-774, खाता न०-05, प्लॉट न०-2243, आंशिक रकवा-0.11एकड़ जंगल-आडी भूमि का जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग-

भवदीय पत्रांक 1954(वी)/स० दिनांक 29.11.2022

महत्वशय

उपरोक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के आलोक में कहना है कि राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अचल निरीक्षक श्री दीपक कुमार वारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री बदाजी इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग लि० बडाजामदा के द्वारा मोजा-बडाजामदा, थाना न०-774, खाता न०-05, प्लॉट न०-2243, आंशिक रकवा-0.11एकड़ किरम जमीन-जंगल-आडी से संबंधित भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किया है। उक्त भूमि हाल सर्वे खतियान में मोजा-बडाजामदा, थाना न०-774, खाता न०-05, प्लॉट न०-2243, रकवा-12.00एकड़ किरम जमीन-जंगल-आडी अनावाद मालिक के नाम से दर्ज है। पूर्व में उक्त भूमि के कुल रकवा-12.00 एकड़ में से आंशिक रकवा-4.11एकड़ भूमि में से 4.00 एकड़ भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में आवेदित रकवा-0.11एकड़, रकवा-4.11 एकड़ का ही अंश है। खतियान में जंगल-आडी अनावाद मालिक के नाम से दर्ज है।  
अतः सादर सूचनाएं प्रेषित।

विश्वासभाजन

अचल अधिकारी  
नोवामुण्डी।

31/0-02 (81)

Annexure - II

FORM - II

(For Projects other than Linear projects)  
GOVERNMENT OF BIHAR

Office of the District Collector, West Singhbhum, Chhatisgarh

NO: 532 (B)

DATE: 22.3.2023

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India, letter No. 11/2006-FC (iii) Dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the Jungle Jhari land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 4.11 Acre of forest land (proposed to be diverted in favour of M/S SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED, BARA JAMDA for (purpose for diversion of forest land) in WEST SINGHBHUM district falls within jurisdiction of BARA JAMDA Sub-division of NADAMUNDI Tehsil.

It is further certified that

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.11 Acre of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-Division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure II to III Annexure
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers who are eligible under the FRA
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of BARA JAMDA villages (s) is enclosed as annexure
- (d) the discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it
- (f) the rights of Panchaj Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA

Enclosure: as above



*Awantika*  
Deputy Commissioner  
West Singhbhum, Chhatisgarh  
(Full Name and office seal  
of the District Collector)

Digitally signed by Deputy Commissioner, West Singhbhum, Chhatisgarh, DN: cn=Deputy Commissioner, West Singhbhum, Chhatisgarh, o=West Singhbhum, Chhatisgarh, ou=West Singhbhum, Chhatisgarh, email=, c=IN

80

भारत सरकार,  
वन एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र

सुनील कुमार,  
सर्वकार के उप सचिव।  
सेवा में

सभी उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,  
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,  
वन अधिकार अधिनियम, 2006

विषय:- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि अपयोजन  
रॉंची, दिनांक-  
में अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन  
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध

प्रसंग:- विधानीय पत्रांक-2659 दिनांक-28.07.10 एवं ज्ञापक-2682 दिनांक-  
30.07.10

नहाशय,  
निदेशानुसार उपायुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम,  
1980 के अंतर्गत वन भूमि अपयोजन के मामलों में अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य  
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के  
अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिशा-निर्देश एवं प्रपत्र उपलब्ध कराया गया  
था। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-FC (PL)  
दिनांक-15.01.14 तथा 05.07.13 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा यह संदर्भ में संशोधित  
दिशा-निर्देश एवं प्रपत्र निर्गत किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि भारत सरकार के उक्त  
दिशा-निर्देशों के अनुसार वन भूमि अपयोजन के प्रस्तावों के साथ अनुसूचित जन-जाति  
एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के  
प्रावधानों के अनुपालन हेतु संशोधित विहित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र संबंधित अभिलेखों के  
साथ समर्पित काली वनी कृपा की जाय।  
अनु०-संशोधित।

विध्वासभाजन,

ह०/-

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक-2/वन भूमि-16/2010-1758

30 प०, रॉंची, दिनांक-3/4/2014

प्रजिलाभि-सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय  
आयुक्त, झारखण्ड/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, सची/प्रधान मुख्य वन  
संरक्षक-साह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, सची/सभी क्षेत्रीय मुख्य  
वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी,  
झारखण्ड/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, झारखण्ड, सचि को अनुसूचित/सहित सूचनाएं एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

79

Spl. Secy  
31 JAN 2014  
भारत सरकार

F. No: 11-9/ 98-FC (pt.)  
Government of India  
Ministry of Environment & Forests  
(FC Division)

Paryavaran Bhawan,  
CGO Complex, Lodhi Road,  
New Delhi-110 003  
Dated: 15<sup>th</sup> January 2014

The Principal Secretary (Forests),  
All State/Union Territory Governments.

Sub: Diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980 — ensuring compliance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letters of even number dated 5<sup>th</sup> July 2013 on the above-mentioned subject where under this Ministry sent a copy of formats for submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, and to clarify further as below in respect of certificates required for linear projects (Form-1) and other than linear projects (Form-1).

(i) Form-1 for projects other than linear projects stipulates certificate from the district collector on six counts, including consent of gram sabha for the project, as provided in clause (b) (c) and (d) of the format. Whereas Form-1 for linear projects stipulates certificates from the concerned district collector on only three counts which do not include consent from the gram sabha concerned for the linear project per se.

(ii) The consent stipulated in phrase "Gram Sabhas have given their consent to it" appearing in clause (b) of Form-1 for linear projects is for diversion of forest land for the facilities managed by Government in accordance with the provisions of section 3 (2) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, and

(iii) It is re-iterated that as mentioned by this Ministry in its letter of even number dated 5<sup>th</sup> February 2013, after consultation and concurrence of the Ministry of Tribal Affairs, linear projects, except those involving recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, are exempted from requirement of obtaining consent for such projects from such concerned Gram Sabha.

Yours faithfully

(H.C. Chaudhary)  
Assistant Inspector General of Forests

03 FEB 2014


Copy To:

1. The Secretary, Ministry of Tribal Affairs, New Delhi.
2. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
3. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments.
4. All Regional Offices, Ministry of Environment & Forests.

78

5. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF.
6. All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in Forest Conservation Division, MoEF.
7. Director R.O. (HO), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
8. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
9. Guard File.

*(Signature)*  
(H.C. Chaudhary)  
Assistant Inspector General of Forests



L. No. 11-9/98-FC (pt)  
Government of India  
Ministry of Environment & Forests  
(FC Division)

25/38

Parvavaran Bhawan  
CGO Complex, Lodhi Road,  
New Delhi-110 003  
Dated: 5<sup>th</sup> July, 2013

To:  
The Principal Secretary (Forests),  
All State/ Union Territory Governments

Sub: Diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980 - ensuring compliance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's letters of even number dated 3<sup>rd</sup> August 2009 and dated 5<sup>th</sup> February 2013 on the above mentioned subject wherein this Ministry issued detailed guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, and to say that certificate in accordance with the said letters in respect of (a) linear, and (b) other projects shall be submitted in the formats enclosed as Annexure-I (FORM-I) and Annexure-II (FORM-II) respectively.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(H.C. Chaudhary)  
Assistant Inspector General of Forests

Copy To:

1. The Secretary, Ministry of Tribal Affairs, New Delhi.
2. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
3. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments.
4. All Regional Offices, Ministry of Environment & Forests.
5. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF.
6. All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in Forest Conservation Division, MoEF.
7. Director R.O. (HQ), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
8. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
9. Guard File.

(H.C. Chaudhary)  
Assistant Inspector General of Forests

29/7/13

2

76

175  
90

Annexure I

FORM-I  
(for linear projects)  
Government of .....  
Office of the District Collector .....

No .....

Dated.....

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 31 August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA), (or short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that ..... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ..... (name of user agency) for ..... (purpose for diversion of forest land) in ..... district falls within jurisdiction of ..... village(s) in ..... tehsils.

It is further certified that

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ..... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ..... to ..... annexure .....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)

75

FORM-II  
(for projects other than linear projects)  
Government of .....  
Office of the District Collector

\*\*\*

No: .....

Dated .....

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that..... hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ..... (name of user agency) for ..... (purpose for diversion of forest land) in ..... district falls within jurisdiction of ..... village(s) in ..... tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ..... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ..... annexure .....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of ..... villages(s) is enclosed as annexure ... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above.

Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)

दिनांक 09.01.2023 को अनुमण्डल पदाधिकारी जगन्नाथपुर की अध्यक्षता में अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- पंजी में :-

प्रस्ताव सं.-01- जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक 1144(बी.)/क., दिनांक 02.08.2022 के आलोक में मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा के द्वारा मौजा- बड़ाजामदा, थाना नं.- 774, खाता नं. 05, प्लॉट नं.- 2243, रकवा 4.11 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि पर Diversion Proposal के अपयोजन से सम्बंधित ग्राम- बड़ाजामदा के ग्रामीण मुण्डा श्री दिगम्बर चातोम्बा के अध्यक्षता में दिनांक 09.12.2022 को पूर्वाह्न 10:30 बजे खासजामदा बस्ती में स्थायी निवासी ग्रामीणों की उपस्थिति में ग्रामसभा का आयोजन किया गया। ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्ताव मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा के आवेदित रकवा 4.11 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि पर Diversion Proposal अपयोजन हेतु सर्वसम्मति से पारित किया गया है। तथा अंचल अधिकारी नोवामुण्डी के पत्रांक 642, दिनांक 28.12.2022 द्वारा उक्त वन भूमि में आदिम जनजाति (PTG) एवं पूर्व कृषक समुदाय (PAC) प्रभावित नहीं होने से सम्बंधित प्रतिवेदन दिया गया है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अभिलेख एवं प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में सधन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

सदस्य अनुमण्डल  
स्तरीय वनाधिकार  
समिति, जगन्नाथपुर  
09/01/2023

प्र.कल्याण पदा.  
नोवामुण्डी-सह-अनु.क.पदा.,  
जगन्नाथपुर  
09/01/2023

सहायक वन  
संरक्षक चाईबासा  
09/01/2023

सहायक वन  
संरक्षण सारण्डा,  
चाईबासा।

अनुमण्डल पदाधिकारी  
जगन्नाथपुर।  
09/01/2023



भारत सरकार

## अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, जगन्नाथपुर

63 (73)

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी,  
जगन्नाथपुर।

पत्रांक : 09/स्त०

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

जगन्नाथपुर, दिनांक : 09 जनवरी 2023

विषय :-

मौजा- बड़ाजामदा, थाना नं.- 774, खाता नं. 05, प्लॉट नं. 2243, रकवा 4.11 जंगल झाड़ी भूमि पर (Forest Right Act) के तहत मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा द्वारा Diversion Proposal के अपयोजन हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के निमित्त त्रुटियों का निराकरण के पश्चात् अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव का प्रेषण।

प्रसंग :-

जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक 1144(बी)/रा., दिनांक 02.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक द्वारा उठाये गये कतिपय बिन्दुओं का त्रुटिनिराकरण के पश्चात् अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी के पत्रांक 642, दिनांक 28.12.2022 द्वारा मौजा- बड़ाजामदा, थाना नं.- 774, खाता नं. 05, प्लॉट नं. 2243, रकवा 4.11 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि पर (Forest Right Act) के तहत मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा द्वारा Diversion Proposal के प्रयोजन हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत के निमित्त प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में दिनांक 09.01.2023 को अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की गई।

अतः अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन एवं पारित मूल प्रस्ताव जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

09/01/2023  
अनुमण्डल पदाधिकारी  
जगन्नाथपुर।



संघीय सरकार

अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, जगन्नाथपुर  
(कल्याण शाखा)

72

प्रेषक,

अनुमण्डल पदाधिकारी  
जगन्नाथपुर।

पत्रांक : 212(11)/क०

सेवा में,

सहायक वन संरक्षक, चाईबासा,  
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

सहायक वन संरक्षक,  
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी -सह-  
अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी,  
जगन्नाथपुर।

श्री सोनू सिरका  
अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति सदस्य  
किरीबुरु टाउनशिप क्वार्टर नं० 86/1-E-Type  
पोस्ट - किरीबुरु 833222

वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
नोवामुण्डी, किरीबुरु सासंगदा, गुवा

जगन्नाथपुर दिनांक : 30 दिसम्बर 2022।

विषय :-

अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में भाग लेने के सम्बन्ध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में कहना है कि वनाधिकार अधिनियम के तहत मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा द्वारा Diversion Proposal के प्रयोजन हेतु अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा पारित हेतु दिनांक 09.01.2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे अनुमण्डल कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गई है।

अतः निर्धारित तिथि को ससमय बैठक में भाग लेना सुनिश्चित किया जाता है।

विश्वासभाजन

30/12/2022  
अनुमण्डल पदाधिकारी  
जगन्नाथपुर।

71



प्रेषक,  
अंचल अधिकारी  
नोवामुण्डी।

अंचल अधिकारी का कार्यालय, नोवामुण्डी।

पत्रांक.- 642 दिनांक- 28/12/2022

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी  
जगन्नाथपुर।

विषय:-

मौजा-बड़ाजामदा, थाना नं० 774, खाता नं० 05 प्लॉट नं० 2243, रकबा 4.11 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि पर Forest Right Act के तहत श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा द्वारा Diversion Proposal के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत हेतु ग्राम सभा की प्रति भेजने के संबंध में।

प्रसंग:-

जिला कल्याण पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक 1144(बी)/क० दिनांक 02.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के आलोक में कहना है दिनांक 09.12.2022 को श्री दिगम्बर चातोम्बा, मुण्डा ग्राम बड़ाजामदा की अध्यक्षता में मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा को Diversion Proposal के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत हेतु पूर्वाह्न 10.30 बजे मौजा बड़ाजामदा टोला खासजमदा बस्ती में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है।

अतः इस पत्र के साथ ग्राम सभा की छाया प्रति, फोटो ग्राफ, नक्शा एवं प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक:- ग्राम सभा की पंजी की छाया प्रति।  
फोटो ग्राफ प्रति  
अभिलेख एक प्रति  
नक्शा एक प्रति

विश्वासभाजन

28/12/22  
अंचल अधिकारी  
नोवामुण्डी।

ज्ञापांक. 642 दिनांक. 28/12/2022

प्रतिलिपि: - जिला कल्याण पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा के ज्ञापांक 1144(बी)/क० दिनांक 02.08.2022 के आलोक में ग्राम सभा की पंजी की छाया प्रति, फोटो ग्राफ की प्रति एवं नक्शा एक प्रति के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/12/22  
अंचल अधिकारी  
नोवामुण्डी।



अंचल अधिकारी का कार्यालय, नोवामुण्डी।

Email Id: condamund1001@gmail.com

70

प्रेषित,

पत्रांक 580(A) दिनांक 22/11/2022

श्री दिगम्बर चातोम्बा,  
ग्रामीण मुण्डा  
बड़ाजामदा।

विषय:-

ग्राम-सभा आयोजन करने के संबंध में।

अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर के पत्रांक 312(बी)/सा० दिनांक 10.08.2022 के आलोक में मौजा-बड़ाजामदा, थाना नं०-774, खाता नं०-05, प्लॉट नं०-2243, रकबा-4.11 एकड़ किस्म जमीन जंगल झाड़ी भूमि FRA (Forest Right Act) अन्तर्गत Diversion Proposal हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत के लिए ग्राम-सभा का अनापत्ति आवश्यक है। उक्त से संबंधित दिनांक 26.08.2022 को निर्धारित किया गया था। प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण स्थगित किया गया। पुनः दिनांक 09.09.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय बड़ाजामदा परिसर ग्राम-सभा की तिथि निर्धारित की गई थी, परन्तु अपरिहार्य के कारण से ग्राम-सभा की कार्यवाही सपन्न नहीं हो पायी। पुनः दिनांक 12/12/2022 को उक्त से संबंधित ग्राम-सभा आयोजन की गई है। ग्राम-सभा की सूचना डाकुंवा के माध्यम से डील पीटवा कर प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण मुण्डा की अनुपस्थिति में पंचायती राज अधिनियम-2001 के तहत ग्राम-सभा में से उपस्थित किसी व्यक्ति को अध्यक्ष मनोनित कर उनके अध्यक्षता में ग्राम-सभा की कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि उक्त निर्धारित तिथि को ग्रामीण मुण्डा के माध्यम से ग्राम-सभा में पारित प्रस्ताव की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करेंगे।

अंचल अधिकारी,  
नोवामुण्डी।

पत्रांक 580(A) दिनांक 22/11/2022

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष/सचिव/एवं सदस्यगण ग्राम वनाधिकार समिति, बड़ाजामदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- राजस्व उपनिरीक्षक-सह-प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री दीपक कुमार वारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- पंचायत सचिव श्री सोमनाथ पिंगुवा को ग्राम-सभा में अधिक से अधिक ग्रामीण जनताओं की भर्गीदारी के लिए प्रचार-प्रसार करने हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी श्री रवीन्द्र कुमार सिंहदेव को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार सदस्य श्री सोनु सिसयाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी, मुक्ता रेज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मेसर्स बलराज इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लि० बड़ाजामदा को ग्राम-सभा के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी, जगन्नाथपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला कल्याण पदाधिकारी, प० सिंहभूम, चाईबासा, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अंचल अधिकारी,  
नोवामुण्डी।

विजय बोहरा  
अध्यक्ष  
ग्राम वनाधिकार समिति

अध्यक्ष  
ग्राम वनाधिकार  
समिति





उत्तरीय र सुभाषीन संस्कृत

(1)	रमेश प्रसाद	रमेश प्रसाद
(2)	Roshan Lama	रुद्र
(3)	कमला गोप	कमला गोप
(4)	बुदनी विरिजा	[blacked out]
(5)	बुदनी पुति	बुदनी पुरती
(6)	हिंदु निषाद	हिंदु निषाद
(7)	सुनि लहरा	Ramit Jabra
(8)	कांडे सुडी	[blacked out]
(9)	जामुन सिंह कुंकल	जामुन सिंह कुंकल
(10)	सरजोम सुडी	[blacked out]
(11)	शिवा सिकु	शिवा सिकु
(12)	नारायण सिंह	नारायण सिंह
(13)	डगडु गोप	[blacked out]
(14)	पुनम दास	पुनम दास
(15)	बाबू राम दास	बाबू राम दास
(16)	करिना नाग	[blacked out]

Date: \_\_\_\_\_  
Page: 18

(11)	रामजीव चौबोंगा	
(12)	महारा चौबोंगा	
(13)	दीने चौबोंगा	
(14)	राजकुमार हेरसा	Rajkumar Hessa
(15)	मुरली हेरसा	Murli Hessa
(16)	कांडे कुंभे	Kande Kumbhe
(17)	संजय निपाद	Sanjay Nisad
(18)	सीता कुंडी	Sheeta Kundli
(19)	विष्णु निपाद	Vishnu Nisad
(20)	पद्मा देवी	Padma Devi
(21)	विजय पुनी	Vijay Puni
(22)	रमेश हेरसा	Ramesh Hessa
(23)	रजेश चौप	Rajesh Choup
(24)	रंजनी हेरसा	
(25)	दिलिप हेरसा	
(26)	छोणरा वारी	
(27)	राजकुमार पित्रा	

65


(34)	विमोघ गोप	विमोघ गोप
(35)	राजवती बागें	राजवती बागें
(36)	जितेन्द्र बिरुवा	जितेन्द्र बिरुवा
(37)	शुभला शुभला	शुभला शुभला
(38)	सुभम साव	Subham Saw
(39)	राजेन्द्र निषाद	राजेन्द्र निषाद
(40)	कांती निषाद	Kanti Dev
(41)	रानी हेरिया	
(42)	सुधीम गोप	
(43)	वावदिम सुडी	
(44)	राजकुमारी निरिया	
(45)	पुनकुमी चातक	
(46)	राधिका मिंजा	
(47)	पुजवती कुमारी	
(48)	विमोघ राम	Bingd Ram
(49)	शुभ प्रसाद	शुभ प्रसाद
(50)	रंजित प्रसाद	Ranjit Prasad

29

2020-21

(51)	विजय गौड़	विजय गौड़
(52)	रीना गौड़	रीना गौड़
(53)	निना कुमर	
(54)	सरला देवी	
(55)	कुशी कुमर	
(56)	संजय निरिमा	Sanjay Nirima
(57)	सुनील सुता	Sunil Suta
(58)	वासु पुती	Vasuputi
(59)	रमेश पुती	Ramesh Putee
(60)	जिनंद्र निषाद	Jinandra Nishad
(61)	कार्तिक गोप	Kartik Gope
(62)	राम गोप	Ram Gope
(63)	विजय मुख	Vijay Mukh
(64)	रजक साव	Rajak Saw
(65)	राजु बालमुकु	Raju Balamuku
(66)	प्रहलाद सुता	Prahlada Suta
(67)	विजय सुता	Vijay Suta

(Sl. No.)	Name	Name
(66)	हुनारी जोग	Hunari Jogi
(67)	सोनी शर्मा	Sony Sharma
(70)	सिकन्दर निखाद	Sikandar Nisad
(71)	संछा देवी	Sancha Devi
(72)	शिखा कुमारी	Shikha Kumari
(73)	शिवा पन्साद	Shivapansad
(74)	सीमा देवी	Siama Devi
(75)	रीतु सुरेन	Ritu Suran
(76)	रिंकी गगरी	Rinki Gargi
(77)	बबलु शाय	Bablu Shai
(78)	विरसा सुर	Virasa Sur
(79)	दिखा सुर	Dikha Sur
(80)	विमला जोग	Vimla Jogi
(81)	रुपेश सिंगु	Rupesh Singu
(82)	देबेन्द्र लामरी	Debedra Lamari
(83)	धनश्याम लामरी	Dhanashyam Lamari
(84)	अमन शर्मा	Aman Sharma



3

85	शोनी देवी	
86	हुंगी देवी	
87	जानकी सुरे	जानकी सुरे
88	जोगिन गोप	जोगिन गोप
89	धर्मेश्वर साव	धर्मेश्वर
90	दिपेश गोप	<del>दिपेश गोप</del>
91	वज्ररंग गोप	Vajrang gop
92	विजय हीनाश	विजय हीनाश
93	राज गुप्ता	राज गुप्ता
94	काठ राम	
95	सूर्यनाथ राव	Suryanath
96	बलराम राव	बलराम राव
97	बोदो मोहर	
98	जानकी पूर्ण	
99	रानी निखाद	Ranisubhadra
100	बंटी निखाद	बंटी निखाद
101	मिजी पात्री	मिजी पात्री

6

(101)	अभिषेक पांडे	अभिषेक पांडे
(102)	कमलेश कुमार	कमलेश कुमार
(103)	वीरलाल शोष	
(104)	मंगल पुष्टी	
(105)	मदन विरिजा	
(106)	दुर्गुनी चारोमबा	
(107)	सुनील हेल्ला	सुनील हेल्ला
(108)	अनंत जोहरा	अनंत जोहरा
(109)	अजय कुमार	Ajay Kumar
(110)	विजय मुंडा	विजय मुंडा
(111)	बुधराज सोन	बुधराज सोन
(112)	देवेन्द्र देवगन	Deendra Devgan
(113)	मुन्ना पुष्टी	Munna Pusthi
(114)	शोभन कौज	शोभन कौज
(115)	कौंदा अंगराई	कौंदा अंगराई
(116)	दिलिप हावका	दिलिप हावका
(117)	राजु लागुरी	राजु लागुरी



59


Date  
Page 25

1975-76 (1st) पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत परियोजना के अंतर्गत से अनुसूचित जाति एवं अल्प संख्यक वर्ग निवासियों (वर्ग आधारित) की भागीदारी प्रोत्साहित करने के लिए 2006 की संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए प्रायः सभी जिलों में जिला स्तर पर अल्प संख्यक वर्गों के प्रति अतिरिक्त व्यवस्थापन योजना (परियोजना का नाम) के लिए अतिरिक्त अंगल भांडी भूमि योजना - अतिरिक्त अंगल भांडी भूमि संख्या 2243, रकबा 4.11 एकड़ सरकारी अथवा निजी (अंगल भांडी भूमि) को अंतर्भूत करने सहमति व्यक्त की है।

Signature  
Date 12/12/22  
अध्यक्ष  
अंगल भांडी  
774







131 रानी देवी --- रानी देवी

132 रानीया खान --- रानीया खान

133 सुरनराम सुरेन --- सुरनराम सुरेन

134 सुनीता सुरेन ---

135 गुरुवारी सुरेन ---

136 सुमनाथ सुरेन --- सुमनाथ सुरेन

137 दुम्बी सुरेन --- दुम्बी सुरेन

138 लखवती चणोप ---

139 गुरुवारी सुरेन ---

140 गंगाराम सुरेन ---

141 मनोज सुरेन --- मनोज सुरेन

142 कान्हे लोहार --- कान्हे लोहार

143 जका लोहार ---

144 रोमा सुरेन ---

145 विष्णु सुरेन --- विष्णु सुरेन

146 डिलिल गजरा ---

147 लखन जोष ---



- 165 पुष्पनी सुरेन -
- 166 गिरणी जगराई -
- 167 कांडे वृंवल - कावले वृंवल
- 168 देवानी गोप - देवनी गोप
- 169 श्रीमहि गोप -
- 170 रतनी गोप -
- 171 श्रीमहि महले - श्रीमहि महला
- 172 शीम गोप - शीम गोप
- 173 मालती गोप - मालती गोप
- 174 राजेश चौधरी - Rajesh Chaudhary
- 175 कुडवेसम विंगवा -
- 176 ववल कोडा -
- 177 लक्ष्मण विरिगा -
- 178 सिरिकान्त गोप - साकातगोप
- 179 लक्ष्मी खानमात -
- 180 जानकी कोडा - जानकी कोडा
- 181 युड भायट -

182 देवना लिपि

183 पिंकी दोराइवुड

184 लक्ष्मी नागव - लक्ष्मी नागव

185 कुडी नागव - कुडी नागव

186 राजेश गोप - राजेश गोप

187 सुनील गोप - सुनील गोप

188 लक्ष्मी कोडा - लक्ष्मी कोडा

189 शीमा अंगरई - शीमा अंगरई

190 गोविंद लोत्र

191 मातु लिपि

192 लक्ष्मी अंगरई - लक्ष्मी अंगरई

193 पिंकी दोराइवुड - पिंकी दोराइवुड

194 पोरनो गोप - PORNAGOPE

195 लक्ष्मी देवी - लक्ष्मी देवी

196 शीमा देवी - शीमा देवी

197 केंकाश गोप - केंकाश गोप

198 लोनी सिंद - लोनी सिंद

- 199 गीत संग्रह --- Gita Harbaran
- 200 Halayami Party --- Halayami Party
- 201 लगीत हेरना --- ज्योति हेरना
- 202 आरती हेरना --- अरती हेरना
- 203 मीनी हेरना --- मिनी हेरना
- 204 नरेशा सिंघ --- नरेशा सिंघ
- 205 गंगी कुई ---
- 206 डीवरो पुरी --- डोवरो पुरी
- 207 जशोदा गोप ---
- 208 जानकी गोप ---
- 209 बल्लन गोप ---
- 210 पंजाबी गोप --- Panjabi Gope
- 211 मानसिंह --- म. सिंह
- 212 सुजित-चरब्या --- Sujit Charaby
- 213 सुमार गोप --- Suamar Gope
- 214 Shuvajit Majumdar --- Shuvajit
- 215 सुमन कलम --- Suman Kalam

5

(p) 37

03/12

### प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड बड़ाजामदा, परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित जंगल झाड़ी भूमि मौजा-- बड़ाजामदा थाना न० 774, खाता संख्या -05, प्लॉट संख्या-- 2243, रकबा 4.11 एकड़ संरक्षित वनभूमि को अपयोजन कर (वनभूमि वं क्षेत्रफल) के संबंध में अनुरूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न हैं।

2. प्रमाणित किया जात है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यापित कर दी गई है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति को कोरम पूर्ण था।

4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं कृषक समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के वन अधिकार अनुरूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जानेवाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव यदि कोई हो के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत वनभूमि अपयोजन के मामलों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक एम० नं० - 11/9/1998-ए०(ए०) प्रावधानों के अनुपालन कराने के उद्देश्य से अ०ज०जा० एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा-3 (2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा मेसर्स बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड बड़ाजामदा, परियोजना (परियोजना का नाम) के लिए प्रस्तावित जंगल झाड़ी भूमि मौजा-- बड़ाजामदा थाना न० 774, खाता संख्या -05, प्लॉट संख्या-- 2243, रकबा 4.11 एकड़ संरक्षित वनभूमि को अपयोजन हेतु सहमति व्यक्त की है।

मुण्डा

मुण्डा  
दिगम्बर धाकोन्वा  
मौजा - बड़ाजामदा  
थाना न० 774


उपायुक्त,

प० सिंहभूम, चाईबासा।

सह-अध्यक्ष-

जिला सारीय वन अधिकार समिति  
वन अधिकार अधिनियम, 2006

जामशान कला जामदा  
भाना फोल्ड 1-7  
मानदा- 068  
फोल्ड जामदा  
जिला सिंधुभूम  
पैमाना 1 इंच = 9 मीटर  
सन 1960-61 ई०



Johabat  
H. S. S.

DK 3  
K.C. S.P.


प्रभाती  
वन परिस्तर पदाधिकारी  
जामदा वन परिस्तर

For SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LTD

Authorized Signatory.

9/11/22

श्री बालाजी इंडस्ट्रियल एंजिनियर्स लि.  
 भा.नं. १२३४/१२  
 भा.नं. १२३४/१२  
 प्लॉट नं. १२३४/१२  
 प्लॉट नं. १२३४/१२  
 प्लॉट नं. १२३४/१२



*Johal*  
*H. S. J.*

*D.K.*  
*K.C. & Co.*

For SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LTD.

*[Signature]*  
 Authorised Signatory.

*[Signature]*  
 जमीन वन परिसर पर्यावरण  
 जामदा वन परिसर

*[Signature]*  
 मुण्डा  
 दि. गम्बर रातो  
 भा.नं. १२३४/१२  
 प्लॉट नं. १२३४/१२

दिनांक 22.02.2023 को जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में हुई  
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 22.02.2023 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन नियमों के अन्तर्गत की  
मान्यता अधिनियम 2006 के तत्संबंधी नियम 2008 एवं सशोधित नियम 2012 के तहत  
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित  
सदस्य उपस्थित हुए :-

1. जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा
4. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा
5. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा
6. जिला कल्याण पदाधिकारी, प0 सिंहभूम, चाईबासा
7. जुलियस दास, गोईलकेरा - सदस्य
8. लक्ष्मण सोय, ताम्बो, चाईबासा - सदस्य
9. श्रीमती नन्दी मेलगाण्डी, गोईलकेरा - सदस्य
1. सचिव-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, प0 सिंहभूम,  
चाईबासा के द्वारा बतलाया गया कि तीनों अनुमण्डल से अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति से अनुमोदित  
अंचलवार/ग्रामवार निम्न प्रकार दावा प्राप्त हुआ :-

क्र0	अनुमण्डल का नाम	प्रखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	व्यक्तिगत दावों की सं0	सामुदायिक दावों की सं0
1	2	3	4	5	6
1	पोड़ाहाट चक्रधरपुर	गोईलकेरा	तागाउली	12	1
			बाईकोचा	10	0
			बुरुछुँटपाई	6	0
			काकारुदा	1	0
			टुण्डिका, छतियानबेड़ा	18	0
		बन्दगांव	देशाउलीबेड़ा	4	0
			गोंदउली	9	0
			बुरुआडी	16	0
			जातबेड़ा	4	0
			कुल :-	80	2
2	सदर चाईबासा	खुँटपानी	छोटा लंगिया	0	1

2. समिति द्वारा अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समितियों से प्राप्त गोईलकेरा, बन्दगांव, एवं  
खुँटपानी प्रखण्ड के 80 व्यक्तिगत एवं 02 सामुदायिक दावा अभिलेखों का मिलान किया गया। इसी  
सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वन अधिकार समिति से पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन जो सभी  
आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों का पॉलीगॉन, एवं जी0पी0एस0 (सीपी)  
सहित अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति के पास भेजेगे। तदोपरान्त अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार

समिति सभी प्राप्त आवेदनों को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का निमित्त उपलब्ध कराएंगे।


3. मनोहरपुर अंचल अन्तर्गत ग्राम-गहुलडोहा, टोला-कुकुंडवीर के कुल 100 वन पट्टा दावेदारों का आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें 46 दावेदारों को वनपट्टा दिया जा चुका है, परन्तु शेष 54 आवेदनों का सेटेलाइट Imagery के माध्यम से स्थलीय सत्यापन के क्रम में 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व होने का साक्ष्य स्पष्ट परीलक्षित नहीं होने के कारण वन पट्टा नहीं दिया जा सका है। उक्त 54 आवेदनों के लिए अंचल अधिकारी एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी की संयुक्त स्थलीय भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। अंचल अधिकारी एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी के संयुक्त स्थलीय भौतिक सत्यापन के आधार पर शेष 54 आवेदनों को वन पट्टा देने हेतु निर्णय लिया जा सकता है।


4. नये प्राप्त आवेदनों प्रखण्ड-गोईलकेरा के 29 व्यक्तिगत एवं 01 सामुदायिक दावा एवं बन्दगांव प्रखण्ड के 29 व्यक्तिगत दावों तथा अंचल खुंटपानी के 01 सामुदायिक दावा जो कार्यालय को निबंधित डाक द्वारा प्राप्त है। उसे समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से वापस करने का निर्णय लिया गया।


5. पूर्व से जिला स्तरीय वनाधिकार समिति से स्वीकृत गोईलकेरा के ग्राम-टुण्डिका (छतियानबेड़ा) के 131 आवेदनों में से 18 आवेदनों पर एवं बन्दगांव के ग्राम-जातेबेड़ा के 04 आवेदनों पर समिति द्वारा पट्टा निर्गत हेतु अगली बैठक में निर्णय लेने पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।


6. मेसर्स श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग लिमिटेड, बड़ाजामदा को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वनभूमि के अपयोजन के निमित्त कुल 4.11 एकड़ वनभूमि का अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने का निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।


अन्त में स-धन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा

  
जिला पर्य्याण पदाधिकारी  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
कोल्हान वन प्रमण्डल, चाईबासा

  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा

  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा

  
अध्यक्ष-सह-उपायुक्त  
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

AS

ज्ञापांक 06 / क. चाईबासा, दिनांक :- 22.02.2021

प्रतिलिपि-  
प्रतिलिपि :-

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।  
सभी संबंधित ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,  
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।



44

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय।  
(राजस्व शाखा)

पत्रांक : 453(B)/रा०

प्रेषक,

अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,  
नोवामुण्डी।

दिनांक ०४- वीं मार्च, 2022, चाईबासा।

विषय : श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग, बड़ाजामदा के आवेदन के आलोक में 4.11 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि का FRA के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग, बड़ाजामदा के द्वारा नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत नौजा बड़ाजामदा के खाता नं०-05 के 4.11 एकड़ भूमि का FRA (Forest Right Act) अन्तर्गत Diversion Proposal के निमित्त सहमति पत्र हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त पत्र की मूल प्रति इस पत्र के साथ भेजते हुए निदेशित है कि उक्त वर्णित भूमि का अभिलेख संधारण करते हुए नियमानुसार FRA (Forest Right Act) के अन्तर्गत ग्राम वन समिति में प्रस्ताव पारित कराकर स्वीकृति हेतु अनुमण्डलीय वनाधिकार समिति को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

08.03.22

अपर उपायुक्त,

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

ज्ञापांक- 453(B)/रा० दिनांक- 08.03.22

प्रतिलिपि : जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को श्री बालाजी इन्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग, बड़ाजामदा के आवेदन पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.03.22

अपर उपायुक्त,

पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Rd  
A. Chandra  
SBI/22

# SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED

CIN - U28133RJ2008PLC025921

Works :  
Basfi Road, P.O. Barajamda  
Dist. West Singhbhum  
Jharkhand - 833221

Contact:  
+91 62008 26505  
+91 62008 26508  
+91 98304 81445

सेवा में,  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
चाईबासा प्रमण्डल  
जिला- पश्चिम सिंहभूम,

5/9/2022

विषय: EIA Notification 1994 के संबंध में।

महाशय,  
अनुरोध पूर्वक सूचित करना है कि हमारी इकाई ने 400 TPD का CTE 2005 में प्राप्त कर उचित रूप से इकाई की स्थापना कर एवं CTO प्राप्ति के उपरान्त उत्पादन शुरू कर दिया था।

इकाई का निवेश 2005 में लगभग 60 करोड़ रुपये था। EIA Notification 1994 के अनुसार किसी भी नये Primary मेटालर्जी (Iron & Steel) का निवेश 100 करोड़ से कम हो उसे EC के दायरे से बाहर किया गया है अतः हमारी इकाई का निवेश नया Sponge Iron Unit लगाने के लिये निर्धारित निवेश सीमा 100 करोड़ से कम है। इसलिये इकाई EC के दायरे से बाहर है।

अनुलग्नक  
EIA Notification 1994  
की प्रति संलग्न है

विश्वासमाजन  
श्री बालाजी इंडस्ट्रियल इंजिनियरींग लि०

*Nirvan Kumar*  
(अधिकृत हस्ताक्षर)

# SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED

Works :  
Basti Road, P.O. Barajamda  
Dist. West Singhbhum  
Jharkhand - 833221

CIN - U28133RJ2008PLC025821

Contact :  
+91 62008 26505  
+91 62008 26508  
+91 98304 81445



सेवा में,  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा

विषय - श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग लि०, मौजा-बाड़ा जामदा जिला पश्चिम सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वन भूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

- प्रसंग : 1. पत्र संख्या-वन भूमि-21/2022-2097 व०प्र०, राँची, दिनांक 26.07.22 (कंपनी को प्राप्त प्रति के रूप में)
2. व० प्र० पदाधिकारी का कार्यालय का पत्रांक संख्या-1627, दिनांक- 28.09.2022

महाशय,  
उर्पयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अनुरोध पूर्वक सूचित करना है कि विषयगत परियोजना में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा पृच्छत बिन्दुओं पर प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है जो कि निम्नवत है :-

- |  |  |
|--|--|
| 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्रतिपालक, झारखण्ड का मन्तव्य।    | 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्रतिपालक, झारखण्ड का मन्तव्य विभाग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ..... कृप्या।   |
| 2. प्रस्तावित पूर्ण जंगल-झाड़ी भूमि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र। | 2. उपायुक्त जिला पश्चिम सिंहभूम द्वारा प्रस्तावित पूर्ण जंगल-झाड़ी भूमि का अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त है एवं (झापांक-378 (4), दिनांक 28.12.2022) छाया प्रति सलग्न।                       |
| 3. FRA प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की, कार्यवाही के साथ)                         | 3. उपायुक्त जिला पश्चिम सिंहभूम द्वारा प्रस्तावित भूमि का FRA प्रमाण पत्र प्राप्त है, छाया प्रति सलग्न (पत्रांक-532(B) दिनांक 22.3.2023 एवं इस क्रम में हुई कार्यवाही की प्रति सलग्न है। |

(4)

4. विषयक प्रस्ताव में EIA Notification, 1994 के आलोक में क्या Environment Clearance प्राप्त करना अनिवार्य था अथवा नहीं, से संबंधित प्रतिवेदन।	4. EIA Notification, सितम्बर 2006 के आलोक में इकाई का Expansion हेतु Regularization से सम्बंधित EC का आवेदन प्रक्रिया में है। (आवेदन की छाया प्रति सलग्न)
5. पार्ट-II की कंडिका-8 (ii) में अंकित सूचना तथा नोडल पदाधिकारी के पत्रांक-519 दिनांक-20.06.2022 की कंडिका-20 में अंकित सूचना विरोधाभाष को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।	5. बिन्दु 5 की पृच्छा का प्रतिवेदन के लिये श्रीमान के समक्ष प्रार्थनीय है, -कृप्या।
6. विषयक प्रस्ताव में किए गए उल्लंघन के विरुद्ध की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।	6. बिन्दु 6 की पृच्छा का प्रतिवेदन के लिये श्रीमान के समक्ष प्रार्थनीय है, -कृप्या।

अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि इकाई द्वारा किये गये उपरोक्त प्रतिवेदन पालन के आलोक में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अग्रतः कार्यवाई करने हेतु कृपा प्रदान करना चाहेंगे।

सधन्यवाद

विश्वासभाजन

वास्ते, श्री बालाजी इन्डस्ट्रीयल इन्जिनियरिंग लि०

अनुलग्नक :

  
अधिकृत हस्ताक्षर

- 1) F R A की छाया प्रस्तुत
- 2) शर्मा की कार्यवाही की प्रतः।

ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT NOTIFICATION  
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS  
NOTIFICATION

New Delhi, the 27<sup>th</sup> January, 1994

(Incorporating amendments made on 04/05/1994, 10/04/1997, 27/1/2000, 13/12/2000, 01/08/2001, 21/11/2001, 13/06/2002, 28/02/2003, 7/5/2003, 4/8/2003, 22/9/2003 and 7/7/2004.)

1. S.O. 60 (E) Whereas a notification under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 inviting objections from the public within sixty days from the date of publication of the said notification, against the intention of the Central Government to impose restrictions and prohibitions on the expansion and modernization of any activity or new projects being undertaken in any part of India unless environmental clearance has been accorded by the Central Government or the State Government in accordance with the procedure specified in that notification was published as SO No. 80(E) dated 28<sup>th</sup> January, 1993;

And whereas all objections received have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby directs that on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, expansion or modernization of any activity (if pollution load is to exceed the existing one), or new project listed in Schedule I to this notification, shall not be undertaken in any part of India unless it has been accorded environmental clearance by the Central Government in accordance with the procedure hereinafter specified in this notification;

2. Requirements and procedure for seeking environmental clearance of projects:

I(a) Any person who desires to undertake any new project in any part of India or the expansion or modernization of any existing industry or project listed in the Schedule-I shall submit an application to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, New Delhi.

The application shall be made in the proforma specified in Schedule-II of this notification and shall be accompanied by a project report which shall, inter alia, include an Environmental Impact Assessment Report, an \*\* Environment Management Plan and details of public hearing as specified in Schedule-IV\*\* prepared in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests from time to time. However, Public Hearing is not required in respect of

- (i) small scale industrial undertakings located in (a) notified/designated industrial areas/industrial estates or (b) areas earmarked for industries under the jurisdiction of industrial development authorities;
- (ii) widening and strengthening of highways;
- (iii) mining projects (major minerals) with lease area up to 25 hectares.

- 39
- (iv) units located in Export Processing Zones, Special Economic Zones
  - (v) modernisation of existing irrigation projects
  - (vi) offshore exploration activities, beyond 10 kilometres from the nearest habituated village boundary, goothans and ecologically sensitive areas such as, mangroves (with a minimum area of 1000 sq.m), corals, coral reefs, national parks, sanctuaries, reserve forests and breeding and spawning grounds of fish and other marine life; .

\*\*\*Provided further, that for pipeline projects, Environmental Impact Assessment Report will not be required:

Provided further, that for pipeline and highway projects, public hearing shall be conducted in each district through which the pipeline or highway passes through: \*\*\*

- (b) Cases rejected due to submission of insufficient or inadequate data and \*Plans may be reviewed as and when submitted with complete data and \*Plans. Submission of incomplete data or plans for the second time would itself be a sufficient reason for the Impact assessment Agency to reject the case summarily.

## II In case of the following site specific projects:

- (a) mining;
- (b) pit-head thermal power stations;
- (c) hydro-power, major irrigation projects and/or their combination including flood control;
- (d) ports and harbours (excluding minor ports);
- (e) \*prospecting and exploration of major minerals in areas above 500 hectares; \*
- (f) greenfield airports, petrochemical complexes and refineries.

The project authorities will intimate the location of the project site to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests while initiating any investigation and surveys. The Central Government in the Ministry of Environment and Forests will convey a decision regarding suitability or otherwise of the proposed site within a maximum period of thirty days. \*The said site clearance shall be granted for a sanctioned capacity and shall be valid for a period of five years for commencing the construction, operation or mining. \*

## III (a)

The reports submitted with the application shall be evaluated and assessed by the Impact Assessment Agency, \*and if deemed necessary it may consult\* a committee of Experts, having a composition as specified in Schedule-III of this Notification. The Impact Assessment Agency (IAA) would be the Union Ministry of Environment and Forests. The Committee of Experts mentioned above shall be constituted by the Impact Assessment Agency or such other body under the Central Government authorised by the Impact Assessment Agency in this regard.

- (b) The said Committee of Experts shall have full right of entry and inspection of the site or, as the case may be, factory premises at any time prior to, during or after the commencement of the operations relating to the project.

\*\* (c) The Impact Assessment Agency shall prepare a set of recommendations based on technical assessment of documents and data, furnished by the project authorities.

supplemented by data collected during visits to sites or factories if undertaken, and details of public hearing.

The assessment shall be completed within a period of ninety days from receipt of the requisite documents and data from the project authorities and completion of public hearing and decision conveyed within thirty days thereafter.

The clearance granted shall be valid for a period of five years for commencement of the construction or operation of the project. \*\*

No construction work, preliminary or otherwise, relating to the setting up of the project may be undertaken till the environmental and site clearance is obtained.

- IV. In order to enable the Impact Assessment Agency to monitor effectively the implementation of the recommendations and conditions subject to which the environmental clearance has been given, the project authorities concerned shall submit a half yearly report to the \*Impact Assessment Agency. Subject to the public interest. \* the Impact Assessment Agency shall make compliance reports publicly available.
- V. If no comments from the Impact Assessment Agency are received within the time limit, the project would be deemed to have been approved as proposed by project authorities.
3. **Nothing contained in this Notification shall apply to:**
- (a) any item falling under entry Nos. 3 \*18\*20\* 31\* and 32\* of the Schedule-I to be located or proposed to be located in the areas covered by the Notifications S.O. No.102 (E) dated 1<sup>st</sup> February, 1989, S.O. 114 (E) dated 20<sup>th</sup> February, 1991; \*S.O. No. 416 (E) dated 20<sup>th</sup> June, 1991\* and S.O. No.319 (E) dated 7<sup>th</sup> May, 1992.
  - (b) any item falling under entry Nos.1,2,3,4,5,7,9,10,13, 14,16,17,19,\*21\*,25 and 27 of Schedule-I if the investment is less than Rs.100 crores for new projects and less than Rs. 50 crores for expansion/modernization projects.
  - (c) any item reserved for Small Scale Industrial Sector with investment less than Rs. 1 crore.
  - (d) defence related road construction projects in border areas.
  - (e) any item falling under entry No. 8 of Schedule I, if that product is covered by the notification G.S.R. 1037(E) dated 5<sup>th</sup> December 1989.
  - (f) Modernisation projects in irrigation sector if additional command area is less than 10,000 hectares or project cost is less than Rs. 100 crores.:
  - (g) any construction project falling under entry 31 of Schedule-I including new townships, industrial townships, settlement colonies, commercial complexes, hotel complexes, hospitals and office complexes for 1000 (one thousand) persons or below or with an investment of Rs.50,00,00,000/- (Rupees fifty crores) or below.
  - (h) any industrial estate falling under entry 32 of Schedule-I including industrial estates accommodating industrial units in an area of 50 hectares or below but excluding the industrial estates irrespective of area if their pollution potential is high.

Explanation.-

- (i) New construction projects which were undertaken without obtaining the clearance required under this notification and where construction work has not come up to the plinth level shall require clearance under this notification with effect from the 7<sup>th</sup> day of July, 2004.

37

- (ii) In the case of new Industrial Estates which were undertaken without obtaining the clearance required under this notification, and where the construction work has not commenced or the expenditure does not exceed 25% of the total sanctioned cost, shall require clearance under this notification with effect from the 7<sup>th</sup> day of July, 2004.
- (iii) Any project proponent intending to implement the proposed project under sub-para (g) and (h) in a phased manner or in modules, shall be required to submit the details of the entire project covering all phases or modules for appraisal under this notification".

4. Concealing factual data or submission of false, misleading data/reports, decisions or recommendations would lead to the project being rejected. Approval, if granted earlier on the basis of false data, would also be revoked. Misleading and wrong information will cover the following:

- False information
- False data
- Engineered reports
- Concealing of factual data
- False recommendations or decisions

[No.Z-12013/4/89-IA-I]

## SCHEDULE-I

(See paras 1 and 2)

### LIST OF PROJECTS REQUIRING ENVIRONMENTAL CLEARANCE FROM THE CENTRAL GOVERNMENT

1. Nuclear Power and related projects such as Heavy Water Plants, nuclear fuel complex, Rare Earths.
2. River Valley projects including Hydel Power Projects, Major Irrigation Projects and their combination including flood control project except projects relating to improvement work including widening and strengthening of existing canals with land acquisition upto a maximum of 20 metres, (on both sides put together) along the existing alignments provided such canals do not pass through ecologically sensitive areas such as national parks, sanctuaries, tiger reserves and reserve forests.
3. Ports, Harbours, Airports (except minor ports and harbours).
4. Petroleum Refineries including crude and product pipelines; isolated petroleum product storages.
5. Chemical Fertilizers (Nitrogenous and Phosphatic other than single superphosphate).
6. Pesticides (Technical).
7. Petrochemical complexes (Both Olefinic and Aromatic) and Petro-chemical intermediates such as DMT, Caprolactam, LAB etc. and production of basic plastics such as LLDPE, HDPE, PP, PVC.
8. Bulk drugs and pharmaceuticals.
9. Exploration for oil and gas and their production, transportation and storage.
10. Synthetic Rubber.
11. Asbestos and Asbestos products.
12. Hydrocyanic acid and its derivatives.
13. (a) Primary metallurgical industries (such as production of Iron and Steel, Aluminium, Copper, Zinc, Lead and Ferro Alloys).  
(b) Electric arc furnaces (Mini Steel Plants).
14. Chlor alkali industry.
15. Integrated paint complex including manufacture of resins and basic raw materials required in the manufacture of paints.
16. Viscose Staple fibre and filament yarn.
17. Storage batteries integrated with manufacture of oxides of lead and lead antimony alloys.
18. All tourism projects between 200m—500 metres of High Water Line and at locations with an elevation of more than 1000 metres with investment of more than Rs.5 crores.
19. Thermal Power Plants.
20. Mining projects \*(major minerals)\* with leases more than 5 hectares.
21. Highway Projects \*\*except projects relating to improvement work including widening and strengthening of roads with marginal land acquisition along the existing alignments provided it does not pass through ecologically sensitive areas such as National Parks, Sanctuaries, Tiger Reserves, Reserve Forests\*\*
22. Tarred Roads in the Himalayas and or Forest areas.
23. Distilleries.
24. Raw Skins and Hides
25. Pulp, paper and newsprint.
26. Dyes.

- (35)
27. Cement.
  28. Foundries (individual)
  29. Electroplating
  30. Meta amino phenol
  31. New construction projects
  32. New industrial estates

**SCHEDULE-II**  
[See Sub-para I (a) of para 2]

**APPLICATION FORM**

1.
  - (a) Name and Address of the project proposed:
  - (b) Location of the project:  
Name of the Place:  
District, Tehsil:  
Latitude/Longitude:  
Nearest Airport/Railway Station:
  - (c) Alternate sites examined and the reasons for selecting the proposed site:
  - (d) Does the site conform to stipulated land use as per local land use plan:
2. Objectives of the project:
3.
  - (a) Land Requirement:  
Agriculture Land:  
Forest land and Density of vegetation.  
Other (specify):
  - (b)
    - (i) Land use in the Catchment within 10 kms radius of the proposed site:
    - (ii) Topography of the area indicating gradient, aspects and altitude:
    - (iii) Erodibility classification of the proposed land:
  - (c) Pollution sources existing in 10 km radius and their impact on quality of air, water and land:
  - (e) Distance of the nearest National Park/Sanctuary/Biosphere Reserve/Monuments/heritage site/Reserve Forest:
  - (f) Rehabilitation plan for quarries/borrow areas:
  - (g) Green belt plan:
  - (h) Compensatory afforestation plan:
4. Climate and Air Quality:
  - (a) Wind rose at site:
  - (b) Max/Min/Mean annual temperature:
  - (c) Frequency of inversion:
  - (d) Frequency of cyclones/tornadoes/cloud burst:
  - (e) Ambient air quality data:

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

34

पत्रांक:- 519 दिनांक:- 20.6.2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लिड मौजा-बड़ाजामदा जिला-परियमी सिंडभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का पत्रांक 298 दिनांक 08.06.2022  
सहाय्य,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं० FP/JH/ENCRH/42933/2019 हेतु कुल 1.66 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चाईबासा के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. यह परियोजना चाईबासा वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. यह प्रस्ताव नियमितिकरण से संबंधित है।
3. इस परियोजना में कुल 1.66 हे० वनभूमि मात्र (जंगल-झाड़ी) अन्तर्गुप्त है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की तैधानिक स्थिति प्लॉटवार/मौजावार/रकवावार संलग्न है -

क्र०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकवा	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकवा	कुल रकवा	वनस्पति घनत्व
1.	चाईबासा	शून्य	1.66 हे०	1.66 हे०	0.1
			कुल -	1.66 हे०	

5. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form-A पत्र में अभियुक्ति दर्ज कर आवेदन दर्ज है। तथा भारत सरकार के website पर निर्धारित Format में अभियुक्ति दर्ज कर Upload किया गया है।
6. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकवावार/संलग्न है। जो निम्नवत् है:-

क्र०	वन प्रमंडल का नाम	मौजा	खाता न०	प्लॉट न०	अधिसूचित वनभूमि का रकवा (हे० में)	जंगल-झाड़ी का रकवा (हे० में)
1.	चाईबासा वन प्रमंडल	बाड़ाजामदा	05	2243	शून्य	1.66

7. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निर्धारित Format पार्ट-II में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है।
8. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
9. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर प्रस्तावित स्पंज प्लांट स्थल को दिखाते हुए संलग्न है।
11. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।

(95)

12. वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा के प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि पर अवस्थित नहीं है।

13. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है।

14. वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चाईबासा द्वारा सूचित किया गया है कि "Form A के Part बिंदु संख्या H में Status of Environmental Clearance में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा अंकित किया गया है। Ministry of Environment and Forest, Govt. of India के द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2006 को निर्गत अधिसूचना में List of Projects or activities requiring Prior Environmental Clearance में Sponge Iron manufacturing <200TPD Category with threshold limit B में रखा गया है। उक्त के आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से कारण पृच्छा की गई। उक्त पृच्छा के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा जवाब दिया गया है कि "The Sponge Iron Plant of M/s Shri Balaji Industrial Engineering Ltd. was installed & commissioned during the year 2005 and the company has obtained NOC from Jharkhand Pollution Control Board vide letter No. 173 dated 09.03.2005 (Copy attached as Annexure-I) Therefore, EP Act of 14<sup>th</sup> Sep is not applicable". (प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा समर्पित जवाब की छायाप्रति संलग्न प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 87 से 90)।

15. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित 4.11 एकड़ जंगल-झाड़ी वनभूमि उपयोग के विरुद्ध 4.00 एकड़ जंगल-झाड़ी वनभूमि हेतु उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पत्रांक 663वी0/रा0 दिनांक 12.07.2007 द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र संलग्न है। शेष 0.11 एकड़ जंगल-झाड़ी वनभूमि के NOC हेतु संबंधित पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।

16. वन विभागीय पत्रांक 3018 दिनांक 22.10.2021 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में स्टेज-1 प्राप्ति से पूर्व FRA 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्ति की वैधता नहीं है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित की गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

17. वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा द्वारा अपने पार्ट-2 के कड़िका-11 के उप कड़िका-1 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उल्लंघन किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चाईबासा द्वारा सूचित किया गया है कि "Part-II के कड़िका सं0 11 के सन्दर्भ में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल के पत्रांक 902 दिनांक 31.05.2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Parivesh Portal के कड़िका सं0 11(i) के Yes अंकित करने के उपरान्त कड़िका सं0 11(i) के a, b तथा c में प्रविष्टि अंकित करने का Option नहीं दिये जाने के कारण वांछित सूचना अंकित नहीं की गयी है। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Detailed note on Project (पृष्ठ संख्या-14) उक्त परियोजना के दिनांक 09.03.2005 से क्रियान्वित होने की सूचना दी गयी है।"

वन प्रमंडल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि सम्पूर्ण आवेदित वनभूमि (जंगल-झाड़) का कुल रकबा 1.66 हे0 अतिक्रमण के श्रेणी में आवेदित है तथा वर्ष 2005 से आज तक (17 वर्षों से) कार्यरत है।

18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।

19. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अपयोजन हेतु प्रस्तावित 1.66 हे0 वनभूमि के बदले प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गिरिडीह जिला में 1.66 हे0 गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है। जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र0	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना/ थाना नं0	प्लॉट सं0	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा हे0
1	गिरिडीह पूर्वी	सेमरकोढ़ही	पीरटाड़/ 43	51,52,53,56,58	1.66 हे0
कुल :-					1.66 हे0

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का डीड पेपर, लगान रशीद, नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

20.06.2022

20. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, वायोस्फेयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परन्तु प्रस्तावित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य एरिया में अवस्थित है।
21. प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का मंतव्य प्राप्त हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
22. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है।
23. वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में संचिका में अनुमोदन प्राप्त हेतु संचिका प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HofR) को भेजी गई। निम्न निर्देश/शर्तों के साथ संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HofR) का अनुमोदन प्राप्त है:- "चूंकि इस मामले में Violation है अतः प्रस्तावित Deemed Forest land के बदले दो गुणा दण्डात्मक क्षतिपूरक वनरोपण भूमि एवं दो गुणा दण्डात्मक NPV लेने के साथ Regularization की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाये प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का भी मंतव्य प्राप्त कर लिया जाय"
24. उपरोक्त निर्देश एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में Penal Provision के तहत प्रस्तावित 1.66 हे० वनभूमि के नियमितकरण (Regularization) के लिए अनुशंसा की जाती है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना प्रस्ताव हेतु स्टेज-1 प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

20.06.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 519

दिनांक 20.6.2022

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को कंडिका-21 पर मंतव्य हेतु प्रस्ताव की एक मूल प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.06.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 519

दिनांक 20.6.2022

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम जमशेदपुर/निदेशक, बालाजी इन्डस्ट्रियल इंजीनियरिंग लि०, बस्ती रोड, बड़ाजामदा, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि पत्र के कंडिका 15,16 एवं 17 से संबंधित वांछित प्रतिवेदन शीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

20.06.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

20.6.22

SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED

CIN - U28133RJ2900071C025021

Works,  
Basil Road, P.O. Barajamda  
Dist. West Singhbhum  
Jharkhand - 839221

311-03A (31)  
Contact  
+91 62008 26506  
+91 62008 26506  
+91 98304 81445

TO WHOM IT MAY CONCERN


This is to declare that our company **Shri Balaji Industrial Engineering Ltd.** is Established in Bada Jamda, Dist-West Singhbhum. This is sponge Iron Producing unit having Capacity of 100x4 TPD.

We are in Process to take Environmental Clearance (EC) for our existing unit and along with proposed expansion.

In this regard TOR has been granted by MOEFCC, Govt. of India, New Delhi.

Thanks & Regards.

Your Faithfully  
For, Shri Balaji Industrial Engineering Ltd

  
(Authorized Signatory)



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email-pecf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 737 दिनांक:- 13/8/2024

150

OSD (सी.जल.)  
13/8/2024

मुख्य सचिव,  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- श्री बालाजी इंडस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लि0 मौजा-बड़ाजामदा जिला-पश्चिमी सिंहभूम में स्थित स्पंज आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे0 वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय पत्रांक 4130 दिनांक 02.11.2023

सहायक,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं0 FP/JH/ENCRH/42933/2019 हेतु कुल 1.66 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर वन विभागीय पत्रांक 4130 दिनांक 02.11.2023 द्वारा पृच्छा की गयी है।

विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दु का निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के पत्रांक 1026 दिनांक 02.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के प्रतिवेदानुसार विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दु का निराकरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	पृच्छित बिन्दु	अनुपालन																																					
i	विषयक प्रस्ताव में Violation के मामले में दंड स्वरूप दोगुना क्षतिपूरक गैर वन भूमि प्राप्त करने की अनुशंसा की गई है, परन्तु क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 1.66 हे0 गैर वनभूमि का ही प्रस्ताव क्यों उपलब्ध कराया गया है।	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्वमें प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित प्रस्ताव के एवज में CA हेतु कुल 1.66 हे0 गैर वनभूमि का प्रस्ताव वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा के पत्रांक 998 दिनांक 08.06.2022 द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 519 दिनांक 20.06.2022 द्वारा राज्य सरकार को अग्रसारित किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :- <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">क्र0 सं0</th><th rowspan="2">वन प्रमण्डल का नाम जहां गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है (पत्रांक/दिनांक)</th><th colspan="5">उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि की विवरणी</th><th rowspan="2">प्राक्कलित राशि (रु0)</th></tr><tr><th>मौजा का नाम</th><th>थाना/थाना सं0</th><th>खाता नं0</th><th>प्लॉट नं0</th><th>रकबा (एकड़ में)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>1</td><td>वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल। (पत्रांक 1354 दिनांक 20.04.2022)</td><td>सिमरकोड़ी</td><td>पौरटांड-43</td><td>45</td><td>51 52 53 56 58</td><td>1.07 0.51 0.90 0.95 0.68</td><td>3084490.00</td></tr><tr><td colspan="6">कुल :-</td><td>4.11 एकड़ (1.66 हे0)</td><td></td></tr></tbody></table>	क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम जहां गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है (पत्रांक/दिनांक)	उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि की विवरणी					प्राक्कलित राशि (रु0)	मौजा का नाम	थाना/थाना सं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)	1	2	3	4	5	6	7	8	1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल। (पत्रांक 1354 दिनांक 20.04.2022)	सिमरकोड़ी	पौरटांड-43	45	51 52 53 56 58	1.07 0.51 0.90 0.95 0.68	3084490.00	कुल :-						4.11 एकड़ (1.66 हे0)	
क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम जहां गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है (पत्रांक/दिनांक)	उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि की विवरणी					प्राक्कलित राशि (रु0)																																
		मौजा का नाम	थाना/थाना सं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)																																	
1	2	3	4	5	6	7	8																																
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल। (पत्रांक 1354 दिनांक 20.04.2022)	सिमरकोड़ी	पौरटांड-43	45	51 52 53 56 58	1.07 0.51 0.90 0.95 0.68	3084490.00																																
कुल :-						4.11 एकड़ (1.66 हे0)																																	

4129  
20/8/2024

सचिव कोषांग  
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
सं0 ..... 3976 .....  
16 AUG 2024  
झारखण्ड, राँची

149

क्र. सं०	वन प्रमण्डल का नाम जहां गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है (पत्रांक/दिनांक)	उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि की विवरणी					प्राप्ति राशि (रु०)
		मौजा का नाम	थाना/थाना सं०	खंटा नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल। (पत्रांक 884 दिनांक 15.03.2024)	करमाटांड	गाण्डेय/ 423	1	148 149 152 153	0.18 2.85 1.08 0.93	3011162.00
कुल :-						5.04 एकड़ (2.04 हे०)	
कुल योग (1+2) :-						9.15 एकड़ (3.70 हे०)	

उपरोक्त कण्डिका-2 में उल्लेखित गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा-करमाटांड, थाना/थाना संख्या- गाण्डेय- 423 में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित गैर वनभूमि से संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण का योजना का प्रस्ताव, नामांतरण शुद्धिपत्र एवं अन्य वांछित दस्तावेज अनु०-01 के रूप में तथा चयनित गैर वनभूमि का KML File CD में अनु०-02 के रूप में संलग्न है।

इस प्रकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़) के अपयोजन प्रस्ताव के एवज में दण्ड स्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दो गुणे 3.32 हे० गैर वनभूमि के विरुद्ध कुल 3.70 हे० गैर वनभूमि उपलब्ध कराया गया है।


वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की दो प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना प्रस्ताव हेतु कुल 1.66 हे० वनभूमि अपयोजन (नियमितिकरण) हेतु स्टेज-1 प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं HoFF, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त।

अनुपालन प्रतिवेदन दो प्रतियों में।

विश्वासभाजन

  
13/8/24  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


Kdn.  
13.8.24





**कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।**

(संयुक्त वन भवन कार्यालय चाईबासा, पो-चाईबासा, पो सिंहभूम,  
पिन-833201) दूरभाष-06582-291717 (0) Mail.gov.in-cf-chaibasa@gov.in



पत्र संख्या: CHAI/MIN/...1026..... चाईबासा, दिनांक - 02-08-2024/

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी,  
निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय:-

श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा- बड़ाजामदा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम में स्थित आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

- (1) वन विभागीय पत्र संख्या वनभूमि-21/2022-4130 व०प० दिनांक 02.11.2023 तदनुसार आपका ज्ञापांक 1113 दिनांक 07.11.2023
- (2) इस कार्यालय का पत्रांक 998 दिनांक 08.06.2022
- (3) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल का पत्रांक 1087 दिनांक 28.06.2024

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित परियोजना के सन्दर्भ में प्रसंगाधीन वन विभागीय पत्र द्वारा पृच्छा की गयी है कि "विषयक प्रस्ताव में Violation के मामले में दंड स्वरूप दोगुना क्षतिपूरक गैर वन भूमि प्राप्त करने की अनुशंसा की गई है, परन्तु क्षतिपूरक वनरोपण हेतु मात्र 1.66 हे० गैर वनभूमि का ही प्रस्ताव क्यों उपलब्ध कराया गया है।" इस सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक 1785 दिनांक 01.12.2023 तथा पत्रांक 741 दिनांक 05.06.2024 द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल को निदेशित किया गया।

उपरोक्त के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल के पत्रांक 1087 दिनांक 28.06.2024 द्वारा पृच्छित बिन्दु का अनुपालन उपलब्ध कराया गया है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार अनुपालन/निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत् है :-

1. पूर्व में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित प्रस्ताव के एवज में अपयोजित होने वाली वनभूमि (जंगल-झाड़) कुल 1.66 हे० वनभूमि का प्रस्ताव वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल के पत्रांक 806 दिनांक 12.05.2022 द्वारा इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 998 दिनांक 08.06.2022 द्वारा भवदीय कार्यालय को अग्रसारित किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम जहां गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है (पत्रांक/दिनांक)	उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि की विवरणी					प्राक्कलित राशि (रु०)
		मौजा का नाम	थाना/थाना सं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल। (पत्रांक 1354 दिनांक 20.04.2022)	सिमरकोड़ी	पीरटांड-43	45	51 52 53 56 58	1.07 0.51 0.90 0.95 0.68	3084490.00
कुल :-						4.11 एकड़ (1.66 हे०)	

147

2. पुनः प्रासंगिक पत्र-01 के द्वारा श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा- बड़ाजामदा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम में स्थित आयरन प्लांट के प्रस्ताव Violation के मामले में दण्ड स्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दो गुणा गैर वनभूमि उपलब्ध कराने संबंधी अनुपालन के रूप में कुल 5.04 एकड़ (2.03 हे०) गैर वनभूमि उपलब्ध कराया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम जहां गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है (पत्रांक/दिनांक)	उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि की विवरणी					प्राक्कलित राशि (रु०)
		मौजा का नाम	थाना/थाना सं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल। (पत्रांक 884 दिनांक 15.03.2024)	करमाटांड	गाण्डेय/ 423	1	148 149 152 153	0.18 2.85 1.08 0.93	3011162.00
कुल :-						5.04 एकड़ (2.03 हे०)	
कुल योग (1+2) :-						9.15 एकड़ (3.70 हे०)	

उपरोक्त कण्डिका-2 में उल्लेखित गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा-करमाटांड, थाना/थाना संख्या- गाण्डेय- 423 में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित गैर वनभूमि से संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण का योजना का प्रस्ताव, नामांतरण शुद्धिपत्र एवं अन्य वांछित दस्तावेज अनु०-01 के रूप में तथा चयनित गैर वनभूमि का KML File CD में अनु०-02 के रूप में संलग्न है। इस प्रकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़) के अपयोजन प्रस्ताव के एवज में दण्ड स्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण हेतु कुल 3.70 हे० गैर वनभूमि उपलब्ध कराया गया है।

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल के प्रांसंगिक पत्र-02 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुपालन/निराकरण प्रतिवेदन की प्रति सभी वांछित अनुलग्नकों/दस्तावेजों सहित अत्र-सह संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। संबंधित संचिका पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

  
वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।



146

FC

22.07.20

25/7/24



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

E-mail:- cbsadiv648@gmail.com, dfo-chaibasa@gov.in

पत्रांक : 1087

दिनांक : 28-06-2024

सेवा में,

वन संरक्षक,  
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

विषय:-

श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा-बड़ाजामदा, जिला-पश्चिमी सिंहभूम में स्थित आयरन प्लांट हेतु 1.66 हे० वनभूमि (जंगल-झाड़ी) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

- वन विभागीय पत्रांक वनभूमि-21/2022/4130 व०प० दिनांक 02.11.2023
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर का पत्रांक 420 दिनांक 04.03.2024, पत्रांक 661 दिनांक 16.04.2024 तथा पत्रांक 858 दिनांक 15.05.2024
- भवदीय का पत्रांक 741 दिनांक 05.06.2024



उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र- 1 द्वारा विषयगत परियोजना के संबंध में पृच्छा की गयी है। उक्त पृच्छा का निराकरण के क्रम में अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् है।

- पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 806 दिनांक 12.05.2022 द्वारा समर्पित अपयोजित होने वाली वनभूमि (जंगल-झाड़ी) कुल 1.66 हे० के प्रस्ताव के एवज में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी गैर वनभूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम जहां गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है (पत्रांक/दिनांक)	उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि की विवरणी					प्राक्कलित राशि (रु०)
		मौजा का नाम	थाना/थाना सं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल। (पत्रांक 1354 दिनांक 20.04.2022)	सिमरकोड़ी	पीरटांड-43	45	51 52 53 56 58	1.07 0.51 0.90 0.95 0.68	3084490.00
कुल :-						4.11 एकड़ (1.66 हे०)	

- प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा श्री बालाजी इण्डस्ट्रीज इंजिनियरिंग लिमिटेड मौजा-बड़ाजामदा, जिला-पश्चिमी सिंहभूम में स्थित आयरन प्लांट के प्रस्ताव में Violation के मामले में दण्ड स्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दो गुणा गैर वनभूमि उपलब्ध कराने संबंधी अनुपालन के रूप में सम्प्रति कुल 5.04 एकड़ (2.03 हे०) उपलब्ध कराया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है:-

E/ mjp/letter 2024-25-28

145

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम जहां गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है (पत्रांक/दिनांक)	उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि की विवरणी					प्राक्कलित राशि (रु०)
		मौजा का नाम	थाना/ थाना सं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा (एकड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल। (पत्रांक 884 दिनांक 15.03.2024)	करमाटांड	गाण्डेय/ 423	1	148 149 152 153	0.18 2.85 1.08 0.93	3011162.00
कुल :-						5.04 एकड़ (2.03 हे०)	
कुल योग (1+2) :-						9.15 एकड़ (3.70 हे०)	

इस प्रकार, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सरकार के स्तर से वनभूमि (जंगल-झाड़ी) 1.66 हे० के अपयोजन प्रस्ताव में Violation के मामले में दण्ड स्वरूप कुल 3.70 हे० गैर वनभूमि क्षतिपूरक वनरोपण के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के आलोक में विषयक परियोजना से संबंधित सूचनाएं Parivesh Portal पर Upload करते हुए Online एवं Hard Copy भवदीय को अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी

*Kishu* 28/08/2024  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी  
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।  
*Chauhan*

144

कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट-पचम्बा, जिला-गिरिडीह, पीन कोड-815316

email-[dfc-giridih@gov.in](mailto:dfc-giridih@gov.in), Phone No.-06532-222127

पत्रांक- 884

दिनांक- 15/3/24

सेवा में,

श्री अरुण कुमार,  
निदेशक,  
श्री बालाजी इन्डस्ट्रीयल इंजिनियरिंग लि०,  
बड़ाजगदा, जिला-परिचमी सिंहभूम।

विषय - मौजा-करमाटांड, थाना- गाण्डेय, थाना न०-423, जिला गिरिडीह, खाता न०-01 के प्लॉट न०-148, 149, 152 एवं 153 कुल रकबा- 5.04 एकड़ गैर-वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र के संबंध में।

प्रसंग - आपका आवेदन दिनांक-शून्य एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी, खुरचुड़ा वन प्रक्षेत्र का पत्रांक 140 दिनांक 14.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में सूचित करना है कि विषयोक्त आवेदित गैर वनभूमि का वन क्षेत्र पदाधिकारी, खुरचुड़ा वन प्रक्षेत्र द्वारा स्थलीय जांच किया गया। जांचोपरांत आपके अपने कार्यालय पत्रांक 140 दिनांक 14.03.2024 द्वारा स्थलीय जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

वन क्षेत्र पदाधिकारी, खुरचुड़ा वन प्रक्षेत्र के जांच प्रतिवेदन एवं प्रमण्डलीय अभिलेख डिमारकेशन पंजी, नोटिफिकेशन एवं कैंडस्ट्रल मैप से किये गये मिलान के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि आवेदित भूमि मौजा- करमाटांड, थाना- गाण्डेय, थाना न०-423, जिला गिरिडीह, खाता न०-01 के प्लॉट न०-148, 149, 152 एवं 153 कुल रकबा- 5.04 एकड़ (पाँच एकड़ चार डिसमल) गैर-वनभूमि वन सीमा से बाहर है तथा क्षतिपूरक वनरोपण योग्य है। जिसका विवरण निम्नवत है :-

मौजा का नाम	थाना/थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकबा (ए०में)
1	2	3	4	5
करमाटांड	गाण्डेय/423	01	148	0.18
			149	2.85
			152	1.08
			153	0.93
			कुल :-	5.04

1. यह प्रमाण पत्र मात्र क्षतिपूरक वनरोपण के लिए दिया जा रहा है।
2. विषयोक्त भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण के समय उक्त रकबा में भिन्नता होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।
3. उक्त भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण के समय यदि भूमि पर कोई अतिक्रमण अथवा भू-विवाद होगा तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि स्वीकार नहीं की जायगी।
4. विषयोक्त भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण के समय स्थल वन विभागीय मापदण्ड के अनुरूप पक्का पीलर संवधित प्रयोक्ता अभिकरण को स्थापित करना होगा।

विश्वासभाजन

वन-प्रमण्डल पदाधिकारी,  
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

15/3/24  
15/3/24

143

गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल

योजना का नाम-शु-संरक्षण एवं वनरोपण योजना

प्रकल्प का नाम  
स्थल का नाम  
रकबा  
कुल क्षेत्र की रकबा  
भूजद्वारी दर  
पाथर घेरान-

खुरमुडा वन प्रमण्डल  
कारगाटाड  
2.04 हे०  
3399 फी०  
352.38 रु०/सा०दि०  
धाना  
धाना भ०  
पौधों की दूरी ( 3 मी० X 2 मी०)  
फोट न०- 148, 149, 152, 153

क्र०	कार्य की विवरणी	विभाजित दर प्रति हे०			शाही घेरान- 0.00			कुल राशि	अनुवृत्ति
		इकाई	मा०दि०	सामग्री (रु०)	शुल म०दि०	मजदूरी (रु०)	सामग्री (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	संरक्षण एवं सीमांकन	हे०	3.00	50.00	6.12	2156.57	102.00	2258.57	
2	झाड़ी सफाई								
2.1	झाड़ी सहित	हे०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	सागम्य झाड़ी	हे०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3	घनी झाड़ी	हे०	10.00	0.00	20.40	7188.55	0.00	7188.55	
3	घेरान कार्य								
3.1	ट्रेष घेरान उपर की चौड़ाई 1.83 मी. नीचे की चौड़ाई 1.22 मी. गहराई 1.22 मी. इंसिम सहित (मानव मजदूरी)	घे०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2	मशीन द्वारा ट्रेष खुदाई इंसिम सहित (जल सहायन विभाग की अनुसूचित दर सूची दि०-01.06.2021 से लागू का आईएम सं०-7.143.1 से 2.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) 18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित।	घे०	2.00	2657.15	68.00	23961.84	90343.10	114304.94	
3.3	पाथर घेरान-उपर की चौड़ाई 0.30 मी. नीचे की चौड़ाई 1.25 मी. लंबाई 100 मी	घे०	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.4	झाड़ी घेरान	घे०	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	पुदा कार्य (0.3 मी X 0.3 मी X 0.3 मी.) 1668 पिट प्रति हे० (संरक्षण एवं पुदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	35.50	0.00	74.46	26238.21	0.00	26238.21	
5	अंश पीपराला कार्य सत्रि प्रहरी सहित (2000 अतिरिक्त के साथ)	हे०	16.50	0.00	33.66	11861.11	0.00	11861.11	
6	सामग्री (पौलीथी बैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी, पुआल, पीपराला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०	0.00	3373.65	0.00	0.00	6882.25	6882.25	
7	मुदा एवं जल संरक्षण कार्य- कट्टर ट्रेषिंग-120. कट्टर ट्रेष साईज-5मी० X 0.30 मी० X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मी० से 3 मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० स्लट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोइनी कर रखा जाना	हे०	55.00	0.00	112.70	39537.04	0.00	39537.04	
8	सिस्टम डिटेक्शन हेम घे०- हेम डिटेक्शन एवं प्रस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरिण्ट निवृत्तन कार्य आदि।	हे०	25.00	0.00	51.00	17971.38	0.00	17971.38	
9	मली स्वतंत्रता	हे०	10.00	0.00	20.40	7188.55	0.00	7188.55	
10	अंतर संग्रह मालुमूँड इन 1 प्रतिलिपि						1361.03	1361.03	
11	मिडिल नगरी (सावधानता लाईनवाले प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संचालन आदि)	हे०	0.00	250.00	0.00	0.00	510.00	510.00	
12	प्रवेश विन्डु कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ग का 15 प्रतिशत)						66375.62	66375.62	
	योग-		189.00	6380.80	386.24	136103.25	165573.99	301677.25	

क्र०	कार्य की विवरणी	मिमांशित दर प्रति हेक्			मान्यमित राशि			कुल राशि	अनुपूर्वित
		हेक्टाई	गांठि	गांठि (रु०)	मूल मान्यित	मान्यदूरी (रु०)	मान्यदूरी (रु०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>(ए) सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>		मजदूरी दर-			405.24 प्रति गांठि				
1	अना पोषाभाता कार्य सत्रि पहरों सहित	रु०	21.50	0.00	43.86	17773.63	1159.46	19133.15	
2	कुलसंपन्न	रु०	36.50	0.00	74.46	30173.95	0.00	30173.95	
3	पंचों की सुरक्षा (25 हे० तक) (365)	स्थल	365.00	0.00	365.00	34307.36	0.00	34307.36	
4	पंचों की सुरक्षा (25 हे० से अधिक) (365)	स्थल	0.00	0.00	0.00	1653.37	0.00	1653.37	
5	पंचों की सुरक्षा (25 हे० से अधिक) (रु०)	स्थल	275.00	0.00	275.00	111440.18	0.00	111440.18	
6	सामग्री (बीज उर्वरक खाद, कम्पोस्ट खाद, रसायन आदि)	रु०	0.00	3936.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	विशिष्ट कार्य (सामयिक, प्रचार पत्तार, मुद्रण एवं संचालन आदि)	रु०	0.00	250.00	0.00	0.00	8030.99	8030.99	
8	सेक्टर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत						510.00	510.00	
		कुल-	376.50	4853.16	482.05	195348.55	1953.49	1553.49	
<b>(ग) सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)</b>		मजदूरी दर-			466.02 प्रति गांठि				
1	अना पोषाभाता कार्य सत्रि पहरों सहित	रु०	23.00	0.00	46.92	21665.73	0.00	21665.73	
2	कुलसंपन्न	रु०	36.50	0.00	74.46	30173.95	0.00	30173.95	
3	पंचों की सुरक्षा (25 हे० तक) (365)	स्थल	365.00	0.00	365.00	170098.23	0.00	170098.23	
4	पंचों की सुरक्षा (25 हे० से अधिक) (365)	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	पंचों की सुरक्षा (25 हे० से अधिक) (रु०)	स्थल	1.00	0.00	1.00	15844.77	0.00	15844.77	
6	सेक्टर सेस मजदूरी का 1 प्रतिशत	रु०	7.00	1670.00	14.28	6554.80	3406.80	10961.60	
		कुल-	396.00	4035.00	460.20	214463.58	10376.04	224839.61	
<b>(घ) सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)</b>		मजदूरी दर-			535.93 प्रति गांठि				
1	अना पोषाभाता कार्य सत्रि पहरों सहित	रु०	23.00	0.00	46.92	23145.64	0.00	23145.64	
2	कुलसंपन्न	रु०	36.50	0.00	74.46	30173.95	0.00	30173.95	
3	पंचों की सुरक्षा (25 हे० तक) (365)	स्थल	365.00	0.00	365.00	195612.97	0.00	195612.97	
4	पंचों की सुरक्षा (25 हे० से अधिक) (365)	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	पंचों की सुरक्षा (25 हे० से अधिक) (रु०)	स्थल	3.50	835.00	7.14	3826.51	1703.40	5529.91	
		कुल-	391.50	3200.00	419.06	224585.12	8723.85	233358.97	
<b>(ङ) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)</b>		मजदूरी दर-			616.31 प्रति गांठि				
1	अना पोषाभाता कार्य सत्रि पहरों सहित	रु०	23.00	0.00	46.92	28917.49	0.00	28917.49	
2	कुलसंपन्न	रु०	36.50	0.00	74.46	30173.95	0.00	30173.95	
3	पंचों की सुरक्षा (25 हे० तक) (365)	स्थल	365.00	0.00	365.00	224954.91	0.00	224954.91	
4	पंचों की सुरक्षा (25 हे० से अधिक) (365)	स्थल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	पंचों की सुरक्षा (25 हे० से अधिक) (रु०)	स्थल	1.00	8.00	7.00	20954.70	0.00	20954.70	
		कुल-	389.00	2365.00	445.92	274827.11	7572.87	282399.98	
<b>(च) सम्पोषण कार्य (षष्ठम वर्ष)</b>		मजदूरी दर-			708.76 प्रति गांठि				
1	अना पोषाभाता कार्य सत्रि पहरों सहित	रु०	23.00	0.00	46.92	258698.15	0.00	258698.15	
2	कुलसंपन्न	रु०	36.50	0.00	74.46	30173.95	0.00	30173.95	
		कुल-	365.00	0.00	365.00	258698.15	2586.98	261285.13	
<b>(छ) सम्पोषण कार्य (सातम वर्ष)</b>		मजदूरी दर-			815.08 प्रति गांठि				
1	अना पोषाभाता कार्य सत्रि पहरों सहित	रु०	23.00	0.00	46.92	297502.87	0.00	297502.87	
2	कुलसंपन्न	रु०	36.50	0.00	74.46	30173.95	0.00	30173.95	
		कुल-	365.00	0.00	365.00	297502.87	2975.03	300477.90	
<b>(ज) सम्पोषण कार्य (आठम वर्ष)</b>		मजदूरी दर-			937.34 प्रति गांठि				
1	अना पोषाभाता कार्य सत्रि पहरों सहित	रु०	23.00	0.00	46.92	342128.30	0.00	342128.30	
2	कुलसंपन्न	रु०	36.50	0.00	74.46	30173.95	0.00	30173.95	
		कुल-	365.00	0.00	365.00	342128.30	3421.28	345549.58	
<b>(झ) सम्पोषण कार्य (नवम वर्ष)</b>		मजदूरी दर-			1077.94 प्रति गांठि				
1	अना पोषाभाता कार्य सत्रि पहरों सहित	रु०	23.00	0.00	46.92	393447.54	0.00	393447.54	
2	कुलसंपन्न	रु०	36.50	0.00	74.46	30173.95	0.00	30173.95	
		कुल-	365.00	0.00	365.00	393447.54	3934.48	397382.02	

141


क्र.सं.	कार्य की विवरणी	निर्धारित दर प्रति रू०			प्राक्कलित दरें			कुल राशि	अभ्युक्ति
		इकाई	मात्रिका	राशिकी (रू०)	कुल मात्रिका	मजदूरी (रू०)	सामग्री (रू०)		
1	सम्बोधन कार्ड (प्रथम वर्ष)								
2	पौडी की सुरक्षा (20 रू० रकम) (865)	रकम	365.00	0.00	365.00	452464.68	0.00	452464.68	
	अपर वर मजदूरी का 1 प्रतिशत						4524.65	4524.65	
	कुल		365.00	0.00	365.00	452464.68	4524.65	456989.37	

(क)	अंतिम कार्य (प्रथम वर्ष) 2023-24	301677.25
(ख)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)	207102.48
(ग)	सम्बोधन कार्य (तृतीय वर्ष)	224839.61
(घ)	सम्बोधन कार्य (चतुर्थ वर्ष)	233358.97
(ङ)	सम्बोधन कार्य (पंचम वर्ष)	252399.98
(च)	सम्बोधन कार्य (षष्ठम वर्ष)	261285.13
(ज)	सम्बोधन कार्य (सप्तम वर्ष)	300477.90
(झ)	सम्बोधन कार्य (अष्टम वर्ष)	345549.58
(झ)	सम्बोधन कार्य (नवम वर्ष)	397382.02
(ञ)	सम्बोधन कार्य (दशम वर्ष)	456989.32
	कुल	3011162.24
	Say	3011162.00

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राक्कलन अपर प्रधान मुख्य वन सहायक, विकास, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश सं०-01/सोप्यो-30/2020-03, दिनांक 28.04.2023 एवं आदेश-281 दिनांक-26.04.2023 द्वारा प्राप्त दर तालिका पर आधारित है।

सम्पादन  
  
 वन क्षेत्र पदाधिकारी,  
 खुरहुडा वन प्रयोग

प्रतिहस्ताक्षरित  
  
 वन प्रमुख वन पदाधिकारी,  
 मिडिकोट वन प्रयोग  
 15/05/24



$\frac{100}{100} \cdot \frac{100}{100} \cdot \frac{100}{100}$

*[Signature]*  
 Superintendent of Survey

LESSEE:	SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LTD District - WEST INGBHUM, State- JHARKHAND
PROJECT:	PROPOSED CA LAND. OVER AN AREA 5.04 AC.. MAUZA- KARMATANR, DIST. - GIRIDIH, JHARKHAND

*[Signature]*  
 Director

5/11/2007  
*[Signature]*  
 Director



मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की जाँच किया

जाँच करती  
चैतन्य कुमार  
नि० व० लि० (प्र० स०)

139

23904  
21-03-24  
22-03-24

# Government of Jharkhand

## Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL



Receipt Number : c0c48f44e57af4c9147d

Receipt Date : 23-Feb-2024 09:47:27 am

Receipt Amount : 64000/-

Amount In Words : Sixty Four Thousands Rupees Only

Token Number : 202400023904

Office Name : SRO - Giridih

Document Type : Sale Deed

Payee Name : SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED THROUGH ITS DIRECTOR ARUN KUMAR ( Vendee )

GRN Number : 2400826733

दस्तावेज में वर्णित भूमि प्रांतवर्धित सूची से बाहर है।

जाँच करती

चैतन्य कुमार  
नि० व० लि० (प्र० स०)



--: For Office Use :-

किस 21 के अधीन और  
की स्क्र की धारा... के अधीन थी  
के एण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की अनुसूची A  
पर 20 के अधीन गथावत स्टाम्प  
एवं शुल्क से विफत व स्टाम्प शुल्क प्राप्ति

17250.00  
(A) 2.00  
(B) SALAMI 1.00  
(C) P.FEE 10000.00

22/5/24  
निर्देशाधिकारी

चैतन्य कुमार  
नि० व० लि० (प्र० स०)

चैतन्य कुमार

नि० व० लि० (प्र० स०)  
इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

चैतन्य कुमार

Handwritten notes on the left margin, including '23/03/24' and 'SRO - Giridih'.

Handwritten notes on the right margin, including '22/5/24' and 'Arun Kumar'.



138

**Government of Jharkhand**  
**Receipt of Online Payment of Stamp Duty**

**NON JUDICIAL**

**Receipt Number :** c50fe089fe836cb87f4f

**Receipt Date :** 21-Mar-2024 10:18:04 am

**Receipt Amount :** 31000/-

**Amount In Words :** Thirty One Thousands Rupees Only


**Token Number :** 202400023904

**Office Name :** SRO - Giridih

**Document Type :** Sale Deed

**Payee Name :** SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING  
LIMITED THROUGH ITS DIRECTOR ARUN  
KUMAR (Vendee )

**GRN Number :** 2401268107



:- For Office Use :-

Arun Kumar

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Arun Kumar

यह दस्तावेज विक्रय पत्र केवाला (DEED OF ABSOLUTE SALE)  
दिनांक 15 माह मई सन् 2024 को निष्पादित किया गया।

137



ATTESTED

S.K. Sinha  
Advocate Giridih


*[Signature]*  
16-5-24  
L.H. [Signature] [Signature] [Signature]  
16-5-24



ATTESTED

S.K. Sinha  
Advocate Giridih

*[Signature]*  
16-5-24  
2.H. [Signature] [Signature] [Signature]  
16-5-24



ATTESTED

S.K. Sinha  
Advocate Giridih


*[Signature]*  
16-5-24  
[Signature] Yadav



ATTESTED

S.K. Sinha  
Advocate Giridih

*[Signature]*  
16-5-24  
Rohit Yadav



S.K. Sinha  
Advocate Giridih

*[Signature]*  
16-5-24  
ASHOK YADAV

पहला भाग  
कलान महुम  
पिन-20 [Signature]  
पता: [Signature]



लेख्यकारीगण का नाम वो पता :-

1. श्री विजय यादव पिता स्व० गुरुदयाल यादव, श्रेणी ओ. बी. सी. पेशा गृहस्थी निवास स्थान नायकडीह पोस्ट गाण्डेय, थाना गाण्डेय सब वो सदर रजिस्ट्री वो जिला गिरिडीह भारतीय नागरिक, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कि धारा 46 (1) बी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। आधार न० XXXX XXXX 5900 पेन न० BIWPY3196C
2. श्री गुड्डु महतो पिता स्व० प्रभु महतो, श्रेणी ओ. बी. सी. पेशा गृहस्थी निवास स्थान धर्मपुर पोस्ट गाण्डेय, थाना गाण्डेय सब वो सदर रजिस्ट्री वो जिला गिरिडीह भारतीय नागरिक, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कि धारा 46 (1) बी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। आधार न० XXXX XXXX 6483 पेन न० FXXPM5958Q
3. श्री बिरजू यादव पिता स्व० निर्मल यादव, श्रेणी ओ. बी. सी. पेशा गृहस्थी निवास स्थान करीबांक पोस्ट मन्डरो, थाना गाण्डेय सब वो सदर रजिस्ट्री वो जिला गिरिडीह भारतीय नागरिक, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कि धारा 46 (1) बी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। आधार न० XXXX XXXX 3405 पेन न० AZQPY2544Q
4. श्री रोहित कुमार पिता स्व० राजु गोप, श्रेणी ओ. बी. सी. पेशा गृहस्थी निवास स्थान पुनीडीह पोस्ट गाण्डेय, थाना गाण्डेय सब वो सदर रजिस्ट्री वो जिला गिरिडीह भारतीय नागरिक, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कि धारा 46 (1) बी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। आधार न० XXXX XXXX 4349 पेन न० LUEPK 8405J
5. श्री अशोक कुमार पिता स्व० राजेश यादव, श्रेणी ओ. बी. सी. पेशा गृहस्थी निवास स्थान नायकडीह पोस्ट गाण्डेय, थाना गाण्डेय सब वो सदर रजिस्ट्री वो जिला गिरिडीह भारतीय नागरिक, जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 कि धारा

संदीप यादव

रिजिस्ट्रार यादव  
गिरिडीह

21/03/2024

विजय यादव

रहित यादव

ASHOK KUMAR

विजय यादव

135

रहित यादव

46 (1) बी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। आधार न० XXXX XXXX  
5378 पेन न० MXZPK7619H

लेख्यधारी का नाम व० पता :- SHRI BALAJI INDUSTRIAL  
ENGINEERING LIMITED जो कम्पनी एक्ट 1956 के अधिन है जिसका  
रजिस्टर्ड ऑफिस Unit No 413 Trimurthy's Prime Tower"  
Jhotwara Industrial Area, Jaipur 302012 (Rajasthan) पेन न०  
AADCB4480B के द्वारा डायरेक्टर श्री अरुण कुमार पिता स्व० राम  
लखन राय, श्रेणी सामान्य पेशा व्यापार, निवास स्थान डीटी 2143,  
सेक्टर 9 धुर्वा, रॉची, झारखण्ड 834004 भारतीय नागरिक। एतत्  
पश्चात् उपर्युक्त लेख्यधारी/कंता पुकारे जायेंगे। जो छोटानागपुर  
काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 (1) बी के अन्तर्गत नहीं  
आते हैं। आधार न० XXXX XXXX 8161

लेख्य प्रकार :- दस्तावेज विक्रय पत्र केवाला बैयला कलामी सदामदी।

विक्रय सम्पत्ति का मूल्य :- मोवलग 23,75,000/तैइस लाख पचहतर  
हजार रूपये मात्र।

राजस्व कर :- 5 रूपये माल अलावे शेष लगान पाने वाला झारखण्ड  
सरकार अंचल कार्यालय गाण्डेय को अदाय करेगें।

विक्रय सम्पत्ति का पूर्ण विवरण :- मवाजी 5 ए० 04 डीसमिल (पांच  
एकड चार डीसमिल) जमीन टांड वास्ते औद्योगिक वन रोपन हकियत  
रैयती कायमी दखली खतियानी बबाके मौजा करमाटांड, गादी गाण्डेय  
थाना गाण्डेय, परगना खरगडीहा, अवर निबंधन कार्यालय व० सदर  
जिला गिरिडीह अन्दर खाता न० 1 (एक) खेवट न० 2 तौजी न० 39  
थाना न० 423 हल्का न० 04 वाके है।

उपरोक्त जायदाद हासिल खाता न० 1 जिसका खतियान नाम  
से सर्वे में कारु महतो व० तुलो महतो व० मोहर महतो पेशरान गंभीर  
महतो व० अनुप महतो वल्द भीखी महतो व० घुटर महतो वल्द जीतू  
महतो व० रती महतो वल्द खुशो महतो कौम ग्वाला के दर्ज पाया है

16-8-2  
134

Signature  
Fingerprint

Signature

Signature

ASHOK

YADAV

Signature

Signature

Signature

जिसपर कारु महतो वो तुलो महतो वगैरह उपरोक्त सम्पत्ति पर कायम काबिज दखलकार चले आये, बाद सभी हिररोदार में आपसी मैचुवल घरैया बंटवारा हुवा जिसमें विकी वाला प्लॉट कारु महतो वो तुलो महतो के दखल कब्जा वो हिस्सा तख्ता में पडा एवं अन्य हिस्सेदार को दिगर प्लॉट में हिस्सा दिया गया।

यह कि, बाद कारु महतो अपने पीछे एक पुत्र लीलो महतो को छोडकर स्वर्गवास किये बाद लीलो महतो अपने पीछे तीन पुत्रों को छोडकर स्वर्गवास किये एक गुरुदयाल महतो पिता लेख्यकारी न0 1 दुसरा टीपन महतो वो तीसरा मेधन महतो। वो टीपन महतो अपने पीछे एक पुत्र प्रभु महतो को छोडकर स्वर्गवास किये, बाद प्रभु महतो अपने पीछे गुडडु महतो लेख्यकारी न0 2 को छोडकर स्वर्गवास किये। वो मेधन महतो अपने पीछे एक पुत्र निर्मल यादव को छोडकर स्वर्गवास किये, वो निर्मल यादव अपने पीछे बिरजु यादव लेख्यकारी न0 3 को छोडकर स्वर्गवास किये। बाद स्वर्गवास कर जाने अपने अपने दादा वो पिता के बाद लेख्यकारीगण न0 1 ता 3 अपने खतियानी हक हिस्से की जमीन पर शांति पूर्वक कायम काबिज दखलकार चले आते हैं।

यह कि, तुलो महतो अपने पीछे तीन पुत्रों को छोडकर स्वर्गवास किये एक मोहन महतो जो नावल्द हो गये दुसरा लाखो महतो, तीसरा हरदयाल महतो। बाद लाखो महतो अपने पीछे एक पुत्र राजु गोप को छोडकर स्वर्गवास किये बाद राजु गोप अपने पीछे रोहित कुमार लेख्यकारी न0 4 को छोडकर स्वर्गवास किये, वो हरदयाल महतो अपने पीछे पुत्र राजेश यादव को छोडकर स्वर्गवास किये बाद राजेश यादव अपने पीछे वारिस अशोक कुमार को छोडकर स्वर्गवास किये जो लेख्यकारी न0 5 हैं। बाद स्वर्गवास कर जाने दादा वो पिता के बाद लेख्यकारी न0 4 वो 5 अपने तुलो महतो की खतियानी हक हिस्से की जमीन पर शांति पूर्वक कायम काबिज दखलकार चले आते हैं।

यह कि, जिसका सरकारी भालगुजारी रसीद कारु महतो वगैरह के नाम से निर्गत होता चला आ रहा है जो अंचल पंजी 02 के भोलुम न0 1 के पेज न0 7 में दर्ज है जिसका ऑनलाईन रसीद क्रमांक सं0

25/12/16  
16/5/16  
133

25/12/16  
16/5/16  
133

शशि यादव  
Rohit yadav

ASHOK  
YADAV

0588667158 वर्ष 2023-24 है एवं बिक्री सम्पत्ति का भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र (एल. पी. सी.) कारु महतो वगैरह के नाम से प्राप्त है जिसका सि० न० 04 दिनांक 17.02.2024 है। जो आज तारीख में सभी लेख्यकारीगण एक साथ संयुक्त रूप से जो लेख्यकारीगण के दखल कब्जा वो हिस्सा तख्ता में पडा है अपने परिवारवालों के राय वो सलाह से तफसील खाता प्लॉट रकवा चौहदी जमीन साथ लेख्यधारी के विक्री करते हैं।

तफसील जमीन जो बिक्री होता है।

मौजा करमाटांड थाना गाण्डेय थाना न० 423 प्रगना खरगडीहा, अंचल गाण्डेय, हल्का न० 04 जिला गिरिडीह।

खाता न०	प्लॉट न०	नामजमीन	रकवा	बिक्री रकवा
1 एक	152 एक सौ बावन	टांड	108 डी०	108 डी०
चौहदी	उ०-प्लॉट न० 153	द०-प्लॉट न० 151	पू०-रास्ता	प०-प्लॉट न० 149
1 एक	153 एक सौ तिरपन	"	93 डी०	93 डी०
चौहदी	उ०-प्लॉट न० 149	द०-प्लॉट न० 152	पू०-रास्ता	प०-प्लॉट न० 149
1 एक	148 एक सौ अड़तालीस	"	24 डी०	18 डी०
चौहदी	उ०-प्लॉट न० 146	द०-प्लॉट न० 147	पू०-प्लॉट न० 149	प०-प्लॉट न० 147
1 एक	149 एक सौ उनचास	"	3 ए० 14 डी०	285 डी०
चौहदी	उ०-प्लॉट न० 154	द०-प्लॉट न० 150	पू०-प्लॉट न० 153 व 152	प०-प्लॉट न० 148

कुल खाता 01 कुल प्लॉट 04 विक्री रकवा 504 डीसमिल जमीन

दस्तावेज हाजा के साथ नक्शा संलग्न है नक्शा बिक्रय पत्र का एक अंश है बिक्री रकवा को नक्शा में लाल रंग से दिखलाया गया है।

5

बिलेखों का प्रामुख जांच किया है  
 चैतन्य कुमार जांचकर्ता  
 नि० ४० सि० (प्र० सं०)

16-8-24  
 139

2-2/5/24  
 Ashok Yadav  
 Rohit Yadav  
 ASHOK YADAV

यह दस्तावेज विक्रय पत्र केवाला निम्नलिखित शर्तों का साक्षी है :-

यह कि, लेख्यकारीगण जिनकी पूरी तारीफ वाला विक्रय पत्र दस्तावेज हाजा में दर्ज है लेख्यकारीगण एकरार हसब जैल करार करते हैं वो लिख देते हैं कि लेख्यकारीगण को रूपये कि सख्त जरूरत वास्ते काम खर्च जरूरी का है बगैर बिकी करने जायदाद का कोई दुसरा उपाय नहीं दिख पडता है। इसलिये उपरोक्त जायदाद का याने जमीन का वाजिब वो जायज किमत मोवलग 23,75,000 / रूपया में मवाजी 504 डीसमील जमीन साथ लेख्यधारी के बिकी किया वो दखलकार किया वो गरदाना ।

यह कि, लेख्यधारी मय वारीसान उपरोक्त खरिदगी जमीन पर अपने इच्छा अनुसार आधुनिक ढंग से वृक्ष लगावें खेती बारी करें बाग बगीच्चा लगावें वो बिजली कनेक्शन लेकर एवं पानी बोरिंग करवा कर खुद बास करें या भाडा पर लगावें या खुद व्यवसाय करें या जैसा मुनासिब समझें उसका सारा सुख सुवीध वो आमद मुनाफा अपने भोग तसरुफ पुस्त दर पुस्त हासिल किया करें। इसमें लेख्यकारीगण मय वारिसान का कोई एतराज वो उजुर नहीं है न भविष्य में कमी होगा।

यह कि, जैसा वो जिस किस्म का हक वो वास्ता सरोकार वो अधिकार जायदाद बिकी वाली सम्पति पर लेख्यकारीगण मय वारिसान का था या आईन्दा हासिल होता वह सब तमाम हक हकुक वास्ता सरोकार आज तारीख से लेख्यधारी मय वारिसान का हुवा वो होता रहेगा।

यह कि, बनिस्वत शैय मोवईया बसिरिस्ते जमीनदारी झारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय गाण्डेय लेख्यकारीगण अपना नाम खारिज कराकर

16-5-21  
131

श्री यदव  
Rohit yadav

ASHOK  
YADAV


लेख्यधारी अपना नाम दर्ज कराकर सरकारी मालगुजारी रसीद साल ब साल अपने नाम से लेख्यधारी मय वारिसान रसीद हासिल किया करें।

यह कि, उपरोक्त बिकी वाला जमीन हर सुरत से पाक वो साफ है इसमें किसी प्रकार का वारदेन वो नुक्स नहीं है एवं ऋण भार से मुक्त है यदि भविष्य में किसी प्रकार का वारदेन वो नुक्स पाया जायेगा तो उसका तमामी हरजा का देनदार लेख्यकारी मय वारिसान होंगे।

यह कि, लेख्यकारीगण उपरोक्त जायदाद का कुल कीमत पाकर अपने राजी खुशी नेक नियत होश हवास में बिना बहकावट वो फुसलाहट किसी दुसरे के यह बिक्रय पत्र केवाला सदामदी हाजा साथ लेख्यधारी के लिख दिया जो सगय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।



Advocate Giridih



*Ajaya Kumar*

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छाया चित्र इस दस्तावेज में लगा हुआ है इनका बांये हाथ की सभी अंगुलियों के निशान मेरे सामने लिया गया है वो साथ ही बिकी दस्तवेज का मजबुन बिकेता स्पष्ट ब्यान पर लिखा वो पढकर सुना समझा दिया गया।

टंकक

*[Signature]*

*[Signature]*  
पारुपकला 16.5.24  
Sunil Kumar Sinha  
Advocate  
Civil Court Giridih

130  
16-5-24  
*[Fingerprints]*

*Ashok Yadav*  
*Rohit Yadav*  
ASHOK  
YADAV

प्रमाणित किया जाता है कि दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि, भुदान, बंदोबस्त भूमि नहीं है तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम/संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत इसका हस्तांतरण प्रतिबंधित नहीं है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार की निषेधज्ञा (Injunctioun) किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं लगायी गयी है तथा इसका हस्तांतरण किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है।

लेख्यकारी का छायाचित्र, हस्ताक्षर दो बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का निशान।

ATTESTED  
S.K. Sinha  
Advocate Giridih

16.5.24  
जिजीय यादव  
16.5.24

ATTESTED  
S.K. Sinha  
Advocate Giridih

16.5.24  
जिजीय यादव  
16.5.24

ATTESTED  
S.K. Sinha  
Advocate Giridih


जिजीय यादव



ATTESTED

S.P. Sinha  
Advocate Giridih

Rohit Yadav



ATTESTED

S.K. Sinha  
Advocate Giridih

ASHOKYADAV




लेख्यधारी का छायाचित्र, हस्ताक्षर वो बायें हाथ के पांचों अंगुलियों का निशान।



ATTESTED

S.K. Sinha  
Advocate Giridih

Anam Kumar



1. पहचान का हस्ताक्षर के.न.ल.सिंहा 2. गवाह न0 2 का हस्ताक्षर के.न.ल.सिंहा  
 नाम के.न.ल.सिंहा नाम  
 पिता/पति का नाम के.न.ल.सिंहा पिता/पति का नाम  
 पता रक्षा कूटे पता  
 आधार न0 XXXXXXXXXX4673 आधार न0  
 प्रारूपक/लेख्यकारी/दस्तावेज लेखक/अनुज्ञापितधारक/अधिवक्ता

Sunil Kumar Sinha  
Advocate  
Civil Court Giridih

*[Handwritten signature]*

127

निबंधन कार्यालय में दरतावेज की जांच हेतु चेकलिस्ट

क्र. सं०	चेक लिस्ट का विषय	YES	NO
1.	खतियान की सत्यापित प्रति		
	खतियान उपलब्ध न होने की स्थिति में अंचल कार्यालय से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त-		
	(I) अंचलधिकारी द्वारा प्रमाणित पंजी II अथवा		
	(II) भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा	✓	
	(III) शुद्धि पत्र		
	(IV) अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने की स्थिति में पक्षकार द्वारा अंचल कार्यालय में आवेदन समर्पित करने की प्राप्ति रसीद।		
2.	भूमि से संबंधित हाल सर्वे नक्शा तथा इसके उपलब्ध न होने की स्थिति में पक्षकार द्वारा तैयार स्वप्रमाणित नजरी नक्शा जिसमें भूमि की अवस्थिति के संबंध में पता चल सकें।	✓	
3.	पंजी II का वाल्यूम संख्या तथा पृष्ठ संख्या का वर्णन	✓	
4.	मुद्रांक शुल्क का भुगतान	✓	
5.	निबंधन शुल्क का भुगतान	✓	
6.	आधार सत्यापन	✓	
7.	PAN सत्यापन	✓	
8.	होलिडिंग संख्या का वर्णन (शहरी क्षेत्र होने की स्थिति में)	✗	

22/5/24

जांच लिपिक का हस्ताक्षर

तिथि सहित

हेमन्त कुमार  
नि० व० लि० (प्र० सं०)

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि सहित

126

दस्तावेज में वर्णित सभी बातें विक्रेता केता पहचानकर्ता एवं गवाहों की जानकारी में पूर्णतः सही एवं सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा जालसाजी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति कानुनी तौर पर जिम्मेदार होंगे। मैं (विक्रेता) प्रमाणित करता हूँ कि यह जमीन सरकारी बन्दोबस्ती अविद्यशील मौजा धार्मिक स्थल तथा सार्वजनिक इस्तेमाल की नहीं है तथा छोटानापुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 (1) बी. में निहित प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा सभी तरह के विवादों से मुक्त है दस्तावेज में वर्णित सम्पत्ति पूर्णतः हस्तान्तरणीय है एवं वर्णित जमीन सम्पत्ति का हस्तांतरण मेरे द्वारा हमारे पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया गया है।

अनुलगनक की सूची -

1. खतियान / केवाला
2. पंजी 02
3. मालगुजारी रसीद
4. वंशावली
5. एल. पी. सी.
6. सर्वे नक्सा

बिक्रेता का हस्ताक्षर

*Rohit Yadav*  
*Yadav*

Rohit Yadav

ASHOK  
YADAV




124

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड  
Permanent Account Number Card  
FXXPM5958Q



नाम / Name  
GUDDU MAHTO

पिता का नाम / Father's Name  
PRABHU MAHTO

जन्म तिथि / Date of Birth  
01/01/1985

हस्ताक्षर / Signature

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड  
Permanent Account Number Card

AZQPY2544Q

नाम / Name  
BURJU YADAV

पिता का नाम / Father's Name  
NIRMAL YADAV

05/07/2018

बिल की तिथि / Date of Bill  
09/07/1995

हस्ताक्षर / Signature

123

Birju Yadav

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

रक्षणी लेखा संख्या कार्ड  
Permanent Account Number Card


MXZPK7619H

नाम / Name  
ASHOK KUMAR

पिता का नाम / Father's Name  
RAJESH YADAV

जन का तिथि /  
Date of Birth  
01/01/2000

हस्ताक्षर / Signature



122

अशोक कुमार

अंशदाईन मिलावट  
Stamp  
121  
आवेदक अंतर्गत  
कानूनपर अधिनियम  
मिशन कार्यालय, निरिडीहा

### भू-धारण/भू-जमाबंदी प्रमाण पत्र

अंचल:- गाण्डेय  
हल्का :- IV

क्रमांक 04  
दिनांक 11/2/2024

जमाबंदी रैयत का नाम/पिता कारु महतो वगै.  
पिता :- गंगी महतो

मौजा/थाना सं० खाता सं० प्लॉट सं० रकबा पंजी ॥ पृष्ठ सं०/भाग सं०  
कामांडा (423) 01 145, 146 19.76 7/1 19.22.21/5

#### आवेदित भूमि का विवरण

मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>कामांडा (423)</u>	01	145	6.46 <u>महाशय</u>
		146	0.46 <u>आवेदित 2 मि -</u>
		148	0.57 <u>मौजा कारमांडा खताना</u>
		149	0.57 <u>01 खाते सं० 145, 146,</u>
		152	3.14 <u>उ. 14 का उभय छुल रकबा</u>
		153	1.08 <u>उ. 19-76 ख० 2 मि -</u>
		309	0.93 <u>01 खाते में रैयत कार०</u>
		310	2.22 <u>महतो पिता सं० गंगी</u>
		312	3.31 <u>महतो के जमाबंदी</u>
		318	1.04 <u>रैयत वशेष शायद</u>
		0.55 <u>कामांडा रकबा</u>	
		<u>19.76</u>	<u>दरबान कार०</u>

महशय  
आवेदित भूमि मौजा कामांडा थाना 423  
रकबा संख्या 01 खताना संख्या 145, 146  
पंजी अंश कुल आवेदित रकबा 19.76  
मौजा/थाना/खाता सं० प्लॉट सं० रकबा  
पंजी अंश  
कामांडा 01 145, 146, 148, 149, 152, 153, 309, 310, 312, 318  
कुल रकबा 19.76  
पंजी अंश 7/1  
मौजा/थाना/खाता सं० प्लॉट सं० रकबा पंजी अंश  
कामांडा 01 145, 146, 148, 149, 152, 153, 309, 310, 312, 318 7/1  
कुल रकबा 19.76 पंजी अंश 7/1  
मौजा/थाना/खाता सं० प्लॉट सं० रकबा पंजी अंश  
कामांडा 01 145, 146, 148, 149, 152, 153, 309, 310, 312, 318 7/1  
कुल रकबा 19.76 पंजी अंश 7/1

Rohit Yadav  
AS HO KUMAR  
कांस्टीबल

15/02/2024  
राजस्व प्रभाग 10

अंचल निरीक्षक  
गाण्डेय



अंचल अधीक्षिका  
गाण्डेय (निरिडीहा)

प्रस्तुत मुताबिक  
दि 15/02/2024 को जारी किया गया है।

राजस्थान एवं भूमि सुधार विभाग  
अधिकार अधिकारी

120

खता का नाम, अधिभाषक का नाम, विस्तार

न्यून महतो को पुनः महतो, बन्द - जीतू महतो, 1, जाति- गोवाला, निवासी- शाकिनन्देव व शाहू महतो को तुल्लो महतो को मोहन महतो, बन्द - गंभीर महतो, 2, जाति- गोवाला, निवासी- शाकिनन्देव

जिला का नाम गिरिडीह अंचल का नाम गाण्डेय हलका का नाम हल्का - IV मौजा का नाम करमाटांड खता का रूपति प्रकार

खत नम्बर	खेतरा नम्बर	श्रीहरी उत्तर 5 श्रीहरी दक्षिण 4	क्रिस घनीन	मिपान	क्षिपित / अभ्युक्ति	हाकिम के तहसीलगत मुताबिक लगान/लेस	लगान	खास धरत
(1)	(2)	(3)	किपायी संख्या (5)		(8)	(9)	रौ (10) जा (11) पै (12)	(13)
7	1	जंगल शाखू 2. जंगल शाखू	टाड़ दो 1	0.000 एकड़ 36.000 डिसेमील			0 0 0	
18	2	जंगल शाखू 2. टांड रती महतो	टाड़ दो 2	3.000 एकड़ 49.000 डिसेमील				
26	3	टांड मोहन महतो 2. टांड तुल्लो महतो	टाड़ दो 2	1.000 एकड़ 30.000 डिसेमील				
36	4	धान तुल्लु महतो 2. मोटा आर	धान खेत एक 1	0.000 एकड़ 24.000 डिसेमील				
46	5	परती कदीम 2. धान मोहन महतो	धान खेत दो 3	0.000 एकड़ 29.000 डिसेमील				
47	6	परती कदीम 2. टांड रती महतो	टाड़ दो 1	0.000 एकड़ 94.000 डिसेमील				
51	7	टांड रतु महतो 2. टांड रती महतो	टाड़ एक 3	0.000 एकड़ 54.000 डिसेमील				
54	8	टांड रती महतो 2. टांड तुल्लु महतो	टाड़ दो 1	0.000 एकड़ 75.000 डिसेमील				
61	9	परती मोहन महतो 2. टांड निज	धान खेत दो 2	0.000 एकड़ 42.000 डिसेमील				
66	10	जंगल शाखू 2. धान मोहन महतो	धान खेत एक 2	0.000 एकड़ 29.000 डिसेमील				
77	11	जंगल शाखू 2. धान मोहन महतो	धान खेत एक 1	0.000 एकड़ 9.000 डिसेमील				
140	12	टांड तुल्लु महतो 2. शिवना लेवो	टाड़ दो 1	1.000 एकड़ 84.000 डिसेमील				
149	13	टांड महाराए राय 2. जंगल राय	टाड़ दो 1	3.000 एकड़ 14.000 डिसेमील				
163	14	टांड पहलाद गोप 2. टांड पहलाद गोप वेगेरह	टाड़ दो 1	1.000 एकड़ 41.000 डिसेमील				
187	15	टांड पहलाद गोप 2. टांड निज	टाड़ दो 1	0.000 एकड़ 21.000 डिसेमील				
235	16	धान निज 2. टांड निज	टाड़ दो 2	0.000 एकड़ 20.000 डिसेमील				
238	17	धान तुल्लु महतो 2. टांड दुखन महतो	धान खेत तीन 2	0.000 एकड़ 2.000 डिसेमील				
273	18	टांड अनूप महतो वेगेरह 2. धान अनूप महतो वेगेरह	टांड तीन 1	1.000 एकड़ 38.000 डिसेमील				
305	19	जंगल शाखू 2. टांड रतु महतो	टाड़ दो 1	2.000 एकड़ 10.000 डिसेमील				
309	20	टांड पहलाद सिंह 2. टांड निज	टाड़ दो 2	2.000 एकड़ 22.000 डिसेमील				
310	21	टांड निज 2. जंगल शाखू	टांड तीन 1	3.000 एकड़ 43.000 डिसेमील				
327	22	जंगल शाखू 2. टांड तुल्लु महतो	टाड़ दो 1	0.000 एकड़ 94.000 डिसेमील				
331	23	जंगल शाखू 2. टांड कारू महतो वेगेरह	टांड तीन 1	0.000 एकड़ 45.000 डिसेमील				
338	24	परती निज 2. जंगल शाखू	टाड़ दो 2	0.000 एकड़ 33.000 डिसेमील				
3	25	जंगल शाखू 2. जंगल शाखू	परती कदीम 3	0.000 एकड़ 22.000 डिसेमील				
5	26	2. - 2.	परती पिंड 1	0.000 एकड़ 17.000 डिसेमील				
6	27	परती निज 2. जंगल शाखू	परती 1	0.000 एकड़ 95.000 डिसेमील				
52	28	2. - 2.	परती 0	0.000 एकड़ 0.000 डिसेमील				
0	29	2. - 2.	0	0.000 एकड़ 29.000 डिसेमील				
0	30	2. - 2.	टाड़ दो 0	0.000 एकड़ 45.000 डिसेमील				

119

क्र.	विवरण	एकड़	डिसमील
47	1. खिचना कार-नपुरा 2. जंगल झारी	टांड तीन 1	1.000 एकड़ 4.000 डिसमील
49	2. टांड रती महतो 2. टांड रती महतो	टांड दो 1	0.000 एकड़ 58.000 डिसमील
179	2. - 7. -	मकान 2, सहन 1 0	0.000 एकड़ 9.000 डिसमील
178	2. टांड मोहन महतो 2. टांड कारू महतो केगेरह	टांड एक 1	0.000 एकड़ 19.000 डिसमील
57	2. धन पहलाद राय 2. धन तुलो महतो	धान खेत दो 2	0.000 एकड़ 0.000 डिसमील
76	2. जंगल सिंह 2. धनरू महतो	धान खेत दो 1	0.000 एकड़ 6.000 डिसमील
90	2. टांड तुलो महतो 2. टांड निज	टांड तीन 1	0.000 एकड़ 8.000 डिसमील
91	2. टांड निज 2. टांड निज	टांड दो 1	0.000 एकड़ 27.000 डिसमील
92	2. टांड निज 2. मकान निज	टांड एक 1	0.000 एकड़ 14.000 डिसमील
93	2. - 7. -	मकान 2, सहन 1 0	0.000 एकड़ 4.000 डिसमील
164	2. टांड निज 2. -	टांड दो 1	0.000 एकड़ 32.000 डिसमील
0	2. - 2. -	परती कदीम 1	0.000 एकड़ 1.000 डिसमील
0	2. - 2. -	परती कदीम 1	0.000 एकड़ 2.000 डिसमील
0	2. - 2. -	टांड दो 0	0.000 एकड़ 57.000 डिसमील
0	2. - 7. -	टांड दो 0	0.000 एकड़ 0.000 डिसमील
210	2. परती कदीम 2. जंगल झारी	मोटा आर 0	0.000 एकड़ 8.000 डिसमील
215	2. धन निज 2. परती कदीम	धान खेत तीन 1	0.000 एकड़ 5.000 डिसमील
216	2. जंगल शाखू 2. परती कदीम	धान खेत दो 2	0.000 एकड़ 61.000 डिसमील
217	2. जंगल झारी 2. परती कदीम	मोटा आर 1	0.000 एकड़ 3.000 डिसमील
218	2. परती निज 2. परती निज	धान खेत तीन 1	0.000 एकड़ 16.000 डिसमील
219	2. जंगल शाखू 2. टांड निज	धान खेत तीन 1	0.000 एकड़ 16.000 डिसमील
220	2. जंगल झारी 2. धन निज	मोटा आर 1	0.000 एकड़ 22.000 डिसमील
221	2. जंगल झारी 2. धन निज	धान खेत तीन 1	0.000 एकड़ 14.000 डिसमील
222	2. परती निज 2. धन निज	धान खेत तीन 1	0.000 एकड़ 16.000 डिसमील
223	2. जंगल झारी 2. धन निज	टांड दो 1	0.000 एकड़ 16.000 डिसमील
224	2. टांड निज 2. जंगल झारी	धान खेत दो 9	0.000 एकड़ 73.000 डिसमील
227	2. पहाड़ी 2. धन कारू महतो केगेरह	धान खेत एक 2	0.000 एकड़ 28.000 डिसमील
234	2. जंगल झारी 2. धन निज	टांड दो 1	0.000 एकड़ 21.000 डिसमील
237	2. धन तुलो महतो 2. धन निज	धान खेत तीन 1	0.000 एकड़ 9.000 डिसमील
241	2. धन निज 2. धन कारू महतो केगेरह	धान खेत दो 1	0.000 एकड़ 14.000 डिसमील
242	2. टांड पहलाद 2. धन तुलो महतो	धान खेत तीन 5	0.000 एकड़ 27.000 डिसमील
245	2. टांड पहलाद शिप 2. टांड निज	टांड दो 1	2.000 एकड़ 1.000 डिसमील
0	2. - 7. -	टांड दो 0	0.000 एकड़ 0.000 डिसमील
241	2. पहाड़ी 2. जंगल शाखू	मोटा आर 1	0.000 एकड़ 0.000 डिसमील
282	2. पहाड़ी 2. -	धान खेत दो 2	0.000 एकड़ 52.000 डिसमील
284	2. - 7. -	मोटा आर 1	0.000 एकड़ 4.000 डिसमील
285	2. पहाड़ी 2. जंगल शाखू	धान खेत एक 1	0.000 एकड़ 11.000 डिसमील


			एकड़	उत्पन्न
29	जंगल शाखू १ परती कदीम	टाइ दो 1	0.000 एकड़	40.000 डिसमील
30	जंगल शाखू १ टांड रती महतो	टाइ दो 2	1.000 एकड़	43.000 डिसमील
35	टांड कारू महतो १ टांड मोहन महतो	टाइ दो 2	4.000 एकड़	7.000 डिसमील
11	मोटा आर १ परती	धान खेत एक 1	0.000 एकड़	37.000 डिसमील
50	टांड अनूप महतो १ टांड कारू महतो	टाइ दो 2	1.000 एकड़	76.000 डिसमील
116	मोटा आर १ धान पहल्लाद राय	धान खेत एक 1	0.000 एकड़	63.000 डिसमील
135	टांड मोहन महतो १ टांड कारू महतो वेगेरह	टाइ दो 1	1.000 एकड़	18.000 डिसमील
136	टांड अनूप महतो १ टांड	टाइ दो 2	1.000 एकड़	54.000 डिसमील
141	टांड मोहन महतो १ -	टाइ दो 2	1.000 एकड़	76.000 डिसमील
156	टांड रती महतो १ जंगल शाखू	टाइ दो 1	1.000 एकड़	8.000 डिसमील
168	टांड अनूप महतो वेगेरह १ टांड पहल्लाद महतो वेगेरह	टाइ दो 1	0.000 एकड़	55.000 डिसमील
264	१ - १ -	टाइ दो 1	0.000 एकड़	40.000 डिसमील
0	१ - १ -	टाइ दो 1	0.000 एकड़	16.000 डिसमील
229	धान निज १ धान निज	धान खेत एक 1	0.000 एकड़	8.000 डिसमील
233	धान निज १ टांड कारू महतो	टाइ दो 1	0.000 एकड़	19.000 डिसमील
236	धान कारू महतो १ धान कारू महतो	धान खेत तीन 2	0.000 एकड़	10.000 डिसमील
171	टांड पहल्लाद सिंघा १ टांड निज	टाइ एक 1	0.000 एकड़	39.000 डिसमील
172	१ - १ -	मकान 2 सहन्य 1 0	0.000 एकड़	3.000 डिसमील
63	धान मोहन महतो १ धान कारू महतो	धान खेत एक 1	0.000 एकड़	5.000 डिसमील
70	जंगल शाखू १ धान अनूप महतो	धान खेत एक 1	0.000 एकड़	21.000 डिसमील
71	धान मोहन महतो १ धान निज	मोटा आर 1	0.000 एकड़	1.000 डिसमील
74	जंगल शाखू १ टांड तुली महतो	धान खेत एक 1	0.000 एकड़	25.000 डिसमील
81	धान रती महतो १ धान पहल्लाद सिंघा	धान खेत दो 1	0.000 एकड़	4.000 डिसमील
108	टांड कारू महतो १ टांड पहल्लाद सिंघा	टाइ दो 1	0.000 एकड़	17.000 डिसमील
360	जंगल शाखू १ जंगल शाखू	टाइ दो 1	1.000 एकड़	61.000 डिसमील
326	जंगल शाखू १ टांड कारू महतो	टाइ दो 1	0.000 एकड़	66.000 डिसमील
332	परती पधत १ शिवना कारू 31	टांड तीन 1	0.000 एकड़	43.000 डिसमील
57/41	धान पहल्लाद वेगेरह १ धान तुली महतो	धान खेत तीन 1	0.000 एकड़	2.000 डिसमील
50/343	टांड बुतर महतो १ टांड निज	टाइ दो 1	0.000 एकड़	89.000 डिसमील
8	बांध निज १ कारू महतो वेगेरह	धान खेत एक 1	0.000 एकड़	15.000 डिसमील
30	पहल्लाद राय १ कारू महतो वेगेरह	मोटा आर 1	0.000 एकड़	6.000 डिसमील
115	कारू महतो १ कारू महतो वेगेरह	मोटा आर 1	0.000 एकड़	4.000 डिसमील
22	टांड रती महतो १ टांड पहल्लाद राय वेगेरह	टाइ दो 1	0.000 एकड़	99.000 डिसमील
25	टांड कारू महतो १ टांड पहल्लाद महतो	टाइ दो 1	0.000 एकड़	48.000 डिसमील
35	टांड निज १ धान कारू महतो	धान खेत एक 1	0.000 एकड़	44.000 डिसमील
39	धान निज १ टांड रती महतो	टाइ दो 1	1.000 एकड़	20.000 डिसमील

क्र.सं.	महत्तो	एकड़	डिसमील
35	१. धान अनूप महत्तो वेगेरह १. धान पहलद महत्तो	धान खेत दो १	0.000 एकड़ 26.000 डिसमील
128	१. टांड रती महत्तो १. टांड मोहन महत्तो	टांड दो ।	0.000 एकड़ 89.000 डिसमील
135	१. टांड अनूप महत्तो वेगेरह १. टांड कारू महत्तो	टांड दो ।	0.000 एकड़ 84.000 डिसमील
165	१. टांड पहलद महत्तो १. -	टांड दो ।	0.000 एकड़ 96.000 डिसमील
181	१. टांड रती महत्तो १. टांड मोहन महत्तो	टांड दो ।	0.000 एकड़ 17.000 डिसमील
184	१. टांड पहलद सिंध १. टांड रती महत्तो	टांड दो ।	0.000 एकड़ 10.000 डिसमील
233	१. टांड कारू महत्तो वेगेरह १. धान कारू महत्तो वेगेरह	धान खेत तीन ।	0.000 एकड़ 9.000 डिसमील
240	१. धान अनूप महत्तो वेगेरह १. धान अनूप महत्तो	धान खेत दो ।	0.000 एकड़ 2.000 डिसमील
304	१. टांड रती महत्तो १. जगत शाखू	टांड दो ।	2.000 एकड़ 9.000 डिसमील
329	१. टांड कारू महत्तो १. खिना रूपा टांड	टांड दो ।	0.000 एकड़ 17.000 डिसमील
34	१. धान कारू महत्तो वेगेरह १. धान कारू महत्तो वेगेरह	धान खेत एक ।	0.000 एकड़ 50.000 डिसमील
69	१. कारू महत्तो वेगेरह १. धान पहलद सिंध	मोटा अर ।	5.000 एकड़ 5.000 डिसमील
27	१. टांड चुटन महत्तो १. टांड कारू महत्तो	टांड दो 2	1.000 एकड़ 29.000 डिसमील
33	१. परती पहलद महत्तो १. धान रूचू महत्तो	धान खेत एक ।	0.000 एकड़ 22.000 डिसमील
38	१. जगत शाखू १. टांड रती महत्तो	टांड दो ।	0.000 एकड़ 51.000 डिसमील
65	१. धान कारू महत्तो १. परती कदीम निज	धान खेत एक ।	0.000 एकड़ 13.000 डिसमील
79	१. धान कारू महत्तो १. टांड कारू महत्तो	धान खेत तीन ।	0.000 एकड़ 10.000 डिसमील
122	१. टांड चुटन महत्तो १. टांड चुटन महत्तो	टांड दो ।	0.000 एकड़ 67.000 डिसमील
139	१. टांड चुटन महत्तो १. टांड चुटन महत्तो	टांड दो ।	1.000 एकड़ 64.000 डिसमील
180	१. - १ -	टांड दो 0	0.000 एकड़ 34.000 डिसमील
231	१. धान निज १. धान निज	धान खेत दो 2	0.000 एकड़ 5.000 डिसमील
170	१. धान निज १. टांड निज	टांड दो ।	0.000 एकड़ 32.000 डिसमील
64	१. धान कारू महत्तो वेगेरह १. धान कारू महत्तो वेगेरह	परती कदीम ।	0.000 एकड़ 11.000 डिसमील
9	१. धान चुटन महत्तो १. मोटा अर	धान खेत एक 3	0.000 एकड़ 64.000 डिसमील
17	१. टांड कारू महत्तो १. टांड अनूप महत्तो	टांड दो 2	1.000 एकड़ 65.000 डिसमील
21	१. टांड चुटन महत्तो १. टांड रती महत्तो	टांड दो ।	0.000 एकड़ 69.000 डिसमील
48	१. टांड चुटन महत्तो १. टांड अनूप महत्तो	टांड दो ।	0.000 एकड़ 72.000 डिसमील
55	१. टांड कारू महत्तो १. टांड अनूप महत्तो	टांड दो ।	0.000 एकड़ 44.000 डिसमील
72	१. चुटन शाखू १. धान अनूप महत्तो	धान खेत एक ।	0.000 एकड़ 12.000 डिसमील
73	१. जगत शाखू १. धान निज	धान खेत दो 2	0.000 एकड़ 1.000 डिसमील
80	१. धान कारू महत्तो वेगेरह १. धान अनूप महत्तो वेगेरह	धान खेत दो ।	0.000 एकड़ 6.000 डिसमील
87	१. परती कदीम १. टांड पहलद राय वेगेरह	धान खेत दो ।	0.000 एकड़ 6.000 डिसमील
106	१. टांड कारू महत्तो १. टांड पहलद सिंध	टांड दो ।	0.000 एकड़ 69.000 डिसमील
106/347	१. परती नाता १. टांड पहलद सिंध	टांड दो ।	0.000 एकड़ 28.000 डिसमील
126	१. टांड पहलद सिंध १. टांड चुटन महत्तो	टांड दो ।	0.000 एकड़ 85.000 डिसमील
130	१. टांड पहलद सिंध १. टांड कारू महत्तो	टांड दो ।	0.000 एकड़ 29.000 डिसमील



N S.

मोजा - कर भांडो  
 थाना नं० - 423  
 थाना - गाण्डोस  
 जिला - गण्डिसि  
 प्रान्त - खरगडोस  
 पैमाला - 16" = 1 एक भौत  
 चिन्हित - स्थान माल रंज



Rohit Yadav  
 Shobh Yadav  
 ASHOKKURMA

दो-विधमाला  
 दि 28/11/24

संकेत :-

10	152	108	108
20	153	093	093
30	148	024	018
40	149	314	285
50	140	539	595
			594

अमोल अन्सादि  
 8/10/24  
 15





Date of making the copy to the applicant	Date of delivery of the copy to the applicant	Date of delivery of the copy to the applicant	Date of delivery of the copy to the applicant	Date of delivery of the copy to the applicant	Date of delivery of the copy to the applicant	Date of delivery of the copy to the applicant	Date of delivery of the copy to the applicant	Date of delivery of the copy to the applicant
20.10.2016	20.10.2016	20.10.2016	20.10.2016	20.10.2016	20.10.2016	20.10.2016	20.10.2016	20.10.2016

Handwritten notes in the table cells, including dates and possibly names or initials.

Handwritten notes below the table, possibly a list of items or a summary.

Large handwritten notes or a list, possibly detailing the contents of the copies or the status of the application.


Additional handwritten notes, possibly a signature or a date, located at the bottom of the page.

111

No.	Date of delivery of the copy to the applicant	Date of delivery of the copy to the applicant	Date of delivery of the copy to the applicant	Date of delivery of the copy to the applicant
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...


...

काशु महतो (252 डी०)  
लीलो महतो




(252 डी०)

तुलो महतो



Rohit yadav  
ASHOK KUMAR

मुखिया  
ग्राम पंचायत  
गाण्डेय



म-गुडुप ५

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

May 22, 2024

109

पंजी II प्रति

भाग वर्तमान	1	पृष्ठ संख्या	7
खिला का नाम	गिरिडीह	अनुमंडल नाम	गिरिडीह
मौजा का नाम	करमाटांड	होलिंग संख्या	1/4
		अंचल का नाम	तोजी संख्या
		गाण्डेय	0
		हलका का नाम	पाना नम्बर
		हल्का - IV	0423
		इस्टेट का नाम	खाना का प्रकार
			—

कारण महतो वगैरे, पिता-गम्भीर महतो, जाति-.

खाता नम्बर	प्लॉट संख्या	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	सेस
1	168	0 ऐ 0 डि 0 हे	बंदोबस्ती केस नं० KHATA NO.1 RAKVA 111 EKAD.43 DI. मधे LAGAN 1.25	20	1.81
1	327	0 ऐ 41.5 डि 0 हे			
1	331	0 ऐ 20 डि 0 हे			
1	329	0 ऐ 15 डि 0 हे			
1	326	0 ऐ 26.5 डि 0 हे			
1	332	0 ऐ 15 डि 0 हे			
1	316	0 ऐ 55 डि 0 हे			
1	315	1 ऐ 4 डि 0 हे			
1	325	0 ऐ 17 डि 0 हे			
1	149	3 ऐ 14 डि 0 हे			
1	152	1 ऐ 8 डि 0 हे			
1	153	0 ऐ 93 डि 0 हे			
1	146	0 ऐ 46 डि 0 हे			
1	148	0 ऐ 24 डि 0 हे			
1	227	0 ऐ 28 डि 0 हे			
1	228	0 ऐ 6 डि 0 हे			
1	229	0 ऐ 8 डि 0 हे			
1	230	0 ऐ 6 डि 0 हे			
1	231	0 ऐ 5 डि 0 हे			
1	233	0 ऐ 19 डि 0 हे			
1	234	0 ऐ 21 डि 0 हे			
1	235	0 ऐ 19 डि 0 हे			
1	236	0 ऐ 10 डि 0 हे			
1	237	0 ऐ 9 डि 0 हे			
1	238	0 ऐ 2 डि 0 हे			
1	239	0 ऐ 8 डि 0 हे			
1	240	0 ऐ 2 डि 0 हे			
1	241	0 ऐ 14 डि 0 हे			
1	242	0 ऐ 27 डि 0 हे			
1	245	2 ऐ 1 डि 0 हे			
1	309	2 ऐ 22 डि 0 हे			
1	310	3 ऐ 31 डि 0 हे			
1	145	6 ऐ 46 डि 0 हे			
1	303	2 ऐ 3 डि 0 हे			
1	304	2 ऐ 9 डि 0 हे			
1	305	1 ऐ 42 डि 0 हे			
1	306	2 ऐ 22 डि 0 हे			
1	232	0 ऐ 17 डि 0 हे			
	कुल परिमाण	32 ऐ 55.999 डि 0 हे			

तारीख	प्राप्ति पत्र संख्या	साल से	साल तक	लागत बकाया	लागत चालू साल	रोड सेस बकाया	रोड सेस चालू साल	शिक्षा सेस बकाया	शिक्षा सेस चालू साल	स्वास्थ्य सेस बकाया	स्वास्थ्य सेस चालू साल	कृषि सेस बकाया	कृषि सेस चालू साल
15/05/2016	067815	2016	2017	1.25	1.25	0.31	0.31	0.03	0.03	0.63	0.63	0.25	0.25
07-27-2021	0596718519	2017-2018	2021-2022	8	2	2	0.5	4	1	4	1	1.6	0.4
06-11-2022	0017589176	2022-2023	2022-2023	0	50	0	12.5	0	25	0	25	0	10
08-14-2023	0588667158	2023-2024	2023-2024	0	20	0	5	0	10	0	10	0	4

List Of Mutation Cases on the above transaction in Register-II

Mutation Cases Not Found !!

ऑनलाईन मिलान किया !!

List Of Case Status Details

जावेद अंसारी  
 वरिष्ठ अधिकारी  
 निबंधन कार्यालय, गिरिडीह

विभाग प्रमुख  
 बरपना देवी  
 BACK

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति  
 प्रतः प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

108

शासन संख्या	धेरास संख्या	रकबा (एकड मे)
1	145,146,148,149,152,153,168,227,228,229,230,231,233,234,236,238,237,239,239,240,241,242,245,309,310,315,316,325,326,327,329,331,332	32- एकड 55.999 डिसागीर 0 हेक्टर

धरासी नकदी	असानी भावरी	राफरीत हिराज लगान भावरी
------------	-------------	-------------------------

मांग बाबत	साखाना	बकाया				हाल (2023-2024)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ रा वर्ष	
मात गुजारी (नकदी) (भावरी)	20.00					20.00
सेस	5.00					5.00
रुद	10.00					10.00
मुतफरकात	10.00					10.00
मीखान	4.00					4.00
	49.00					49.00

अदायकारी बाबत	साखाना	बकाया				मौतालखा हाल (2023-2024)	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ रा वर्ष		
मात गुजारी (नकदी) (भावरी)						20.00	
सेस						5.00	
रुद						10.00	
मुतफरकात						10.00	
मीखान अदायकारी						4.00	
						49.00	

(१) मीखान कुल (सफजो मे) : Forty Nine Rupees

(२) नाम बेहिन्या -

(३) मुत बकाया- 49.00

सारीख अगला सहरील मुनिना : 14-04-2023

खास महल का बकाया मालगुजारी पर (बिनाग ऐसे बकायो पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) रुद नहीं हिराज जाता है।



*Handwritten signature and date: 21/3/24, 22/3/24, 21/4/24, 09/5/24*

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।  
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।  
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अवलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान।

Print



*Handwritten signature: नि. विजय शर्मा*



# SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED

107

Works :  
Basti Road, P.O. Setajamda  
Dist. West Singhbhum  
Jharkhand - 833221

CIN - U28133RJ2008PLC025821  
GSTIN - 20AADCB44801ZE

Contact :  
+91-62008 26505  
+91-62008 26508  
+91-98304 81445

**CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED AT A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LIMITED HELD ON TUESDAY, 16<sup>TH</sup> JANUARY 2024 AT 4.00 PM. AT THE REGISTERED OFFICE OF THE COMPANY AT UNIT NO 413, TIMURTY'S PRIME TOWER, NIWARU RAOD, JHOTWARA INDUSTRIAL AREA JAIPUR, INDUSTRIAL AREA, JHOTWARA, JAIPUR-302012, RAJASTHAN.**

**"RESOLVED THAT** pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and/or Rules made there under, consent of the board of directors of the company be and is hereby accorded to acquire by purchase the Land in Jharkhand state on such terms and conditions as may be consider appropriate and in the best interest of the Company.

**RESOLVED FURTHER THAT** Mr. Arun, Kumar, Director of the Company be and is hereby severally authorized to sign and execute sale/lease deed and all other documents and papers which deemed to be necessary related to purchase of the property and to give effect to the above resolution.

By order of the Board of Directors  
Certified to be true  
For Shri Balaji Industrial Engineering Limited  
(CIN: U28133RJ2008PLC02582131)

*Kailash Kumar Kanodia*  
**Kailash Kumar Kanodia**  
Managing Director  
DIN: 00274449  
Address: Unit -413, Trimurty Prime Tower Industrial Area, Jhotwara, Jaipur-302012

Place: Jaipur  
Date: 22.02.2024

*Arun Kumar*



106

### Pre Registration Docket

Date :- 22-05-2024 02:34 pm

Office Name :- SRO - Giridih  
Token No:- 202400023904

Appointment :- 22-May-2024 Time:- 14:0

Article	Sale Deed
Pre Registration Date	09-May-2024
No. Of Pages	39
Stamp Duty	95000
Paid Stamp Duty	0
Total Fees	₹ 72,424.

Property Id: 1168314

Valuation No. : 1616644 / 2024	: - 2023-2024	Date : 21-March-2024 09:58:AM	
State : Jharkhand	District : Giridih	Tahsil : Gandey	
Land Type : Rural	Corporation :	Village/City : Karmatand	
Karmatand Word No 4 Village Code 423 - Other Road			
Khata Number - 1			
Plot Number - 152			
Volume Number - 1			
Page Number - 7			
<b>Property Rates</b>			
Industrial Land (Y)			
₹4694/- Decimal			
Valuation Rule : Industrial Land			
<b>Property Details</b>			
1	Land area	108 Decimal	
<b>Calculation Details</b>			
Sr.No.	Description	Calculation	Total
1	Property Valuation	1. 108 x 4694=506952	₹5,06,952/-
A	Total		₹5,06,952/-
Note : Final Valuation is Rounded to Next 100/-			₹5,07,000/-
Total Valuation (A)			
Total Amount in Words : Five Lakh Seven Thousand Rupees Only.			

Land measurement, Sub Part and House No.	<b>Property Boundaries</b> East: RASTA, West: PLOT NO 149, South: PLOT NO 151, North: PLOT NO 153
--	--

105

Area	Land area : 108.00 Decimal
Other Description of the Property	Pin Code - 815312
Government/Market Value	506952
Transaction Amount	2375000

Property Id: 1168317

Valuation No. : 1616646 / 2024	:- 2023-2024	Date : 21-March-2024 09:59:AM
State : Jharkhand	District : Giridih	Tahsil : Gandey
Land Type : Rural	Corporation :	Village/City : Karmatand
Karmatand Word No 4 Village Code 423 - Other Road		
Khata Number - 1		
Plot Number - 153		
Volume Number - 1		
Page Number - 7		

Property Rates

Industrial Land (Y)

₹4694/- Decimal

Valuation Rule : Industrial Land

Property Details

1 Land area

93 Decimal

Calculation Details

Sr.No.	Description	Calculation	Total
1	Property Valuation	1. 93 x 4694=436542	₹4,36,542/-
A	Total		₹4,36,542/-

Note : Final Valuation is Rounded to Next 100/-

Total Valuation (A)

₹4,36,600/-

Total Amount in Words : Four Lakh Thirty Six Thousands Six Hundred Rupees Only.

Land measurement, Sub Part and House No.	Property Boundaries East: RASTA, West: PLOT NO 149, South: PLOT NO 152, North: PLOT NO 149
Area	Land area : 93.00 Decimal
Other Description of the Property	Pin Code - 815312
Government/Market Value	436542
Transaction Amount	-

Property Id: 1168320

Valuation No. : 1616650 / 2024	:- 2023-2024	Date : 21-March-2024 10:00:AM
State : Jharkhand	District : Giridih	Tahsil : Gandey

104

Land Type : Rural		Corporation :	Village/City : Karmatand
Karmatand Word No 4 Village Code 423 - Other Road			
Khata Number - 1			
Plot Number - 148			
Volume Number - 1			
Page Number - 7			
<b>Property Rates</b>			
<b>Industrial Land (Y)</b>			
₹4694/- Decimal			
Valuation Rule : Industrial Land			
<b>Property Details</b>			
1	Land area	18 Decimal	
<b>Calculation Details</b>			
Sr.No.	Description	Calculation	Total
1	Property Valuation	1. 18 x 4694=84492	₹84,492/-
A	Total		₹84,492/-
Note : Final Valuation is Rounded to Next 100/-			
Total Valuation (A)			₹84,500/-
Total Amount In Words : Eighty Four Thousands Five Hundred Rupees Only.			

Land measurement, Sub Part and House No.	<b>Property Boundaries</b> East: PLOT NO 149, West: PLOT NO 147, South: PLOT NO 147, North: PLOT NO 146
Area	Land area : 18.00 Decimal
Other Description of the Property	Pin Code - 815312
Government/Market Value	84492
Transaction Amount	-

Property Id: 1168323			
Valuation No. : 1616651 / 2024	:- 2023-2024	Date : 21-March-2024 10:01:AM	
State : Jharkhand	District : Giridih	Tahsil : Gandey	
Land Type : Rural	Corporation :	Village/City : Karmatand	
Karmatand Word No 4 Village Code 423 - Other Road			
Khata Number - 1			
Plot Number - 149			
Volume Number - 1			
Page Number - 7			
<b>Property Rates</b>			
<b>Industrial Land (Y)</b>			
₹4694/- Decimal			
Valuation Rule : Industrial Land			

103

Property Details			
1	Land area	285 Decimal	
Calculation Details			
Sr.No.	Description	Calculation	Total
1	Property Valuation	1. 285 x 4694=1337790	₹13,37,790/-
A	Total		₹13,37,790/-
Note : Final Valuation is Rounded to Next 100/-			
Total Valuation (A)			₹13,37,800/-
Total Amount in Words : Thirteen Lakhs Thirty Seven Thousands Eight Hundred Rupees Only.			

Land measurement, Sub Part and House No.	<b>Property Boundaries</b> East: PLOT NO 153 WO 152, West: PLOT NO 148, South: PLOT NO 150, North: PLOT NO 154
Area	Land area : 285.00 Decimal
Other Description of the Property	Pin Code - 815301
Government/Market Value	1337790
Transaction Amount	-

SELLER	-Mr. VIJAY YADAV, .Father/Husband Name LATE GURUDAYAL YADAV,, Party Category-Individual , PAN No.- *****196C Date Of Birth-01-Jan-1978,Permission Case No.- , Aadhaar No. *****5900, Country-BHARAT, State Name-Jharkhand, District Name-GIRIDH, City/Village/Town Name-NAYAKDIH, Locality-NAYAKDIH,Address - NAYAKDIH GANDEY GIRIDIH, Pin Code-815312
	-Mr. GUDDU MAHTO. .Father/Husband Name LATE PRABHU MAHTO,, Party Category-Individual , PAN No.- *****958Q Date Of Birth-01-Jan-1985,Permission Case No.- , Aadhaar No. *****6483, Country-BHARAT, State Name-Jharkhand, District Name-GIRIDH, City/Village/Town Name-DHARAMPUR, Locality-DHARAMPUR,Address - DHARAMPUR GANDEY GIRIDIH, Pin Code-815312
	-Mr. BIRJU YADAV, .Father/Husband Name LATE NIRMAL YADAV,, Party Category-Individual , PAN No.- *****544Q Date Of Birth-09-Jul-1995,Permission Case No.- , Aadhaar No. *****3405, Country-BHARAT, State Name-Jharkhand, District Name-GIRIDH, City/Village/Town Name-KARIBANK, Locality-KARIBANK,Address - KARIBANK GANDEY GIRIDIH, Pin Code-815312
	-Mr. ROHIT KUMAR, .Father/Husband Name LATE RAJU GOPE,, Party Category-Individual , PAN No.- *****405J Date Of Birth-20-Nov-1993,Permission Case No.- , Aadhaar No. *****4349, Country-BHARAT, State Name-Jharkhand, District Name-GIRIDH, City/Village/Town Name-PUNIDIH, Locality-PUNIDIH,Address - PUNIDIH GANDEY GIRIDIH, Pin Code-815312

102

	-Mr. ASHOK KUMAR, ,Father/Husband Name LATE RAJESH YADAV,, Party Category-Individual , PAN No.- *****619H Date Of Birth-01-Jan-2000,Permission Case No.- . Aadhaar No. *****5378, Country-BHARAT, State Name-Jharkhand, District Name-GIRIDIH, City/Village/Town Name-NAYAKDIH, Locality-NAYAKDIH,Address - NAYAKDIH GANDEY GIRIDIH, Pin Code-815312
PURCHASER	SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LTD-Mr. ARUN KUMAR, ,Father/Husband Name LATE RAMLAKHAN RAY,, Party Category-Company / Colonizer , PAN No.- *****480B Date of Incorporation-06-Feb-2008,Permission Case No.- . Aadhaar No. *****8161, Country-BHARAT, State Name-Jharkhand, District Name-RANCHI, City/Village/Town Name-DHURWA, Locality-DHURWA,Address - DHURWA RANCHI, Pin Code-834004

Witness Information	Mr. BHOLA MAHTO , Address - MEDANISARE GANDEY GIRIDIH-, Father/Husband Name-MANI MAHTO
---------------------	--

Identifier Details	Mr. KAILASH MAHTO , Address - RAKASKUTTO GANDEY GIRIDIH-, Father/Husband Name-KODO MAHTO
--------------------	--

Fee Rule:Sale Deed		95,000
1	Stamp Duty	

1	SP	1,170
Total		1,170

Fee Rule:Sale Deed.		71,250
1	A1	3
2	LL	1
3	PR	
Total		71,254

All the entries made, have been verified by me and are found same as the entries of the document presented.

Disclaimer : I hereby declare that all the contents of uploaded document and the original document are exactly same, and all the information provided by me are true to itself. The detail of property's holding number has been verified by me at the time of entry through alert generated by the system. I am satisfied with the verification and hence proceeding further for registration after seeing the alert.

Deed Writer / Advocate: *[Signature]*  
 Vendee / Claimant: *[Signature]*  
 Vendor / Executant: *[Signature]*

*mirji yadav*

ASHOK KUMAR 515

101

	-Mr. ASHOK KUMAR, ,Father/Husband Name LATE RAJESH YADAV,, Party Category-Individual , PAN No.- *****619H Date Of Birth-01-Jan-2000,Permission Case No.- . Aadhaar No. *****5378, Country-BHARAT, State Name-Jharkhand, District Name-GIRIDIH, City/Village/Town Name-NAYAKDIH, Locality-NAYAKDIH,Address - NAYAKDIH GANDEY GIRIDIH, Pin Code-815312
PURCHASER	SHRI BALAJI INDUSTRIAL ENGINEERING LTD-Mr. ARUN KUMAR, ,Father/Husband Name LATE RAMLAKHAN RAY,, Party Category-Company / Colonizer , PAN No.- *****480B Date of Incorporation-06-Feb-2008,Permission Case No.- . Aadhaar No. *****8161, Country-BHARAT, State Name-Jharkhand, District Name-RANCHI, City/Village/Town Name-DHURWA, Locality-DHURWA,Address - DHURWA RANCHI, Pin Code-834004

Witness Information	Mr. BHOLA MAHTO , Address - MEDANISARE GANDEY GIRIDIH-, Father/Husband Name-MANI MAHTO
---------------------	--

Identifier Details	Mr. KAILASH MAHTO , Address - RAKASKUTTO GANDEY GIRIDIH-, Father/Husband Name-KODO MAHTO
--------------------	--

Fee Rule:Sale Deed		95,000
1	Stamp Duty	

1	SP	1,170
Total		1,170

Fee Rule:Sale Deed		71,250
1	A1	3
2	LL	1
3	PR	
Total		71,254

All the entries made, have been verified by me and are found same as the entries of the document presented.

Disclaimer : I hereby declare that all the contents of uploaded document and the original document are exactly same, and all the information provided by me are true to itself. The detail of property's holding number has been verified by me at the time of entry through alert generated by the system. I am satisfied with the verification and hence proceeding further for registration after seeing the alert.

*[Signature]*  
Deed Writer / Advocate

*[Signature]*  
Vendee / Claimant

*[Signature]*  
Vendor / Executant

anjay yadav

ASHOK KUMAR<sup>515</sup>

2024

Government/Market Value: ₹2365900/-  
Transaction Amount: ₹2375000 /-  
Paid Stamp Duty: ₹95000 /-

मुद्रांक एवं निवर्धन शुल्क की जाँच किया  
चैतन्य कुमार जाँच कर्ता  
नि० व० लि० (प्र० सं०)

100

Receipt : 995790  
Receipt Date : 22-05-2024  
Presenter Name : -  
PR  
SP  
LL  
A1  
Stamp Duty

₹1  
₹1170  
₹3  
₹71250  
₹95000

Total

₹167424

On Date 22-05-2024 Presented at SRO - Giridih  
Signature of Presenter

SRO - Giridih

Handwritten signature: *Wag Yadav*


Payment Head	Amount To Be paid	Paid Amount	Balance Amount	Payment Mode	Payer Name	Reference No.	Payment Amount
Stamp Duty	95000	95000	0	GRAS	ShriBalajiIndustrialEngineeringLimitedThroughItsDirectorArunKumar	GRN Number : 2400826733 DEPT Transaction Id : c0c48f44e57af4c9147d Transaction Type :	64000
				GRAS	ShriBalajiIndustrialEngineeringLimitedThroughItsDirectorArunKumar	GRN Number : 2401268107 DEPT Transaction Id : c50fe089fa836cb87f4f Transaction Type :	31000
PR	1	1	0	GRAS	ShriBalajiIndustrialEngineeringLimitedThroughItsDirectorArunKumar	GRN Number : 2401278228 DEPT Transaction Id : 3c38b8273b8e308bde51 Transaction Type :	1
SP	1170	1170	0	GRAS	ShriBalajiIndustrialEngineeringLimitedThroughItsDirectorArunKumar	GRN Number : 2401278229 DEPT Transaction Id : 3c38b8273b8e308bde51 Transaction Type :	1170
A1	71250	71250	0	GRAS	ShriBalajiIndustrialEngineeringLimitedThroughItsDirectorArunKumar	GRN Number : 2401278229 DEPT Transaction Id : 3c38b8273b8e308bde51 Transaction Type :	71250
LL	3	3	0	GRAS	ShriBalajiIndustrialEngineeringLimitedThroughItsDirectorArunKumar	GRN Number : 2401278229 DEPT Transaction Id : 3c38b8273b8e308bde51 Transaction Type :	3
Sub Total		167424	167424	0			

Article : Sale Deed Number of Pages : 78

Signature of Operator

Signature of Head Clerk

चैतन्य कुमार  
नि० व० लि० (प्र० सं०)





OFFICE OF THE SUB REGISTRAR

Office Name :- SRO - Girdih

District Name :- Girdih

State Name :- Jharkhand

99

Deed Endorsement

Token No :- 202400023904

Deed Type	Sale Deed
Number of Pages	78
Fee Details	Stamp Duty :- Rs. 95000, PR :- Rs. 1, SP :- Rs. 1170, A1 :- Rs. 71250, LL :- Rs. 3,
Property No.	1
Valuation Details	Value :- Rs.506952/- ,Transaction Amount :- Rs.2375000/-
Property Details	District :- Girdih , Tehsil :- Gandey , Village Name :- Karmatand Location :- Other Road, Karmatand Word No 4 Village Code 423 Property Boundaries :- East: RASTA, West: PLOT NO 149, South: PLOT NO 151, North: PLOT NO 153 Khata Number - 1Plot Number - 152Volume Number - 1Page Number - 7 Area Of Land :- 108.00 Decimal
Property No.	2
Valuation Details	Value :- Rs.436542/- ,Transaction Amount :- Rs.0/-
Property Details	District :- Girdih , Tehsil :- Gandey , Village Name :- Karmatand Location :- Other Road, Karmatand Word No 4 Village Code 423 Property Boundaries :- East: RASTA, West: PLOT NO 149, South: PLOT NO 152, North: PLOT NO 149 Khata Number - 1Plot Number - 153Volume Number - 1Page Number - 7 Area Of Land :- 93.00 Decimal
Property No.	3
Valuation Details	Value :- Rs.84492/- ,Transaction Amount :- Rs.0/-
Property Details	District :- Girdih , Tehsil :- Gandey , Village Name :- Karmatand Location :- Other Road, Karmatand Word No 4 Village Code 423 Property Boundaries :- East: PLOT NO 149, West: PLOT NO 147, South: PLOT NO 147, North: PLOT NO 146 Khata Number - 1Plot Number - 148Volume Number - 1Page Number - 7 Area Of Land :- 18.00 Decimal
Property No.	4
Valuation Details	Value :- Rs.1337790/- ,Transaction Amount :- Rs.0/-
Property Details	District :- Girdih , Tehsil :- Gandey , Village Name :- Karmatand Location :- Other Road, Karmatand Word No 4 Village Code 423 Property Boundaries :- East: PLOT NO 153 WO 152, West: PLOT NO 148, South: PLOT NO 150, North: PLOT NO 154 Khata Number - 1Plot Number - 149Volume Number - 1Page Number - 7 Area Of Land :- 285.00 Decimal

Sh./Smt.VIJAY YADAV s/o/d/o/w/o LATE GURUDAYAL YADAV has presented the document for registration in this office today dated :- 22-May-2024 Day :- Wednesday Time :- 15:17:24 PM



VIJAY

YADAV(Individual)

Party Name	Document Type	Document Number
VIJAY YADAV	PAN/UID	BIWPY3196C

ASHOK KUMAR  
Address1 - NAYAKDIH  
GANDEY GIRIDIH,  
Address2 - NAYAKDIH  
... Jharkhand  
PAN No.:  
MXZPK7619H, Permission  
Case No.-

Yes

Yes

Ashok Kumar  
Address:- , ,  
panchayat  
gandey block  
gandey, vill  
nayakdih po  
gandey ps  
gandey,  
Gande,  
Gandey,  
Giridih,  
815312,  
Gandey,  
Jharkhand,  
India

SELLER  
Age:24



98

ASHOK KUMAR

2 VIJAY YADAV  
Address1 - NAYAKDIH  
GANDEY GIRIDIH,  
Address2 - NAYAKDIH  
... Jharkhand  
PAN No.:  
BIWPY3196C, Permission  
Case No.-

Yes

Yes

Vijay Yadav  
Address:- , ,  
panchayat  
gandey block  
gandey, vill  
nayakdih po  
gandey ps  
gandey,  
Gande,  
Gandey,  
Giridih,  
815312,  
Gandey,  
Jharkhand,  
India

SELLER  
Age:46



Vijay Yadav

3 GUDDU MAHTO  
Address1 - DHARAMPUR  
GANDEY GIRIDIH,  
Address2 - DHARAMPUR  
... Jharkhand  
PAN No.:  
FXXPM5958Q, Permission  
Case No.-

Yes

Yes

Guddu Mahto  
Address:-  
panchayat  
gandey, block  
gandey, gram  
punidih post  
gandey thana  
gandey,  
Gande,  
Gandey,  
Giridih,  
815312,  
Gandey,  
Jharkhand,  
India

SELLER  
Age:39



Guddu Mahto

4 BIRJU YADAV  
Address1 - KARIBANK  
GANDEY GIRIDIH,  
Address2 - KARIBANK  
... Jharkhand  
PAN No.:  
AZQPY2544Q, Permission  
Case No.-

Yes

Yes

Birju Yadav  
Address:- , , ,  
Gram-  
Karribank  
post-mandro  
thana-gandey,  
Karibanki,  
Gandey,  
Giridih,  
815312,  
Bengabad,  
Jharkhand,  
India

SELLER  
Age:28




Birju Yadav

ROHIT KUMAR  
Address1 - PUNIDIH  
GANDEY GIRIDIH,  
Address2 - PUNIDIH  
... Jharkhand  
PAN No.:  
LUEPK8405J, Permission  
Case No.-

Yes Yes

Rohit Kumar  
Address:-,  
Bhowra No - 6,  
,, bhowra,  
Baghmara-  
cum-katras,  
Dhanbad,  
828302,  
Bhowra,  
Jharkhand,  
India

SELLER  
Age:30



Arun Kumar - Rohit Yadav

97

6

ARUN KUMAR  
Address1 - DHURWA  
RANCHI, Address2 -  
DHURWA  
... Jharkhand  
PAN No.:  
AADCB4480B, Permission  
Case No.-

Yes Yes

Arun Kumar  
Address:- DT-  
2143, , Sector-  
9, , Dhurwa,  
Ranchi,  
Ranchi,  
834004,  
Dhurwa,  
Jharkhand,  
India

PURCHASER  
Age:



आधार एवं पैन सत्यापन किया

चैतन्य कुमार जाँच करा  
नि० ब० लि० (प्र० स०)

Identification:

Sr.NO	Party Name and Address
1	KAILASH MAHTO S/o-D/o KODO MAHTO Address1 - RAKASKUTTO GANDEY GIRIDIH, Address2 - ... Jharkhand PAN No.:




KAILASH MAHTO

Witness:  
I/We individually/Collectively recognize the Seller(S) and Buyer(s)

Sr.NO	Party Name and Address	Photo	Thumb	Signature
1	BHOLA MAHTO Address1 - MEDANISARE GANDEY GIRIDIH, Address2 - ... Jharkhand			

Signature of Operator



Above signature & thumb Impression are affixed in my presence.

Above mentioned, ( VIJAY YADAV , GUDDU MAHTO , BIRJU YADAV , ROHIT KUMAR , ASHOK KUMAR), has/have admitted the execution before me. He/ She/ They has / have been Identified by (KAILASH MAHTO) Son/Daughter/Wife of (KODO MAHTO) resident of (RAKASKUTTO GANDEY GIRIDIH) and by occupation (Business).



Date:- 22-May-2024

Token No.: 202400023904

## CERTIFICATE

Office of the SRO - Giridih

This Sale Deed was presented before the registering officer on date 22-May-2024 by VIJAY YADAV, S/O, D/O, W/O LATE GURUDAYAL YADAV resident of NAYAKDIH GANDEY GIRIDIH, NAYAKDIH. This deed was registered as Document No.- 2024/GIR/2200/BK1/2059 in Book No :- BK1, Volume No :- 385 from Page No :- 161 to 238 at, office of SRO - Giridih

Date:- 22-May-2024

  
Registering Officer  
विजय यदव  
जिला कार्यालय  
गिरिदिह

96

1/1